


लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर रखे जाने वाले
(अधिप्रमाणित)



वर्ष 2023-24 के लिए कोयला खान भविष्य निधि संगठन के कार्य निष्पादन की केंद्र सरकार द्वारा की गई समीक्षा का विवरण।

कोयला खान भविष्य निधि संगठन कोयला मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है जो निम्नलिखित तीन स्कीमों को प्रशासित करता है :

- (क) कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1948
- (ख) कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998
- (ग) कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा स्कीम, 1976 (सीआईएल एवं इसकी सहायक कंपनियों तथा एससीसीएल के संदर्भ में 24.03.2009 से इसे बंद कर दिया है।)

उपर्युक्त तीनों स्कीमों में प्रत्येक की विशेषताएँ और विस्तृत रूपरेखा निम्नवत हैं:

(क) कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1948

1.1 कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) के तहत बनाई गई कोयला खान भविष्य निधि स्कीम भारत में कोयला खानों के सभी कर्मचारियों को भविष्य निधि के लाभ प्रदान करती है। कोयला खान भविष्य निधि में कामगार अपने वेतन का 12% की दर से अंशदान करते हैं तथा नियोक्ता भी बराबर की राशि का अंशदान करते हैं। भारत सरकार ने बीओटी के परामर्श से वि.व. 2023-24 के लिए 7.6 प्रतिशत की दर से ब्याज की घोषणा की है, जिसे वित्त वर्ष 2022-23 के पीएफ के क्लोजिंग बैलेंस पर अनुमति दी जानी है। इस निधि में एकत्रित सम्पूर्ण राशि का वित्त मंत्रालय और सीएमपीएफ के न्यासी बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेश किया जाता है। यह निधि एक त्रिपक्षीय न्यासी बोर्ड में निहित है और इसके द्वारा ही प्रशासित की जाती है जिसमें नियोक्ता, कर्मचारी और केंद्र/राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

इस स्कीम का विस्तृत ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:-

विवरण	2023-24 आंकड़े
शामिल कोयला खानों/ संयंत्रों की संख्या (वर्ष के अंत तक)	798

वर्ष के दौरान अद्यतन सदस्यों की संख्या	334091
वर्ष के दौरान स्वैच्छिक अंशदान सहित अंशदान (करोड़ रु. में)	9926.86
निधि के सदस्यों को दी गई ब्याज दर	7.60%
वर्ष के दौरान अग्रिम (करोड़ रु. में)	264.55
वर्ष के दौरान भविष्य निधि का रिफंड (करोड़ रु. में)	9918.24
(i) निपटाए गए मामलो की संख्या (रिफंड)	24397
(ii) प्राप्त मामलो की संख्या (रिफंड)	25828
मौजूदा अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या	577

(ख) कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998

2.1 कोयला खान भविष्य निधि संगठन के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 है जिसे 31.03.1998 में लागू किया गया था तथा जिसे केंद्र सरकार द्वारा कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 3ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कोयला खान परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के अधिक्रमण में दिनांक 5 मार्च, 1998 को अधिसूचित किया गया था।

2.2 कोयला खान पेंशन स्कीम 31 मार्च, 1998 से लागू हुई और उक्त तारीख को इसके सदस्यों की संख्या 7,82,578 थी जो देश की विभिन्न कोयला खानों में कार्यरत थे।

31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार सीएमपीएस'98 के सदस्यों की संख्या 359951 सूचित की गई है। इस स्कीम की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

(i) समय निधि और इसे जारी रखना:-

पेंशन निधि में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) नियत दिवस अर्थात् 31.03.1998 को कोयला खान परिवार पेंशन स्कीम, 1971 की निवल परिसंपत्तियाँ;

(ख) कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा भुगतान किए जा रहे अन्य सभी अंशदान को प्रतिस्थापित करते हुए दिनांक 08 जून, 2018 को प्रकाशित सा.का.नि. 540(अ) के माध्यम से 01.10.2017 से पेंशन निधि में सदस्य और नियोक्ता के अंशदान को संशोधित कर प्रत्येक द्वारा 7% कर दिया गया है।

(ग) कर्मचारी के वेतन के 1 2/3 प्रतिशत के बराबर राशि का केंद्र सरकार द्वारा नियत दिवस से अंशदान किया जाना है।

(घ) इस स्कीम के प्रावधानों के संदर्भ में इच्छुक नए सदस्यों द्वारा जमा कि जाने वाली राशि।

न्यासी बोर्ड द्वारा नियुक्त एक बीमांकक द्वारा प्रत्येक तीसरे वर्ष पेंशन निधि का मूल्यांकन करवाने के लिए आयुक्त उत्तरदायी हैं।

(ii) इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (क) वे सभी कर्मचारी जो समाप्त की गई कोयला खान परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के सदस्य थे और 31 मार्च, 1998 को कर्मचारियों की नामावली में थे।
- (ख) ऐसे सभी कर्मचारी जो 31 मार्च, 1998 को अथवा उसके बाद नियुक्त किए गए।
- (ग) ऐसे सभी इच्छुक सदस्य जो 01.04.1994 से 30.03.1998 के दौरान सेवानिवृत्त हुए हों तथा जिन्होंने पीएस-1 और पीएस-2 प्रपत्र, जैसी भी स्थिति हो, में पेंशन निधि की सदस्यता को चुना हो।

01.04.1994 से 31.03.1998 की अवधि के दौरान सेवा में रहते हुए मृत ऐसे सभी कर्मचारियों को दिनांक 12.08.2004 के सा.का.नि. सं. 521(अ) के माध्यम से इस स्कीम का इच्छुक सदस्य माना गया है।

(iii) लाभ:

1. मासिक पेंशन
2. विकलांगता पेंशन
3. विधवा अथवा विधुर पेंशन
4. बाल पेंशन
5. अनाथ पेंशन
6. अनुग्रह अदायगी

2.3 केंद्र सरकार ने 2023-24 के दौरान पेंशन निधि में 10.64 रु. करोड़ का अंशदान किया। निम्नलिखित तालिका स्कीम के विस्तृत मानदंडों को दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	आंकड़े 2023-24
i)	कोयला खान पेंशन स्कीम की सदस्यता	359951
ii)	उस वर्ष के दौरान पेंशन स्कीम में नियोक्ताओं, कर्मचारियों और सरकार द्वारा किया गया अंशदान एवं ब्याज (रु. करोड़ में)	5637.77

iii)	लाभों का संवितरण (समाप्त हुई परिवार पेंशन स्कीम और पेंशन स्कीम)। (रु. करोड़ में)	5427.74
iv)	निपटाए गए पेंशन दावों की संख्या	26796
v)	प्राप्त हुए पेंशन मामलों की संख्या	29299

(ग) कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा स्कीम, 1976

3.1 कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा स्कीम, 1976 को 1 अगस्त, 1976 से लागू किया गया था। इस स्कीम के तहत, यदि किसी सदस्य की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रितों को सदस्य के भविष्य निधि में जमा तीन पछले वर्षों के औसत शेष के बराबर राशि का भुगतान किया जाता है, जो अधिकतम 10,000/- रु. तक होगी।

3.2 कोयला खान जमा संबद्ध बीमा स्कीम' 1976 को केंद्र सरकार की राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. (अ) दिनांक 24.03.2009 के आधार पर 24.03.2009 से बंद कर दिया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी कंपनियों को राजपत्र अधिसूचना सं. 822 (अ) दिनांक 24.03.2009 के माध्यम से इस स्कीम से छूट दी गई है।

3.3 इस स्कीम के अनुसार नियोक्ताओं द्वारा इस स्कीम के लिए कुल वेतन का 0.5% की दर से अंशदान किया जाना अपेक्षित हैं। केंद्र सरकार को भी नियोक्ताओं द्वारा किए गए अंशदान के 50% के बराबर राशि का अंशदान करना अपेक्षित हैं।

3.4 केंद्र सरकार ने इस स्कीम के अंतर्गत 2023-24 में 0.00 करोड़ रु. की राशि का अंशदान किया। निम्नलिखित तालिका इस स्कीम के विस्तृत मानदंडों को दर्शाती है:-

कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा स्कीम: (करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	आंकड़ें 2023-24
1	अंशदान की कुल राशि (नियोक्ता का अंशदान)	0.00
2	सरकारी अंशदान के रूप में प्राप्त कुल राशि	0.00
3	01.04.2023 तक डीएलआई फंड से किया गया निवेश और सार्वजनिक खाते में किया गया जमा	412.30
4	वर्ष 2023-24 के दौरान बीमा निधि में से किया गया निवेश	30.92
5	31.03.2024 तक बीमा निधि से किया गया कुल निवेश	443.22

3.5 जमा सम्बद्ध बीमा स्कीम के प्रशासन की लागत नियोक्ताओं द्वारा वहन की जाती है जो इस प्रयोजनार्थ कुल वेतन का 0.1% अंशदान करते हैं। सरकार को भी इस प्रयोजनार्थ नियोक्ता

के अंशदान का 50% अर्थात कुल वेतन का 0.5% अंशदान करना होता है। इस स्कीम के लिए अलग से किसी स्टाफ को नियुक्त नहीं किया जाता है। इस स्कीम के लिए समान मर्दों पर व्यय का समानुपातिक शेयर लिया जाता है।


3.6 कोयला खान पेंशन स्कीम एवं कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा स्कीम:

(करोड़ रु. में)

उद्देश्य शीर्ष	आंकड़ें (2023-24)
सीएमडीएलआई स्कीम (नियोक्ता का अंशदान)	0.00
सीएमडीएलआई स्कीम (सरकार का अंशदान)	0.00
सीएमडीएलआई स्कीम (प्रशासन शुल्क)	0.07
सीएमडीएलआई प्रशासन प्रभार (सरकार का अंशदान)	0.00
कोयला खान पेंशन स्कीम (अंशदान)	5637.77
कोयला खान पेंशन स्कीम (सरकार का अंशदान)	10.64
कोयला खान पेंशन स्कीम (सरकार द्वारा प्रशासन प्रभार)	00.00
योग	5648.48

Annexure-I

**PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF THE LOK SABHA/RAJYA SABHA
(AUTHENTICATED)**



Statement of review conducted by the Central Government in the performance of the Coal Mines Provident Fund Organisation for the year 2023-24.

The Coal Mines Provident Fund Organisation is an autonomous Organisation under the Ministry of Coal, which administers the following three Schemes:

- (a) Coal Mines Provident Fund Scheme, 1948
- (b) Coal Mines Pension Scheme, 1998
- (c) Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme 1976 (Discontinued w.e.f. 24.03.2009 in respect of CIL and its subsidiaries as well as SCCL.)

The features and the broad profile of each of the above three schemes are as under:

- (a) COAL MINES PROVIDENT FUND SCHEME, 1948

1.1 The Coal Mines Provident Fund Scheme framed under the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948(46 of 1948) provides Provident fund benefits to all employees of coal mines in India. The workers contribute to the Coal Mines Provident Fund at the rate of 12% of their emoluments and the employers pay an equivalent amount. Government of India in consultation of BoT declared interest for the FY 2023-24 @ 7.6 per cent to be allowed on the closing balance of PF of the financial year 2022-23. The entire accumulations in the fund are invested in accordance with guidelines laid down by the Ministry of Finance and Board of Trustees, CMPF. The fund vests in and is administered by a tripartite Board of Trustees consisting of representatives of employers, employees and Central/State Governments.

The table below indicates the broad profile of the Scheme.

Particulars	2023-24 Actual
Number of Coal Mines/plants covered (at the end of the year).	798
Number of live membership during the year.	334091
Contribution during the year (Rs. ₹ in crores) including voluntary contribution.	9926.86
Rate of interest allowed to the members of the fund	7.60 %
Advance during the year (Rs. in crores)	264.55
Refund of Provident Fund during the year (Rs. in crores)	9918.24
(i) No. of cases settled (refund)	24397
(ii) No. of cases received (refund)	25828
Officers and Staff in position	577

(b) COAL MINES PENSION SCHEME, 1998

2.1 One of the most important landmarks in the history of Coal Mines Provident Fund Organisation is the introduction of Coal Mines Pension Scheme, 1998 effective from 31.03.1998 which has been notified by the Central Government on 5th March, 1998, in exercise of the powers conferred by Section 3E of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948) and in supersession of the Coal Mines Family Pension Scheme, 1971.

2.2 The Coal Mines Pension Scheme has come into force with effect from the 31st day of March, 1998 and on that day its members were 7, 82,578 working in different coal mines within the country. As on 31.03.2024 the CMPS'98 Membership is reported at 359951. The highlights of the Scheme are:-

(i) **Corpus of the Fund and its sustainability:**

The Pension Fund consists of the following:-

(a) Net assets of the Coal Mines Family Pension Scheme, 1971 as on the appointed day i.e. 31.03.1998;

(b) **Member's and Employer's contribution to Pension Fund has been modified to 7% share each replacing all other contribution as above being paid by employee & employer vide GSR No. 540(E) published on 08th June 2018 w.e.f. 01.10.2017**

(c) An amount equivalent to one and two-third percent of the salary of the employee to be contributed by the Central Government from the appointed day;

(d) Amounts to be deposited by new optees in terms of the provisions of the Scheme.

The Commissioner is responsible for getting the valuation of the Pension fund done every third year by an Actuary, to be appointed by the Board of Trustees.

(ii) Coverage:

- (a) All employees who were members of the ceased Coal Mines Family Pension Scheme, 1971 and were on rolls on 31st March, 1998.
- (b) All such employees who are appointed on or after 31st March, 1998.
- (c) All such optee members retired from service during the period from 01.04.1994 to 30.03.1998 and who opted for membership of the Pension Fund in Form PS-I and PS-2 as the case may be.

All such employees who died while in service during the period 01.04.1994 to 31.03.1998 are treated as deemed optee of the scheme vide G.S.R No. 521 (E) dated 12.08.2004.

(iii) Benefits:

1. Monthly Pension
2. Disablement Pension
3. Widow or Widower Pension
4. Children Pension
5. Orphan Pension
6. Ex-gratia Payment.

2.3. The Central Govt. contributed a sum of Rs.10.64 crore during 2023-24 towards pension fund. The table below indicates the broad parameters of the Scheme.

S. No.	Particulars	Actual 2023-24
i)	Membership of Coal Mines Pension Scheme.	359951
ii)	Contribution to Pension Scheme during the year by employers, employees, Govt. and interest (Rs. in crores)	5637.77
iii)	Disbursement of benefits (ceased Family Pension Scheme and Pension Scheme). (Rs. in crores)	5427.74
iv)	No. of Pension claims settled.	26796
v)	No. of pension cases received	29299

(c) COAL MINES DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME, 1976

3.1 The Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme'1976 was introduced with effect from 1st August, 1976. The scheme provides for payment to the dependents of a member, an amount equivalent to the average of the last three years' balance at the credit of the member's provident fund if the member dies while in service, subject to a maximum of Rs. 10,000/-.

3.2 The Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme'1976 was discontinued w.e.f. 24.03.2009 by virtue of Central Government Gazette Notification No. SO 822(E) dated 24.03.2009. Coal India

Limited and its subsidiaries have since been granted exemption from the Scheme vide Gazette Notification No. SO. 822(E) dated 24.03.2009.

3.3 In accordance with this Scheme, the employers are required to contribute at the rate of 0.5% of the aggregate wages towards this scheme. The Central Government is also required to contribute an amount equal to 50% of the contribution made by the employers.

3.4 The Central Government contributed a sum of Rs. 0.00 crore in 2023-24 under this Scheme. The table below indicates the broad parameters of the Scheme.

COAL MINES DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME

Sl. No.	Particulars	(in crore)
		Actual 2023-24
1.	Total amount of contribution (employers contribution)	0.00
2.	Total amount received as Govt. Contributions	0.00
3.	Investment made out of DLI fund and deposited in Public Account as on 01.04.2023	412.30
4.	Investment made out of Insurance Fund during the year 2023-24	30.92
5.	Total investment made from insurance fund as on 31.03.2024	443.22

3.5 The cost of administration of the Deposit Linked Insurance Scheme is borne by the employers, who contribute 0.1% of the aggregate wages for the purpose. The Government is also required to contribute 50% of the employer's contribution for this purpose i.e. 0.05% of the aggregate wage. No separate staff is employed for the Scheme. Proportionate share of expenditure on common items is charged to the scheme.

3.6 Coal Mines Pension Schemes & Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme.
(Rs. in crores)

Object Head	Actual 2023-24
CMDLI Scheme (Employer Contribution)	0.00
CMDLI Scheme (Govt. Contribution)	0.00
CMDLI Scheme (Adm. charge)	0.07
CMDLI Adm. Charge (Govt. Contribution)	0.00
Coal Mines Pension Scheme (Contribution)	5637.77
Coal Mines Pension Scheme (Govt. Contribution)	10.64
Coal Mines Pension Scheme (Adm. Charge by Govt.)	00.00
Total	5648.48




कोयला खान भविष्य निधि
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
COAL MINES PROVIDENT FUND

वार्षिक विवरण 2023-24
ANNUAL REPORT 2023-24

लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर रखे जाने वाले कागजात
PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF THE LOK SABHA/ RAJYA SABHA

(अधिप्रमाणित / AUTHENTICATED)



(सतीश चंद्र दुबे / Satish Chandra Dubey)
कोयला राज्य मंत्री / Minister of State for Coal

नई दिल्ली / NEW DELHI

दिनांक / DATE

मुख्यालय : कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद - 826001 (झारखंड)
HEAD QUARTER : COAL MINES PROVIDENT FUND ORGANIZATION, DHANBAD - 826 001 (JHARKHAND)



कोयला खान भविष्य निधि

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER
COAL MINES PROVIDENT FUND

वार्षिक विवरण 2023-24

ANNUAL REPORT 2023-24

मुख्यालय : कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद - 826001 (झारखंड)

HEAD QUARTER : COAL MINES PROVIDENT FUND ORGANIZATION, DHANBAD - 826 001 (JHARKHAND)

वार्षिक लेखे 2023-24 सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्याएं
1	वार्षिक विवरण	1-27
2	भविष्य निधि मुख्य लेखा	28-40
3	भविष्य निधि प्रशासन लेखा	41-58
4	पेंशन निधि मुख्य लेखा	59-70
5	पेंशन निधि प्रशासन लेखा	71-75
6	जमा संबद्ध बीमा मुख्य लेखा	76-83
7	जमा संबद्ध बीमा प्रशासन लेखा	84-90
8	वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	91-95
9	Annual Report	96-124
10	Coal Mines Provident Fund Main Accounts	125-136
11	Coal Mines Provident Fund Administration Accounts	137-153
12	Coal Mines Pension Main Accounts	154-164
13	Coal Mines Pension Administration Accounts	165-168
14	CMDLI Fund Main Accounts	169-175
15	CMDLI Fund Administration Accounts	176-182
16	Audit Certificate (SAR)	183-187

वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट

1. प्रस्तावना:

1.1 अधिदेश:

कोयला खान भविष्य निधि संगठन को कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1948 तथा उसके अंतर्गत निर्मित योजनाएँ अर्थात् कोयला खान भविष्य निधि योजना 1948, कोयला खान पेंशन योजना 1998 तथा कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना 1976 को संचालित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

1.2 योजनाएँ एक दृष्टि में: कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948:

कोयला खान भविष्य निधि योजना मूलतः बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में 12 मई, 1947 से आरंभ की गई थी। तत्पश्चात् कोयला उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को वृद्धावस्था सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किये जाने की प्रत्यक्ष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस योजना का विस्तार पूरे देश में किया गया। यह योजना सदस्यों को कोयला उद्योग से सेवानिवृत्ति पश्चात् तथा उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके परिवार के सदस्यों को एकमुश्त लाभ प्रदान करती है। यह योजना निर्धारित प्रयोजनों के लिए सदस्य की सेवा अवधि के दौरान गैर-वसूली योग्य अग्रिम भी प्रदान करती है।

1.3 कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971:

कालान्तर में, यह अनुभव किया गया कि श्रमिक के परिवार को भविष्य निधि के रूप में दी जाने वाली एकमुश्त राशि अपर्याप्त है, विशेषतः वैसे मामलों में जब सेवाकाल में ही सदस्य की मृत्यु हो जाती है। कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1 मार्च, 1971 से लागू की गई, यह सेवाकाल में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में नियमित मासिक परिवार पेंशन प्रदान करती है। परिवार पेंशन के रूप में मासिक नियमित भुगतान के अलावा, जीवन आश्वासन लाभ के रूप में ₹ 2000/- की राशि भी भुगतान योग्य थी। यदि सदस्य सेवानिवृत्त होता था अथवा सेवा छोड़ता था तो वह सेवा की गणनायोग्य अवधि जिसे वह अपने नियोजन की अवधि के दौरान अर्जित करता था, पर आधारित ₹ 110/- से ₹ 9000/- के बीच की सीमा में एकमुश्त लाभ प्राप्त करने का हकदार होता था। कोयला खान पेंशन योजना-1998 के कार्यान्वयन होने पर कोयला खान परिवार पेंशन योजना-1971 को कोयला खान पेंशन योजना - 1998 के साथ विलय कर दिया।

1.4 कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना, 1976:

कोयला खान भविष्य निधि के सदस्यों में मितव्ययिता की आदत विकसित करने के मद्देनजर तथा उनके उत्तरजीवियों की सहायता करने के लिए, 1 अगस्त, 1976 से प्रभावी जमा सम्बद्ध बीमा योजना आरंभ की गई। किसी कर्मचारी जो कोयला खान भविष्य निधि का सदस्य हो, की मृत्यु हो जाने पर, वह व्यक्ति जो उक्त दिवंगत के भविष्य निधि संचय को पाने का हकदार है, पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला खान भविष्य निधि में उस दिवंगत के खाते में औसत जमाशेष के बराबर राशि जो ₹ 10,000/- से अधिक न हो, प्रदान की जाती है बशर्ते कि दिवंगत कर्मचारी के कोयला खान भविष्य निधि खाते का औसत जमाशेष पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी समय ₹ 1,000 की राशि से कम न रहा हो।

1.5 कोयला खान पेंशन योजना, 1998:

दिनांक 31 मार्च 1998 से प्रभावी कोयला खान पेंशन योजना, 1998 को लगभग 8 लाख कोयला कर्मियों के हितलाभ के लिए लागू किया गया। कोयला खान पेंशन योजना के आरंभ के साथ ही, पूर्ववर्ती परिवार पेंशन योजना, 1971 का संचालन बंद हो गया। वे परिवार पेंशनर जो पूर्ववर्ती परिवार पेंशन योजना, 1971 के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे थे, पुरानी कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के अंतर्गत अपनी परिवार पेंशन प्राप्त करना जारी रखेंगे।

2. कोयला खान पेंशन योजना, 1998:

कोयला खान भविष्य निधि संगठन के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है, कोयला खान पेंशन योजना, 1998 को आरंभ किया जाना जो केंद्र सरकार द्वारा 5 मार्च, 1998 को अधिसूचित की गई है।

कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46 वां) की धारा 3ड. द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा ऐसे अधिक्रमण से पहले कृत अथवा लुप्त की जाने वाली बातों के सिवाय कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 का अधिक्रमण करते हुए, केंद्र सरकार ने कोयला खान पेंशन योजना, 1998 का निर्माण किया है।

कोयला खान पेंशन योजना मार्च, 1998 के 31वे दिन से प्रभावी हुई है। इसके प्रवर्तन के परिणामस्वरूप, देश की विभिन्न कोयला खानों में कार्यरत, लगभग 8 लाख कोयला कर्मियों को लाभ होगा। निधि का कोष एवं इसके स्थायित्व तथा लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले हितलाभों के प्रकार नीचे दर्शाए गए हैं: -

2.1 पेंशन निधि का कोष एवं इसका स्थायित्व:

वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट

- (क) नियत तिथि अर्थात् 31/03/1998 को यथाविद्यमान कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 की शुद्ध परिसंपत्तियां।
- (ख) कर्मचारी के वेतन के दो और एक तिहाई प्रतिशत के समतुल्य राशि जो भविष्य निधि में कर्मचारी एवं नियोजक के संबंधित अंशदानों से बराबर हिस्सों का योग है, नियत दिन से कर्मचारी के भविष्य निधि से अंतरित की जाएगी।
- (ग) 1 अप्रैल, 1989 या सेवा ग्रहण करने की तारीख से, जो भी पश्चातवर्ती हो, 31 मार्च, 1996 तक कर्मचारी के **संदत्त मूल वेतन और महंगाई भत्ता** के “2 प्रतिशत” तथा 1 अप्रैल, 1996 या सेवा ग्रहण करने की तारीख से, जो भी पश्चातवर्ती हो, कर्मचारी के “काल्पनिक” वेतन के “दो प्रतिशत” के समतुल्य राशि उसके “वेतन” से अंतरित की जाएगी (शब्द वेतन को सा.का.नि. 689(ड.) दि. 29.08.2000 के आलोक में शब्दों **मूल वेतन और महंगाई भत्ता** द्वारा प्रतिस्थापित किया गया)।
- (घ) 1 जुलाई, 1995 या सेवा ग्रहण करने की तारीख को, जो भी पश्चातवर्ती हो, कर्मचारी के वेतन के आधार पर संगणित की जाने वाली एक वेतन वृद्धि के समतुल्य राशि, जो 1 जुलाई, 1995 या सेवा ग्रहण करने की तारीख से, जो पश्चातवर्ती हो, कर्मचारी के वेतन से अंतरित की जाएगी।
- (ड.) नियत दिन से केंद्र सरकार द्वारा अभिदाय की जाने वाली कर्मचारी के वेतन के एक और दो तिहाई प्रतिशत के समतुल्य राशि का अंशदान किया जाएगा। बशर्ते कि किसी कर्मचारी की दशा में जिसका वेतन एक हजार छः सौ रुपये प्रतिमाह से अधिक है, केन्द्र सरकार द्वारा संदेय अभिदाय केवल एक हजार छः सौ रुपये प्रतिमाह के वेतन पर संदेय अधिकतम रकम के बराबर होगा।
- (च) कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के परिच्छेद 4 के उप परिच्छेद (2) तथा (4) के परंतुक के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार राशि जमा की जाएगी।
- (छ) 08 जून 2018 को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 540 (अ) के तहत 01 अक्टूबर 2017 से प्रभाव के साथ कोयला खान पेंशन योजना के अनुच्छेद 3 के खंड (ख), (ग), (घ) में वर्णित योगदान को विलोपित किया गया एवं अक्टूबर, 2017 के प्रथम दिवस अथवा कर्मचारी के सेवा ग्रहण की तिथि, जो भी पश्चातवर्ती हो, से संदेय मूल वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (वीडीए) पर कर्मचारी के वेतन के सात प्रतिशत के बराबर राशि और नियोक्ता से समान अंशदान जमा किया जाएगा।

17 फरवरी 2023 को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 119 (अ) के अनुच्छेद 5 के तहत कोयला खान पेंशन योजना-1998 के पैरा (9) के उप पैरा (2) में, पैरा 3 के “खंड (ख), (ग), (घ), (ड) और (च)”, के स्थान पर शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक के स्थान पर पैरा 3 के “खंड (ड), (च) और (छ)” शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक को रखा जाएगा।

पेंशन निधि का मूल्यांकन एक बीमांकक द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष पर किया जाएगा।

2.2 व्याप्ति/ पेंशन के लिए पात्रता :

- (क) सभी कर्मचारी जो कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के सदस्य हैं और 31 मार्च, 1998 को नामावली पर हैं।
- (ख) वैसे सभी कर्मचारी जो 31 मार्च, 1998 को अथवा इसके बाद नियुक्त हो।
- (ग) विकल्प देने वाले वैसे सभी सदस्य जिन्होंने प्रपत्र पीएस-1 अथवा पीएस-2 जैसा भी मामला हो, में पेंशन निधि की सदस्यता के लिए विकल्प दिया हो।
- (घ) वैसे सभी सदस्य जिनकी मृत्यु अप्रैल, 1994 के पहले दिन को अथवा इसके बाद तथा नियत तिथि अर्थात् 31.03.1998 के बीच हुई हो, उनके संबंध में यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने अपनी मृत्यु तिथि तक इस योजना में सम्मिलित होने का विकल्प दे दिया है।
- (ड.) दिनांक 01.04.1994 से 07.10.2002 तक के सीसीएलएसपीएफ/ सीएमएलएसपीएफ के सभी मृत सदस्यों तथा वे जो 08.10.2002 तक नामावली पर हैं एवं सीएमपीएस- 98 के अंतर्गत समाविष्ट हैं सिवाय उनके जिन्होंने सीएमपीएस- 98 का सदस्य बनने के लिए विकल्प नहीं दिया।

2.3 हितलाभ:

(क) मासिक पेंशन/ अधिवर्षिता/ सेवानिवृत्ति पेंशन:

- (i) कोई कर्मचारियों जो पेंशनयोग्य सेवा के तीस वर्ष पूरे करने के बाद अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त हुए हों, उन्हें प्रतिमाह औसत उपलब्धियों के 25 प्रतिशत अथवा राशि जो ₹ 1000/- से कम न हो।

वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट

- (ii) कोई कर्मचारियों जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त हुए हों और पेंशनयोग्य सेवा तीस वर्ष से कम हो किन्तु दस वर्ष पूरे कर लिए हैं, उन्हें निम्नलिखित आधार पर अवधारित पेंशन प्राप्त होगी।

पेंशन योग्य सेवा की अवधि

----- X औसत उपलब्धियों का 25 प्रतिशत

30

- (iii) यदि किसी कर्मचारी जिसने पेंशनी सेवा के 10 वर्ष पूरे कर लिए हों और जो **बीस वर्ष की अवधि के भीतर अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेगा*** एवं अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पूर्व सेवानिवृत्त होने का विकल्प देता है, वहां ऐसे कर्मचारी को संदेय मासिक पेंशन की रकम कोयला खान पेंशन योजना, 1998 की अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट आधार पर निर्धारित की जाएगी।

* भारत का राजपत्र सा.का.नि. 119(क) दिनांक 17 फरवरी 2023 के अनुच्छेद 6 द्वारा हुए संशोधन के अनुसार कोयला खान पेंशन योजना के पैरा 10 में, उप पैरा(3) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा को रखा जाएगा, अर्थात:-

“जहां एक कर्मचारी ने दस वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूरी कर ली है और पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, वहां ऐसे कर्मचारी को देय मासिक पेंशन की रकम अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट आधार पर निर्धारित की जाएगी।”

- (iv) जहां किसी कर्मचारी ने अधिवर्षिता आयु की प्राप्ति पर पेंशनयोग्य सेवा के 10 वर्ष पूरे नहीं किए हों अथवा सेवा छोड़ने के लिए विकल्प देता हो, अथवा पेंशनयोग्य सेवा के 10 वर्ष पूरे होने से पहले उसकी सेवाएं समाप्त की गई हों अथवा वह निःशक्त हो जाए, वैसे कर्मचारी को पेंशन का लाभ देय नहीं होगा और उन्हें पेंशन अंशदान की वापसी के रूप में भुगतान योग्य रकम का निर्धारण कोयला खान पेंशन योजना, 1998 की अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट के आधार पर किया जाएगा।

(ख) निःशक्तता पेंशन:

जहां कोई कर्मचारी दस वर्ष पेंशनी सेवा करने के पश्चात अपने सेवाकाल के दौरान शारीरिक या मानसिक शैथिल्य के कारण स्थायी रूप से विकलांग या निःशक्त हो जाता है और किसी सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है वहां वह निःशक्तता पेंशन के लिए हकदार होगा, जिसकी संगणना उसकी औसत उपलब्धियों के पच्चीस प्रतिशत की दर पर की जाएगी या जो एक हजार रूपए प्रतिमास से कम नहीं होगी।

(ग) मासिक विधवा या विधुर पेंशन:

- (i) किसी कर्मचारी की अधिवर्षिता/ सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु पर भुगतान योग्य विधवा अथवा विधुर पेंशन उस मासिक पेंशन के 60 प्रतिशत के बराबर होगी जो सदस्य अपनी मृत्यु की तारीख तक आहरित कर रहा था, जो न्यूनतम ₹ 1000/- प्रतिमाह होगी।

- (ii) किसी कर्मचारी की अधिवर्षिता आयु प्राप्ति से पहले सेवाकाल में उसकी मृत्यु पर उसकी/उसका विधवा अथवा विधुर उस कर्मचारी की उस मासिक पेंशन के 66.6 प्रतिशत के बराबर पेंशन प्राप्त करेगी/करेगा जिसके लिए वह मृत्यु के दिन से पर हकदार होता/होती जो न्यूनतम ₹ 1000/- प्रतिमाह होगी।

* भारत का राजपत्र सा.का.नि. 165(अ) दिनांक 8 मार्च 2024 के द्वारा हुए संशोधन के अनुसार कोयला खान पेंशन योजना के पैरा 10 उप पैरा (1), पैरा 11, पैरा 12 के उप पैरा (3) व उप पैरा (4) को संशोधित कर क्रमशः “तीन सौ पचास”, “तीन सौ पचास”, “दो सौ पचास” व “तीन सौ बीस” के स्थान पर “एक हजार” शब्द रखे जायेंगे।

(घ) बाल पेंशन:

- (1) किसी कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उसकी मृत्यु की तारीख के अगली तारीख से, उत्तरजीवी पत्नी/पति के साथ-साथ, उनके ज्येष्ठतम पुत्र अथवा अविवाहित पुत्रियाँ में से दो, जैसा भी मामला हो, जब तक पुत्र 25 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त कर लेते अथवा अविवाहित पुत्रियों के मामले में उनके विवाह की तारीख तक अथवा जो भी पहले हो, बाल पेंशन के हकदार होंगे।
- (2) किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद भुगतान योग्य मासिक पेंशन की राशि प्रत्येक पुत्र अथवा पुत्री के लिए जैसा भी मामला हो, विधवा अथवा विधुर पेंशन की राशि के 25 प्रतिशत के बराबर होगी जो प्रत्येक संतान के लिए ₹100/- प्रतिमाह से कम नहीं होगी।
- (3)* किसी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात, यथा स्थिति, उसका/उसकी मृत्यु की तारीख के पश्चात की तारीख से, ऐसे मृत व्यक्ति के स्थायी रूप से और पूर्ण रूप से दिव्यांग पुत्र या पुत्री, आजीवन या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में, नियमित रोजगार प्राप्त करने तक दिव्यांगता पेंशन का हकदार होगा और किसी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात

वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट

देय मासिक दिव्यांगता पेंशन की राशि प्रत्येक यथा स्थिति दिव्यांग पुत्र या पुत्री के लिए विधवा या विधुर पेंशन की रकम के पच्चीस प्रतिशत के बराबर या प्रत्येक दिव्यांग बालक या अनाथ के लिए एक सौ दस रूपये से कम नहीं होगी

- * भारत का राजपत्र सा.का.नि. 4336(अ) दिनांक 4 अक्टूबर 2023 के द्वारा हुए संशोधन के अनुसार कोयला खान पेंशन योजना के पैरा 13 में, उप पैरा (3) अंतःस्थापित किया जाएगा।

(इ) अनाथ पेंशन

- (i) यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु के समय उत्तरजीवी विधवा अथवा विधुर न हो, तो उसकी मृत्यु की तारीख की अगली तारीख से या अन्यथा विधवा/विधुर की मृत्यु की तारीख के पश्चात यथास्थिति, उनके दो ज्येष्ठतम पुत्र अथवा अविवाहित पुत्रियों जब तक पुत्र 25 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त कर लेते अथवा अविवाहित पुत्रियों की दशा में उनके विवाह की तारीख तक, जो भी पहले हो, बाल पेंशन के स्थान पर अनाथ पेंशन के हकदार होंगे।
- (ii) किसी कर्मचारी अथवा विधवा/विधुर की मृत्यु के बाद संदेय मासिक अनाथ पेंशन की राशि विधवा/विधुर पेंशन की राशि के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी जो प्रत्येक अनाथ के लिए ₹110/- प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

3. महत्वपूर्ण विकास एवं निष्पादन:

3.1 न्यासी बोर्ड की बैठकें:

उक्त निधि, सीएमपीएफ अधिनियम, 1948 की धारा 3क के अंतर्गत गठित कोयला खान भविष्य निधि के न्यासी परिषद में निहित है। प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान न्यासी बोर्ड की तीन बैठक दिनांक 27.09.2023(178वीं), 24.11.2023(179वीं विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा) और 22.02.2024(180 वीं) को आयोजित की गई।

3.2 अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के दौरान कोयला खान पेंशन योजना, 1998 में संशोधन:

भारत का राजपत्र सा.का.नि. 4336(अ) दिनांक 4 अक्टूबर 2023 एवं भारत का राजपत्र सा.का.नि. 165(अ) दिनांक 8 मार्च 2024 के द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान मौजूदा कोयला खान पेंशन योजना, 1998 में संशोधन किया गया है।

3.3 अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के दौरान कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948 में संशोधन:

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948 में किसी प्रकार को कोई संशोधन नहीं किया गया है।

3.4 कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के अंतर्गत पेंशन वितरण:

सीएमपीएस' 98 के तहत सभी पात्र पेंशनरों को पेंशन के सुचारू और समय पर भुगतान के लिए नामित राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ समझौता किया गया था।

3.5 राजभाषा का कार्यान्वयन:

संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में और जागरूकता पैदा करने के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार संगठन में दिनांक 14.09.2023 से 29.09.2023 तक "राजभाषा पखवाड़ा" का आयोजन मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों में किया गया। इस दौरान राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए:-

- i. इस दौरान कुल 6 प्रतियोगिताएँ- निबंध प्रतियोगिता, हिंदी कंप्यूटर टंकण प्रतियोगिता, टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता, प्रश्न-मंच प्रतियोगिता, काव्य-पाठ प्रतियोगिता तथा आशु-भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- ii. मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय धनबाद-I व धनबाद-II के कुल 190 कर्मचारियों को हिंदी युनिकोड का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- iii. दिनांक 6-7 दिसंबर 2023 को क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रतिनिधियों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला-सह-राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें बी.सी.सी.एल. के राजभाषा अधिकारी श्री दिलीप सिंह, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में पदस्थापित श्री धर्मेन्द्र, प्रवर्तन अधिकारी तथा मुख्यालय में राजभाषा विभाग के प्रभारी श्री नफीस आलम, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा संघ की राजभाषा नीति, संसदीय राजभाषा समिति की प्रश्नावली भरना, ऑनलाईन प्रगति रिपोर्ट, हिंदी यूनीकोड विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- iv. संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता माननीय आयुक्त महोदय द्वारा स्वयं की गई।

वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट

- v. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा पूर्व क्षेत्र में राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु कोयला खान भविष्य निधि संगठन को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया जिसे 8 मार्च 2024 को सिलीगुड़ी में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में आयुक्त महोदय द्वारा गृह राज्य मंत्री श्री निशीथ प्रामाणिक जी से प्राप्त किया।
- vi. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, धनबाद द्वारा भी कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद को राजभाषा कार्यान्वयन हेतु तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

4. वर्ष, एक दृष्टि में:-

निम्नलिखित आंकड़े वर्ष 2023-24 के दौरान संगठन के कार्य निष्पादन को प्रस्तुत करते हैं।

4.1	समाविष्ट इकाइयां	वर्ष 2023-24 के दौरान	वर्ष की समाप्ति पर
	i) समाविष्ट कोयला खानों, सहायक संगठन सहित		798
4.2	अंशदाताओं की संख्या		
	i) कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948		334091
	ii) कोयला खान पेंशन योजना, 1998		359951
4.3	प्राप्त अंशदान		(करोड़ में)
	i) भविष्य निधि अंशदान (सदस्य तथा नियोजक के अंश)	9926.86	
	ii) पेंशन अंशदान	5637.77	
	iii) पेंशन निधि में सरकार का अंशदान	10.64	
	iv) डीएलआई अंशदान (नियोक्ता अंशदान केवल)	0	
	v) डीएलआई निधि में सरकार का अंशदान	0	
4.4	केवल कोयला खान भविष्य निधि के लिए बकाया अंशदान		
	i) राष्ट्रीयकरण-पूर्व अवधि के लिए		
4.5	वैयक्तिक लेजर में प्रविष्ट अंशदान इकाई		
	i) "व्ही.व्ही." विवरणी से	798	
	ii) उच्चत से	शून्य	
4.6	प्रविष्टियों का प्रतिशत	2023-24	
	i) "व्ही.व्ही." विवरणी से	--	
4.7	निवल निवेश (अंकित मुल्य)	वर्ष 2023-24 के दौरान	वर्ष की समाप्ति पर
	i) कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948	7748.65	121582.29
	ii) कोयला खान पेंशन योजना, 1998 (लोक खाते को मिलाकर)	2176.55	22264.57
	iii) कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना	30.92	443.22
4.8	सदस्यों को स्वीकृत ब्याज दर	7.6%	
4.9	भविष्य निधि की धनवापसी के लिए दावों का निष्पादन		
	i) निष्पादित दावे	24397	17,78,797
	ii) लंबित दावे		184
	iii) भुगतान की गई राशि (करोड़ में)	9,918.24	1,11,146.21

वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट

4.10		भविष्य निधि से अग्रिम के लिए दावों का निष्पादन		
	i)	विवाह अग्रिम के लिए दावे	1708	564126
	ii)	मैट्रिकुलेशन उपरांत शिक्षा अग्रिम के लिए दावे	166	22597
	iii)	गृह निर्माण अग्रिम के लिए दावे	832	256501
4.11		अग्रिम के लिए लंबित दावे		
	i)	विवाह अग्रिम दावे		24
	ii)	मैट्रिकुलेशन उपरांत शिक्षा अग्रिम दावे		6
	iii)	गृह निर्माण अग्रिम दावे		10
4.12		भुगतान की गई अग्रिम की राशि (करोड़ में)	वर्ष 2023-24 के दौरान	वर्ष की समाप्ति पर
	i)	विवाह अग्रिम दावे	122.16	3890.11
	ii)	मैट्रिकुलेशन उपरांत शिक्षा अग्रिम दावे	4.33	171.15
	iii)	गृह निर्माण अग्रिम दावे	138.06	6906.24
	iv)	बीमा पॉलिसियों का वित्तपोषण		
4.13		कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के अंतर्गत दावों का निष्पादन		
	i)	परिवार पेंशन के निष्पादित दावे	0	
	ii)	अन्य हितलाभों के निष्पादित दावे	0	
	iii)	परिवार पेंशन के लंबित दावे	0	
	iv)	अन्य लाभों के लंबित दावे	0	
	v)	परिवार पेंशन एवं अन्य लाभों की भुगतान की गई राशि (₹ करोड़ में)	--	
4.14		कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के अंतर्गत दावों का निष्पादन		
	i)	निष्पादित दावे	26796	716261
	ii)	लंबित दावे		475
	iii)	भुगतान की गई राशि, परिवार पेंशन सहित (₹ करोड़ में)	5427.74	
4.15		कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना के अंतर्गत दावों का निष्पादन		
	i)	जमा संबद्ध बीमा के निष्पादित दावे	0	389
	ii)	जमा संबद्ध बीमा के लंबित दावे	0	0
	iii)	भुगतान की गई राशि	0	1.795 करोड़

5. कोयला खान भविष्य निधि योजना :

5.1 व्याप्ति एवं सदस्यता:

कोयला खान भविष्य निधि योजना का विस्तार पहले से ही सभी कोयला धारक राज्यों तक किया जा चुका है, और अधिक क्षेत्रीय विस्तार की तब तक गुंजाइश नहीं है जब तक नए कोयला धारक क्षेत्र प्रकाश में नहीं आते हैं।

5.2 पिछले वर्ष नामांकित 11709 सदस्यों की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान, कुल 12021 कर्मचारी कोयला खान भविष्य निधि के नए सदस्यों के रूप में नामांकित किए गए। उक्त वर्ष के दौरान इस निधि से बहिर्गमन का परिमाण 24397 था। कुल 67 लेजर कार्ड का अंतर पाया गया है जो दो क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच कार्ड अंतरण के दौरान रिकॉर्ड में नहीं हो सकते हैं। चूंकि बहिर्गमन नामांकन की तुलना में अधिक है, अतः वर्ष 2023-24 के दौरान निधि की जीवित सदस्यता 3,46,534 से घटकर 3,34,091 रह गई।

वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट

5.3 समाविष्ट इकाइयों का क्षेत्रवार वर्गीकरण तथा उक्त वर्ष की समाप्ति पर जीवित सदस्यता को नीचे दर्शाया गया है:-

क्षेत्रीय कार्यालय	कोक संघर्षों के अलावा समाविष्ट इकाइयों की संख्या	कोक संघर्षों के अलावा इकाइयों में जीवित सदस्यता
धनबाद-I	61	13927
धनबाद-II	43	12773
आसनसोल-I	33	14730
आसनसोल-II	35	15118
आसनसोल-III	44	13616
रांची-I	56	16339
रांची-II	56	18869
जबलपुर	52	25320
छिंदवाड़ा	30	8290
बिलासपुर	54	40723
नागपुर	68	31360
सिंगरौली	19	25068
गोदावरीखानी	129	40491
कोथागुडम	46	13095
कोलकाता	3	531
तालचर	33	17934
संबलपुर	20	14410
देवघर	4	4561
माग्गेरिटा	5	5233
नई दिल्ली	7	1703
जोड़:-	798	334091

6. निवेश :

6.1 पिछले वर्ष के ₹ 5175.52 करोड़ की तुलना में उक्त वर्ष के दौरान निवल अतिरिक्त निवेश का अंकित मूल्य ₹ 7748.65 करोड़ था। इस प्रकार कोयला खान भविष्य निधि निवेश का कुल अंकित मूल्य जैसा नीचे विवरण में दर्शाया गया है, 31.03.2024 को ₹113833.64 करोड़ से बढ़कर ₹ 121582.29 करोड़ हो गया: -

	(₹ करोड़ में)
31.03.2023 के अनुसार निवेश का कुल अंकित मूल्य	1, 13, 833.64
घटाएं: परिपक्व प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य, जिन पर 2023-24 के दौरान वृद्धि की रकम प्राप्त हुई	7,389.01
शेष :-	1, 06,444.63
जोड़ें: 2023-24 में किए गए निवेश का अंकित मूल्य	15,137.66
31.03.2024 के अनुसार निवेश का कुल अंकित मूल्य	1, 21, 582.29

6.2 31.03.2024 के अनुसार विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों में संपूर्ण निवेश की निधि का वर्गीकरण निम्नलिखित है: -

प्रतिभूति प्रकार	अंकित मूल्य (₹ करोड़ में)	खाता मूल्य (₹ करोड़ में)
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	13,571.28	13,724.43
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	45,116.34	45,580.89
पी.एस.यू.	36,634.96	36,859.73
विशेष जमा योजना	16,522.50	16,522.50
एसटीजी	1,614.10	1,627.30
निजी क्षेत्र के बॉण्ड	3,094.23	3,114.75
यूएलएफ	221.49	221.49
ई.टी.एफ	4,807.39	4,807.39
जोड़ :-	121,582.29	122,458.48

वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट

7. ब्याज:

कोयला खान भविष्य निधि योजना के परिच्छेद 61 (1) के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निधि में उनके संचय पर सदस्यों को भुगतान योग्य ब्याज दर न्यासी बोर्ड के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित करना होता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु न्यासी बोर्ड की अनुशंसा पर निधि के सदस्यों को भुगतान योग्य ब्याज दर 7.6 प्रतिशत प्रति वर्ष निर्धारित की गई है जिसका सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन है।

8. सदस्यों के खातों में अंशदानों की प्रविष्टि:

8.1 प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान सदस्यों का अंशदान 31.03.2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए उनके खातों में चढ़ाया गया। इसे “व्ही.व्ही.” फार्म के आधार पर आवश्यक जांच के बाद करना पड़ता है।

8.2 वर्ष 2023-24 के दौरान, 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय अवधि की “व्ही.व्ही.” विवरणी के अनुसार 798 इकाइयां उपलब्ध थीं।

8.3 प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान उचित सामान्य खाते में भविष्य निधि अंशदानों की निवल प्राप्ति ₹ 9926.86 करोड़ थी। यह राशि “व्ही.व्ही.” विवरणी की प्राप्ति पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निकासी के लिए निश्चित रहेगी।

8.4 वर्ष 2023-24 के दौरान व्यक्तिगत सदस्य के खाते में जमा किए जाने हेतु उचित सामान्य खाते में भविष्य निधि अंशदानों की निवल प्राप्ति ₹ 9926.86 करोड़ थी। वास्तव में यह राशि वर्ष 2023-24 के दौरान समाप्त वित्त अवधि 03/2024 के लिए वैयक्तिक खातों में प्रविष्टि हेतु शेष थी। उस वर्ष के दौरान राशि की कुल प्राप्ति में निम्नलिखित सम्मिलित थे:

	(₹ करोड़ में)
i. कोयला कम्पनियों से भविष्य निधि अंशदानों की प्राप्ति	9,811.45
ii. भुगतान आयुक्त से मुआवजे की प्राप्ति	0.00
iii. अन्य स्थापनाओं से भविष्य निधि अंशदान का अंतरण	0.00
iv. अवर्गीकृत राशि	0.00
v. ऐच्छिक अंशदान	115.41
जोड़ :-	9926.86

9. पासबुक निर्गमन:

9.1 सभी जीवित सदस्यों के मामले में ऑनलाईन पासबुकों का आरम्भिक निर्गमन पूरा कर लिया गया है सिवाय उनके जो मुद्रा कालांत 3/2024 के लिए उचित में हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान 3,08,035 की संख्या में ऑनलाईन पासबुक अद्यतित/निर्गमित की गई और शेष ऑनलाईन पासबुकों को बहुत जल्द अद्यतित करना संभाव्य है।

10. कानूनी कार्रवाई:

10.1 अंशदानों को जमा करने में चूक तथा विलम्ब के लिए, दोषी व्यक्तियों/फर्म के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के तीन प्रकार निहित हैं, ये हैं, कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 10 च के अंतर्गत नुकसान की उगाही, धारा 10 क के अंतर्गत वसूली कार्रवाई की शुरुआत तथा उक्त की धारा 9 के अंतर्गत आपराधिक अभियोग। नुकसान की उगाही के लिए इसकी मात्रा का निर्धारण उक्त अधिनियम की धारा 7 ख के अंतर्गत अर्द्ध-न्यायिक कार्रवाई के जरिए करना होता है।

10.2 मेसर्स जम्मू एवं कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड पीएफ एवं पेंशन के संबंध में अंशदान का भुगतान नहीं कर रहा था। 31.03.2024 तक कंपनी पर लगभग ₹ 56.77 करोड़ की राशि बकाया थी।

11. धनवापसी के लिए दावों का निष्पादन:

11.1 कोयला खान भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत करने से पहले निधि वापसी के लिए दावों की जांच हेतु कोयला कंपनियों को एक जांच सूची भेजी गई। यदि जांच ध्यानपूर्वक की जाए तो सभी दावों को पूर्ण सूचनाओं तथा दस्तावेजों के साथ प्राप्त होना चाहिए। दुर्भाग्यवश, इस जांच सूची पर अभी भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना प्रतीत होता है जिसके परिणामस्वरूप अभी भी बड़ी संख्या में अपूर्ण दावे प्राप्त हो रहे हैं। परिणामतः वांछित सूचना/दस्तावेज प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है, जो दावों के निष्पादन में विलम्ब का कारण बनता है। पूर्ण दावों की प्रस्तुति का परिमाण नीचे इंगित किया गया है :-

वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट

वर्ष	प्राप्त पूर्ण दावों की सं०	प्राप्त अपूर्ण दावों की सं०	जोड़	प्राप्त अपूर्ण दावों का कुल प्रतिशत
2021-2022	24748	5220	29968	17.41%
2022-2023	24678	6235	30913	20.16%
2023-2024	22606	3222	25828	12.47%

सामान्यतः दावे निम्नलिखित कारणों से अपूर्ण होते हैं:-

- (i) प्रबंधन द्वारा सदस्यों के पहचान प्रमाण पत्र नहीं भेजे जाते हैं।
- (ii) मृत्यु संबंधी दावों के साथ अपेक्षित दस्तावेज नहीं भेजे जाते हैं।
- (iii) निधि वापसी के लिए आवेदन पत्रों में नियोक्ता द्वारा दर्ज की जाने वाली सभी अपेक्षित सूचनाएं अभिलेखों की जांच कर सही रूप में नहीं दी जाती हैं।
- (iv) सदस्यों के बैंक खाते जिनमें यह राशि भेजी जाती है, उन्हें ठीक प्रकार से नहीं दर्शाया जाता है।
- (v) निधि वापसी के आवेदन के साथ अग्रिम टिकट रसीद नहीं भेजी जाती है।
- (vi) नाम/किसी भी तरह के खाते में विसंगतियों को सही ढंग से व्यंजित नहीं किया जाता है।

11.2 पूर्ण सूचना/दस्तावेजों के साथ दावों के प्रस्तुत करने की आवश्यकता को बार-बार कोयला कंपनियों के ध्यान में लाया गया है और क्षेत्र स्तर पर समन्वय समिति की बैठकों तथा सम्मिलित स्तरों की अन्य बैठकों में इस पर जोर दिया गया है। सरकार ने भी कोयला कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया है कि भेजने से पहले सभी दावों की उचित ढंग से जांच की जाए और उन्हें पूर्ण सूचनाओं के साथ भेजा जाए।

11.3 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 24397 दावे निष्पादित किए गए और ₹ 9918.24 करोड़ का भुगतान किया गया। 31.03.2024 को संचयी लंबित मामले 184 थी।

	पूर्ण दावे	अपूर्ण दावे	जोड़
01.04.2023 के अनुसार लंबित दावों की संख्या	14	545	559
2023-24 के दौरान प्राप्त दावों की संख्या	22606	3222	(+) 25828
2023-24 के दौरान निष्पादित दावों की संख्या	22522	1875	(-) 24397
2023-24 के दौरान अस्वीकृत/बंद किए गए दावों की संख्या	94	1712	(-) 1806
31.03.2024 के अनुसार लंबित दावों की संख्या	3	181	184

11.4 निधि वापसी से संबंधित उपरोक्त दावों का क्षेत्रवार वर्गीकरण नीचे दिखाया गया है: -

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	आदि शेष	प्राप्ति	जोड़	निष्पादित	बंद/ अस्वीकृत दावे	लंबित दावे
1	धनबाद-I	32	1576	1608	1458	132	18
2	धनबाद-II	20	1507	1527	1436	29	62
3	आसनसोल-I	4	1289	1293	1193	98	2
4	आसनसोल-II	1	876	877	807	69	1
5	आसनसोल-III	11	1042	1053	1040	9	4
6	रांची-I	63	834	897	637	257	3
7	रांची-II	106	1522	1628	1218	396	14
8	जबलपुर	61	2022	2083	1993	72	18
9	छिंदवाड़ा	6	648	654	649	4	1
10	बिलासपुर	15	4058	4073	3887	181	5
11	नागपुर	13	2078	2091	2077	0	14
12	सिंगरौली	177	1409	1586	1322	240	24
13	गोदावरीखानी	2	2501	2503	2347	149	7
14	कोथागुडम	0	1065	1065	1001	64	0
15	कोलकाता	0	197	197	171	26	0
16	तालचर	42	1215	1257	1221	36	0

वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट

17	संबलपुर	4	1681	1685	1647	30	8
18	देवघर	0	174	174	160	14	0
19	मारगेरिटा	2	108	110	107	0	3
20	नई दिल्ली	0	26	26	26	0	0
	जोड़:-	559	25828	26387	24397	1806	184

11.5 31.03.2024 के अनुसार लंबित दावों का क्षेत्रवार वर्गीकरण नीचे दिखाया गया है:-

क्षेत्रीय कार्यालय	31.03.2024 के अनुसार लंबित पूर्ण दावों की संख्या	31.03.2024 के अनुसार लंबित अपूर्ण दावों की संख्या	जोड़
धनबाद-I	0	18	18
धनबाद-II	0	62	62
आसनसोल-I	2	0	2
आसनसोल-II	0	1	1
आसनसोल-III	0	4	4
रांची-I	0	3	3
रांची-II	0	14	14
जबलपुर	0	18	18
छिंदवाड़ा	1	0	1
बिलासपुर	0	5	5
नागपुर	0	14	14
सिंगरौली	0	24	24
गोदावरीखानी	0	7	7
कोथागुडम	0	0	0
कोलकाता	0	0	0
तालचर	0	0	0
संबलपुर	0	8	8
देवघर	0	0	0
मारगेरिटा	0	3	3
नई दिल्ली	0	0	0
जोड़:-	3	181	184

11.6 भविष्य निधि दावों के निष्पादन की तुलनात्मक स्थिति नीचे दिखायी गयी है: -

वर्ष	निष्पादित दावों की संख्या
2021-2022	28535
2022-2023	29605
2023-2024	24397

11.7 2023-24 में धननिकासी के लिए निष्पादित दावों का प्रयोजन के अनुसार विश्लेषण नीचे दिखाया गया है: -

निकासी के कारण	निष्पादित दावों की संख्या
ऐच्छिक सेवानिवृत्ति	732
मृत्यु	2915
सेवानिवृत्ति	14180
पद त्याग/त्याग पत्र	4200
स्थायी अक्षमता	993
छंटनी	121
दूसरे उद्योगों में स्थानांतरण/अन्य देशों में प्रवास	0
आवधिक षर्त अनुबंध की समाप्ति	1217
ऐच्छिक अंशदान की निधिवापसी	39

वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट

अन्य	0
जोड़ :-	24397

12. विवाह अग्रिम:

12.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 1708 सदस्यों को उनके विवाह तथा उनके पुत्रों/पुत्रीयों/आश्रित बहनों के विवाह में खर्च करने के लिए ₹ 122.16 करोड़ की राशि भुगतान की गयी। उक्त वर्ष के दौरान विवाह अग्रिम दावों की प्राप्ति, निष्पादन तथा अनिर्णय नीचे दर्शाये गये हैं:-

01.04.2023 के अनुसार लंबित विवाह अग्रिम आवेदनों की संख्या	29
2023-24 के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या	(+) 1723
योग:-	1752
2023-24 के दौरान निष्पादित दावों की संख्या	(-) 1708
शेष:-	44
2023-24 के दौरान बंद किये गये/अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	(-) 20
31.03.2024 के अनुसार लंबित आवेदनों की संख्या	24

12.2 वर्ष 2023-24 के दौरान निष्पादित तथा 31.03.2024 तक लंबित विवाह अग्रिम दावों का क्षेत्रवार वर्गीकरण नीचे दर्शाया गया है:-

क्षेत्रीय कार्यालय	स्वयं विवाह अग्रिम		पुत्री विवाह अग्रिम		पुत्र विवाह अग्रिम		बहन विवाह अग्रिम		जोड़	
	निष्पादित	लंबित	निष्पादित	लंबित	निष्पादित	लंबित	निष्पादित	लंबित	निष्पादित	लंबित
धनबाद-I	1	0	77	0	8	0	0	0	86	0
धनबाद-II	0	0	162	3	13	0	1	0	176	3
आसनसोल-I	0	0	44	0	42	0	4	0	90	0
आसनसोल-II	0	0	36	0	20	0	4	0	60	0
आसनसोल-III	1	0	25	0	20	0	2	0	48	0
रांची-I	0	0	24	0	8	0	1	0	33	0
रांची-II	0	0	58	0	22	0	20	0	100	0
जबलपुर	0	0	120	0	31	0	0	0	151	0
छिंदवाड़ा	3	0	36	0	23	0	8	0	70	0
बिलासपुर	0	0	144	0	21	0	3	0	168	0
नागपुर	1	0	84	0	45	0	5	0	135	0
सिंगरौली	1	0	22	6	13	14	2	1	38	21
गोदावरीखानी	0	0	296	0	42	0	0	0	338	0
कोथागुडम	0	0	108	0	0	0	0	0	108	0
कोलकाता	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0
तालचर	1	0	15	0	3	0	1	0	20	0
संबलपुर	4	0	46	0	12	0	11	0	73	0
देवघर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मारगेरिटा	0	0	4	0	1	0	3	0	8	0
नई दिल्ली	0	0	1	0	2	0	0	0	3	0
जोड़:-	12	0	1305	9	326	14	65	1	1708	24

13. गृह निर्माण अग्रिम:

13.1 समीक्षाधीन वर्ष में 832 सदस्यों को आवासीय घर/स्थल खरीदने तथा आवासीय घर बनाने के लिए ₹ 138.06 करोड़ की राशि भुगतान की गयी। 31.03.2024 के अंत तक 2,56,501 सदस्यों को इस मद में गृह निर्माण अग्रिमों का भुगतान किया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान गृह निर्माण अग्रिम दावों की प्राप्ति, निष्पादन तथा अनिर्णय का विवरण नीचे दर्शाया गया है: -

01.04.2023 को लंबित गृह निर्माण अग्रिम आवेदनों की संख्या	14
2023-24 के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या	(+) 844
जोड़:-	858
2023-24 के दौरान आवेदनों की संख्या जिन पर अग्रिम का भुगतान किया गया	(-) 832

वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट

शेष :-	26
2023-24 के दौरान अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	(-)16
31.03.2024 के अनुसार लंबित आवेदनों की संख्या	10

13.2 गृह निर्माण अग्रिम दावों के निष्पादन की तुलनात्मक स्थिति निम्नलिखित है:-

	2021-22	2022-23	2023-24
प्राप्त आवेदनों की संख्या	2298	2335	844
मामलों की संख्या जिनमें गृह निर्माण अग्रिम का भुगतान हुआ	2271	2308	832
वर्ष की समाप्ति पर लंबित मामलों की संख्या	20	14	10
वर्ष के दौरान भुगतान की गयी राशि (₹ करोड़ में)	298.89	311.10	138.06

13.3 वर्ष 2023-24 के दौरान निष्पादित तथा 31.03.2024 तक लंबित गृह निर्माण अग्रिम दावों का क्षेत्रवार वर्गीकरण नीचे दिखाया गया है: -

क्षेत्रीय कार्यालय	2023-24 के दौरान निष्पादित दावों की संख्या	31.03.2024 के अनुसार लंबित दावों की संख्या
धनबाद-I	0	0
धनबाद-II	0	0
आसनसोल-I	0	0
आसनसोल-II	0	0
आसनसोल-III	0	0
रांची-I	1	0
रांची-II	2	0
जबलपुर	95	0
छिंदवाड़ा	85	0
बिलासपुर	29	0
नागपुर	66	0
सिंगरौली	28	10
गोदावरीखानी	361	0
कोथागुडम	128	0
कोलकाता	0	0
तालचर	11	0
संबलपुर	25	0
देवघर	0	0
मारगेरिटा	0	0
नई दिल्ली	1	0
जोड़:-	832	10

14. बच्चों की मैट्रिकुलेशन उपरांत शिक्षा अग्रिम:

14.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 166 सदस्यों को उनके बच्चों की मैट्रिकुलेशन उपरांत शिक्षा के लिए अग्रिम के रूप में ₹ 4.33 करोड़ की राशि भुगतान की गयी। वर्ष 2023-24 के दौरान इन दावों की प्राप्ति, निष्पादन तथा अनिर्णय नीचे दर्शाए गये हैं:-

01.04.2023 को लंबित मैट्रिकुलेशन उपरांत शिक्षा अग्रिम आवेदनों की संख्या	04
2023-24 के दौरान प्राप्त आवेदन की संख्या	(+)171
योग :-	175
2023-24 के दौरान आवेदनों की संख्या जिन पर अग्रिम का भुगतान किया गया	(-) 166
शेष:-	9
2023-24 के दौरान अस्वीकृत मामलों की संख्या	(-)3

वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट

31.03.2024 के अनुसार लंबित आवेदनों की संख्या	06
--	----

14.2 मैट्रिकुलेशन उपरांत अग्रिम दावों के निष्पादन की तुलनात्मक स्थिति नीचे दर्शाई गयी है:

	2021-22	2022-23	2023-24
वर्ष के दौरान निष्पादित मैट्रिकुलेशन उपरांत शिक्षा दावों की संख्या	465	464	166
वर्ष की समाप्ति पर लंबित मैट्रिकुलेशन-उपरांत शिक्षा दावों की संख्या	7	4	6
वर्ष के दौरान भुगतान की गयी मैट्रिकुलेशन उपरांत अग्रिम की राशि (₹ करोड़ में)	9.31	11.11	4.33

14.3 वर्ष 2023-24 के दौरान निष्पादित तथा 31.03.2024 तक लंबित मैट्रिकुलेशन उपरांत अग्रिम का क्षेत्रवार वर्गीकरण निम्न प्रकार है:-

क्षेत्रीय कार्यालय	2023-24 के दौरान निष्पादित दावों की संख्या	31.03.2024 के अनुसार लंबित दावों की संख्या
धनबाद-I	0	0
धनबाद-II	44	2
आसनसोल-I	0	0
आसनसोल-II	0	0
आसनसोल-III	3	0
रांची-I	1	0
रांची-II	3	0
जबलपुर	4	0
छिंदवाड़ा	10	0
बिलासपुर	11	0
नागपुर	12	0
सिंगरौली	0	4
गोदावरीखानी	47	0
कोथागुडम	19	0
कोलकाता	0	0
तालचर	2	0
संबलपुर	9	0
देवघर	0	0
मासरोरिटा	1	0
नई दिल्ली	0	0
जोड़:-	166	6

15. सदस्यों की जीवन बीमा पॉलिसियों का वित्त पोषण:

15.1 2023-24 के दौरान सदस्यों की भविष्य निधियों से वित्त पोषण के लिए कोई नयी पॉलिसी प्राप्त नहीं हुयी। योजना के अंतर्गत एक भी दावे की प्राप्ति नहीं थी।

16. आरक्षी लेखा तथा इसकी उपयोगिता:

16.1 कोयला खान भविष्य निधि के आरक्षी लेखे में निम्नलिखित समाविष्ट हैं:

- i) **एक मुश्त अंशदान:** इसका तात्पर्य कोयला खान भविष्य निधि स्कीम के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत योजना के आरंभ में नियोक्ताओं से एक बार की विशेष लेवी से है।

वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट

- ii) **जबती:** इसका तात्पर्य उक्त निधि की 10 वर्षों की सदस्यता पूरी करने से पहले तथा 50 वर्षों की आयु पूरी करने से पहले अपनी स्वयं की इच्छा से सेवा छोड़कर बहिर्गमित सदस्यों के मामलों में नियोक्ताओं के अंशदान तथा उस पर ब्याज की जबती से है। सा.का.नि. सं0 102 दिनांक 22.01.1997 के आलोक में इस खंड का लोप कर दिया गया है।
- iii) **निधिवापसी रहित अंशदान:** इसका तात्पर्य उन क्षेत्रों में कोयला खान भविष्य निधि योजना के आरंभ से पहले पूर्ववर्ती रेवा व कोरिया राज्यों में कोलियरियों द्वारा संग्रहीत भविष्य निधि अंशदान से है और यह कामगारों को वापस नहीं होगा।
- iv) **जब्त बोनस:** इसका तात्पर्य कामगारों को देने योग्य उस बोनस से है किंतु उनके अवैध रूप से हड़ताल में भाग लेने के कारण जब्त कर लिया गया हो।
- v) **दावा रहित बोनस:** इसका तात्पर्य कामगारों को देने योग्य उस बोनस से है जिसका छः महीने से अधिक समय से भुगतान/दावा नहीं किया गया हो।
- vi) **विशेष आरक्षी खाता:** इस आरक्षी खाते का पोषण सदस्यता छोड़ने वाले सदस्यों को तथा दिवंगत सदस्यों के नामितों/उत्तराधिकारियों को सदस्यों के अंशदानों से यदि ये नियोक्ताओं द्वारा जमा नहीं किये गये हों, निधिवापसी के लिए उपरोक्त (ii) पर संदर्भित जबती से अंतरण द्वारा किया जाता है।
- vii) **आरक्षी खाते पर ब्याज:** चूंकि आरक्षी खाते में जमाशेष का भविष्य निधि के साथ निवेश किया जाता है, उस पर आनुपातिक ब्याज को आरक्षी लेखे के उपशीर्ष में सामान्य ब्याज मूल से अंतरण कर रखा जाता है।
- viii) **आरक्षी लेखा विलंब शुल्क:** इस आरक्षी खाते का निर्माण सदस्यों की उन जीवन बीमा पॉलिसियों जो सदस्यों की भविष्य निधि से प्रीमियम जमा नहीं करने के कारण समाप्त या प्रदत्त हो गई थीं, को पुर्नजीवित करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम को विलंब शुल्क के भुगतान के प्रयोजन हेतु उपर्युक्त (2) में संदर्भित जबती खाते से निधियों का अंतरण करके किया गया है।
- ix) **विविध आरक्षी खाता:** इसका तात्पर्य कुछ लघु अज्ञात जमा राशियों से है।

16.2 अभी निम्नलिखित आरक्षी खातों का उपयोग नहीं होता है:

- (i) एकमुश्त अंशदान
- (ii) रेवा एवं कोरिया के निधिवापसी रहित अंशदान
- (iii) जब्त किया गया बोनस
- (iv) विशेष आरक्षी खाता
- (v) आरक्षी खाते पर ब्याज
- (vi) विविध आरक्षी खाता

17. कोयला खान पेंशन योजना, 1998:

17.1 कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 को एक नई कोयला खान पेंशन योजना, 1998 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जो 31.3.1998 से प्रभावी होकर आरंभ हुई। कोयला खान परिवार पेंशन की संपूर्ण समग्रनिधि को कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के अंतर्गत "पेंशन निधि" में अंतरित किया गया। फिर भी, बंद कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के अंतर्गत समाविष्ट मामलों में भी भुगतान "पेंशन निधि" से किया जा रहा है।

17.2 वर्ष 2023-24 के दौरान 31.03.2024 के अनुसार कोयला खान पेंशन योजना-1998 की पेंशनर एवं जीवित सदस्यता क्रमशः 6,13,872 एवं 3,59,951 है।

वर्ष की समाप्ति पर जीवित सदस्यता का क्षेत्रवार वर्गीकरण निम्नलिखित है:

क्षेत्रीय कार्यालय	सीएमपीएस 98 अंतर्गत पेंशनर की संख्या	सीएमपीएस 98 की जीवित सदस्यता
धनबाद-I	60515	13932
धनबाद-II	71872	14160
आसनसोल-I	37253	14021
आसनसोल-II	35395	11960
आसनसोल-III	47208	14153
रांची-I	28580	18363
रांची-II	40472	12772
जबलपुर	37364	35664

वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट

छिंदवाड़ा	32658	8972
बिलासपुर	34359	44695
नागपुर	53839	30072
सिंगरौली	15152	25657
गोदावरीखानी	61340	41375
कोथागुडम	23032	14100
कोलकाता	3025	696
तालचर	9940	31525
संबलपुर	12196	19129
देवघर	4510	4818
मारगेरिटा	4272	1762
नई दिल्ली	890	2125
योग :-	613872	359951

18. अंशदान:

18.1 08 जून 2018 को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 540 (अ) के तहत 01 अक्टूबर 2017 से प्रभाव के साथ सदस्य और नियोक्ता के पूर्व में सीएमपीएस, 98 के पारा 3 (ख), (ग) और (घ) के अंतर्गत पेंशन योगदान के स्थान पर अक्टूबर, 2017 के प्रथम दिवस अथवा कर्मचारी के पदग्रहण की तिथि, जो भी बाद में हो, से संदेय मूल वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (वीडीए) पर कर्मचारी के वेतन के सात प्रतिशत के बराबर राशि और नियोक्ता से समान योगदान जमा किया जाना निर्धारित किया गया।

इससे पहले पेंशन निधि में सदस्य और नियोक्ता के अंशदान को उनके भविष्य निधि अंशदान से पृथक किया जाता था। इस पृथकता की दर कुल परिलब्धियों का 1 व 1/6 % था जो 30 नवंबर 2017 तक प्रभावी था।

सदस्यों की कुल परिलब्धियों के 1 व 2/3 % की दर से केन्द्र सरकार भी पेंशन निधि में अंशदान करती है बशर्ते कि किसी सदस्य के मामले में जिसकी कुल परिलब्धियां ₹1600/- प्रतिमाह से अधिक है, केन्द्र सरकार द्वारा भुगतान योग्य अंशदान, ₹1600/- प्रतिमाह की उसकी कुल परिलब्धियों पर भुगतान योग्य राशि तक सीमित होगा।

अप्रैल, 1989 के पहले दिन अथवा योगदान की तारीख से, जो भी बाद में हो, मार्च, 1996 के 31वे दिन तक कर्मचारी को भुगतान किए गए मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते (शब्द वेतन को सा.का.नि. 689(ड.) दि. 29.08.2000 के आलोक में शब्दों मूल वेतन एवं डी.ए. द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।) के 2% के बराबर राशि तथा अप्रैल, 1996 के पहले दिन अथवा योगदान की तारीख से जो भी बाद में हो, कर्मचारी के “कल्पित” वेतन के 2% के बराबर राशि उसके वेतन से अंतरित की जाएगी जो 30 नवंबर 2017 तक प्रभावी था।

जुलाई, 1995 के पहले दिन अथवा योगदान की तारीख को, जो भी बाद में हो, कर्मचारी के वेतन के आधार पर परिकलित की जाने वाली एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि, जुलाई, 1995 के पहले दिन अथवा योगदान की तारीख से, जो भी बाद में हो, कर्मचारी के वेतन से अंतरित की जाएगी जो 30 नवंबर 2017 तक प्रभावी था।

भारत का राजपत्र सा.का.नि. 119(क) दिनांक 17 फरवरी 2023 को सीएमपीएस, 98 में हुए संशोधन के अनुसार “ पैरा 9 के, उप पैरा (2) में, पैरा 3 के खंड (ख), (ग), (घ), (ड) और (च), के स्थान पर शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक के स्थान पर पैरा 3 के खंड (ड), (च) और (छ) शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक को रखा जाएगा।”

18.2 कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान के साथ-साथ 10 रुपये प्रति टन की दर से अतिरिक्त योगदान के माध्यम से पेंशन फंड में योगदान तथा केन्द्र सरकार का अंशदान का संग्रह निम्नानुसार है: -

(₹ करोड़ में)

	2021-22	2022-23	2023-24
पेंशन निधि	4174.86	4367.40	5,637.77
केन्द्र सरकार का अंशदान	12.96	0.57	10.64

19. निवेश:

वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट

19.1 कोयला खान पेंशन योजना के प्रावधानों के अनुसार परिवार पेंशन निधि के धन का निवेश पी.ए.ओ., नई दिल्ली द्वारा अनुरक्षित लोक लेखे में जमा के रूप में किया जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 1113.67 करोड़ की अगली राशि ब्याज के रूप में प्राप्त की जानी है जिसका इस लेखे में पुनर्निवेश किया जाएगा जिससे कुल जमा राशि ₹ 13,102.01 करोड़ से बढ़कर ₹ 14,215.68 करोड़ हो जाएगी।

19.2 लोक लेखे में जमा राशि पर अब 8.5% की दर पर ब्याज मिलता है।

20. हितलाभों का भुगतान:

20.1 कोयला खान परिवार पेंशन योजना 1971, के अंतर्गत दो प्रकार के लाभ थे। आवर्ती, अर्थात् सेवाकाल में किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के सदस्य का मासिक परिवार पेंशन का भुगतान किया जाता है जो प्रत्येक मामले में ₹ 2000 के एक मुश्त गारंटी अनुदान से अलग होती है। ये व्यक्ति सेवानिवृत्ति अथवा सेवा समाप्ति के बाद योजना में निर्धारित दर पर सेवानिवृत्ति अथवा धननिकासी लाभ पाते हैं। सीएमपीएस-98 की शुरुआत के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया है और सभी प्रावधानों को सीएमपीएस 98 के तहत शामिल कर दिया गया है।

20.2 कोयला खान परिवार पेंशन योजना के अंतर्गत परिवार पेंशन तथा अन्य लाभों हेतु दावों के निष्पादन की तुलनात्मक स्थिति तथा परिवार पेंशन/सीएमपीएस भुगतान नीचे दर्शाई गई है:

क्र. सं.	प्रकृति	निष्पादित दावों की संख्या		अदा की गई राशि (₹. करोड़ में)	
		2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
i)	परिवार पेंशन हेतु दावे* (नीचे (8) में शामिल)	0	0	4689.75	5427.74
ii)	एक मुश्त जीवन गारंटी लाभ	0	0		
iii)	सेवानिवृत्ति लाभ	0	0		
iv)	धननिकासी लाभ	0	0		
v)	परिवार पेंशन अंशदान की निधिवापसी	0	0		
vi)	3) से 5) तक उल्लिखित लाभों से संबंधित पुनःप्रेषण	0	0		
vii)	मामले घटाएं जिनमें वर्ष के दौरान पेंशन बंद की गई	0	0		
viii)	मामले जिनमें परिवार पेंशन भुगतान की गयी	0	0		

20.3 यह भी उल्लेखनीय है कि कोयला खान भविष्य निधि का प्रशासनिक खर्च की भरपाई कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए प्रशासनिक प्रभार से की जाती है तथा कोयला खान पेंशन योजना की केन्द्र सरकार और कोयला कंपनियों द्वारा।

21. पेंशन निधि की निवल वृद्धि:

21.1 31.03.2024 के अनुसार पेंशन निधि में निवल जमा शेष निम्नलिखित था:-

(₹ करोड़ में)

01.04.2023 के अनुसार आदि शेष	21,033.27
2023-24 के दौरान पेंशन फंड में सदस्यों और नियोक्ताओं का अंशदान	5637.77
2023-24 में प्राप्त केन्द्र सरकार का अंशदान	10.64
2023-24 के दौरान प्राप्त ब्याज (आरक्षी व अधिशेष)	1655.65
कुल :-	28337.33
2023-24 के दौरान भुगतान किए गये लाभ	5427.74
घटाव : अन्य	10.69
शेष:-	22,898.90

21.2 ₹ 22,898.90 करोड़ का निवल शेष निम्नलिखित प्रकार रखा गया है:

(₹ करोड़ में)

1	8.5% की दर से ब्याज वाले सार्वजनिक खाते में जमा	14215.68
2	निवेश (खाता मूल्य)	8118.78
3	ऋण, अग्रिम और अन्य वसूली योग्य	450.85
4	बैंक शेष	113.59

वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट

	जोड़:-	22,898.90
--	--------	-----------

22. कोयला खान पेंशन योजना '98 के अंतर्गत परिवार पेंशन एवं निष्पादन:

22.1 परिवार पेंशन का वितरण राष्ट्रीयकृत बैंकों में पेंशनभोगियों के बचत खाते में जमाओं के माध्यम से किया जा रहा है जो दिनांक 01.04.2011 से प्रभावी है।

22.2 कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के आरंभ के साथ ही, कोयला खान परिवार पेंशन की सभी परिसंपत्तियां एवं देयताएं कोयला खान पेंशन निधि खाते में अंतरित की गई है।

22.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के अंतर्गत पेंशन के निष्पादन हेतु फार्म पी0एस0-6/सहज में प्राप्त निष्पादित किए गए दावों निम्नलिखित हैं:-

01.04.2023 के अनुसार लंबित पेंशन दावों की संख्या	935
2023-24 के दौरान प्राप्त दावों की संख्या	(+) 29299
कुल :-	30234
2023-24 के दौरान निष्पादित दावों की संख्या	(-) 26796
शेष :-	3438
अस्वीकृत/लौटाये गये दावों की संख्या	(-) 2963
31.03.2024 के अनुसार लंबित दावों की संख्या	475

22.4 पेंशन मामलों से संबंधित उपर्युक्त का क्षेत्रवार वर्गीकरण नीचे दिखाया गया है:-

क्षेत्रीय कार्यालय	आदि शेष	प्राप्ति	जोड़	निष्पादित	अस्वीकृत/बंद	शेष
धनबाद-I	54	1649	1703	1438	145	120
धनबाद-II	100	1644	1744	1531	65	148
आसनसोल-I	2	1387	1389	1367	10	12
आसनसोल-II	0	1187	1187	1180	7	0
आसनसोल-III	2	1415	1417	1414	0	3
रांची-I	169	928	1097	619	468	10
रांची-II	197	1575	1772	1288	446	38
जबलपुर	67	1818	1885	1753	104	28
छिंदवाड़ा	15	1004	1019	1013	4	2
बिलासपुर	19	4291	4310	4090	215	5
नागपुर	10	2409	2419	2413	0	6
सिंगरौली	232	1087	1319	1042	211	66
गोदावरीखानी	5	3837	3842	2986	845	11
कोथागुडम	0	1392	1392	1102	290	0
कोलकाता	12	175	187	164	18	5
तालचर	42	1440	1482	1437	44	1
संबलपुर	7	1699	1706	1640	53	13
देवघर	0	164	164	142	22	0
मारगेरिटा	2	153	155	132	16	7
नई दिल्ली	0	45	45	45	0	0
जोड़ :-	935	29299	30234	26796	2963	475

23. कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना:

23.1 कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 11ग में समाविष्ट उपबंधों की शर्तों के अनुसार कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना कोयला खान भविष्य निधि के सभी सदस्यों को समाविष्ट करती है। कोल इंडिया लिमिटेड एवं उसकी सहयोगी कंपनियों सहित तथा सिंगरौली कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना के लागू होने से छूट प्रदान की गई है क्योंकि उन्होंने अपनी स्वयं की जीवन आवृत्ति योजना आरंभ की है, जो कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी है। फिर भी, कोल इंडिया लिमिटेड के मामले में यह छूट उसके उन कर्मचारियों के संबंध में है, जो राष्ट्रीय कोयला मजदूर वेतन समझौता

वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट

द्वारा नियंत्रित होते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहयोगी कंपनियों के कार्यकारी अधिकारियों को एस.ओ. 822(ड.) दिनांक 24.03.2009 के आलोक में कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना के लागू होने से छूट प्राप्त है।

23.2 इस प्रकार, सांविधिक कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना की व्यति निम्नलिखित तक सीमित है:

- दामोदर घाटी निगम के स्वामित्व वाली कोयला खानों के कर्मचारी
- टाटा आयरन व स्टील कंपनी लिमिटेड के स्वामित्व वाली कोयला खानों के कर्मचारी
- इंडियन आयरन व स्टील कंपनी लिमिटेड के स्वामित्व वाली कोयला खानों के कर्मचारी
- जम्मू व कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड के कर्मचारी
- सभी कोयला खानों में ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित व्यक्ति

23.3 कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 11ग (3) (क) में कोयला खान भविष्य निधि संगठन के निरीक्षकों द्वारा योजना के कार्यान्वयन से छूट प्राप्त इकाइयों के निरीक्षण किए जाने तथा निरीक्षण प्रभार भुगतान किए जाने का भी प्रावधान है।

23.4 सीएमपीएफओ के न्यास बोर्ड ने दिनांक 05.10.2021 को आयोजित अपनी 174वीं बैठक में लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण योजना को वापस लेने की सिफारिश की है जिसपर मंत्रालय द्वारा कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध अधिनियम, 1948 को पुनः लिखाए जाने संबंधी निर्देश दिया है।

24. अंशदान:

24.1 कर्मचारियों को जमा संबद्ध बीमा निधि में कोई अंशदान नहीं करना होता है। नियोक्ता समग्र पारिश्रमिक जिसमें मूल पारिश्रमिक, महंगाई भत्ता तथा पुनर्ग्रहण भत्ता, यदि हो, सम्मिलित होते हैं, को मिलाकर के 0.5% की दर से अंशदान करते हैं। केन्द्र सरकार भी नियोक्ता के अंशदान की आधी राशि के बराबर अंशदान करती है।

24.2 वर्ष 2023-24 के दौरान बीमा निधि में नियोक्ताओं का अंशदान ₹ 0.00 करोड़ था जबकि सरकार का अंशदान ₹ 0.00 करोड़ था।

25. निवेश:

25.1 कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा निधि के संपूर्ण संचय का 7.5% ब्याज मिलने वाले लोक खाते में निवेश किए जाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार 31 मार्च 2023 तक लोक खाते में कुल ₹ 412.30 करोड़ जमा थे। प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान केन्द्र सरकार के लोक लेखे में जमा किए जाने हेतु ब्याज के रूप में ₹ 30.92 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है। जिससे 31 मार्च 2023 को जो राशि ₹ 412.30 करोड़ थी से बढ़कर 31.03.2024 को कुल जमा राशि ₹ 443.22 करोड़ हो गई है।

26. लाभों का वितरण:

26.1 जहां तक छूट प्राप्त कोयला कंपनियों का संबंध है, जमा सम्बद्ध बीमा योजना के अंतर्गत लाभों का भुगतान उन मृत्यु संबंधी मामलों में प्रतिबंधित है जो उस तारीख जिस पर छूट प्रभावी हुई, से पहले घटित हुए हों। गैर-छूट प्राप्त कोयला कंपनियों के तथा छूट प्राप्त कोयला कंपनियों में सदस्यों की गैर-छूट प्राप्त श्रेणियों के, मृत्यु संबंधी सभी दावों का निष्पादन जमा संबद्ध बीमा योजना के अंतर्गत हुआ।

26.2 वर्ष के दौरान जमा सम्बद्ध बीमा लाभ हेतु कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ। अतः, जमा सम्बद्ध बीमा लाभ हेतु ₹ शून्य का भुगतान किया गया है।

26.03 सीएमपीएफओ के न्यास बोर्ड ने दिनांक 05.10.2021 को हुई अपनी 174वीं बैठक में लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण योजना को वापस लेने की सिफारिश की और तदनुसार कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1948 में संशोधन हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्तावित किया गया है।

27. डिपॉजिट लिंक्ड इश्योरेंस फंड में शुद्ध अभिवृद्धि:

27.1 जैसा कि न्यासी परिषद ने मंजूरी दे दी है, जमा सम्बद्ध बीमा गैर परिचालन में है। 31.03.2024 को जमा सम्बद्ध बीमा निधि का निवल शेष ₹ 443.22 करोड़ था।

28. संगठन:

28.1 यह निधि कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 3क के अंतर्गत गठित त्रिपक्षीय न्यासी परिषद में निहित तथा उसके द्वारा संचालित होती है। नियोक्ताओं, कर्मचारियों, एवं राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले

वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट

न्यासियों का कार्यकाल आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के अनुसार उस तारीख से प्रभावी होगा जो उसमें निर्दिष्ट किया जा सकता है। 13 सितंबर 2023 एवं 23 नवंबर 2023 को जारी आदेश के अनुसार बोर्ड का गठन **अनुलग्नक-I** में दर्शाया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड ने तीन बैठक की और इनकी महत्वपूर्ण सिफारिशों पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है।

28.2 बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त धनबाद स्थित अपने मुख्यालय तथा देश भर में फैले 20 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से, कोयला खान भविष्य निधि योजना, कोयला खान पेंशन योजना एवं कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना जैसी तीन योजनाएं संचालित करते हैं। इन कार्यालयों की स्थिति और अधिकार क्षेत्र **अनुलग्नक-II** में प्रदर्शित किए गए हैं।

29. निरीक्षण:

29.1 उक्त योजना का प्रभावपूर्ण संचालन करने के लिए नियमित निरीक्षण आवश्यक कार्य है। निरीक्षण में तीन स्तर निहित होते हैं जैसा नीचे इंगित है: –

- (i) भविष्य निधि निरीक्षकों तथा अधिकारियों द्वारा इस विचार से यह सत्यापित करने के लिए कोलियरियों का निरीक्षण कि कोयला कंपनियों द्वारा योजना के सांविधिक उपबंधों का पालन किया जा रहा है या नहीं। इन निरीक्षणों का उद्देश्य दावों के निष्पादन तथा गैर प्रविष्ट दस्तावेजों की प्रविष्टि के लिए वांछनीय सूचनाएं एवं आवश्यक दस्तावेजों का संग्रहण भी होता है।
- (ii) संबंधित अपर आयुक्तों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण किए जाते हैं और ऐसे निरीक्षण क्षेत्रीय आयुक्तों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा अपने से संबंधित नियंत्रणाधीन अधिकारियों/शाखाओं के संबंध में भी किए जाते हैं।
- (iii) मुख्यालय के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा निरीक्षण।

30. प्रशासन:

30.1 स्वीकृत 934 पदों की तुलना में 31.03.2024 के अनुसार पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या 577 थी। इस प्रकार वर्ष की समाप्ति पर 357 पद रिक्त थे। स्वीकृत एवं भरे हुए पदों का श्रेणीवार विवरण **अनुलग्नक-III** में दर्शाया गया है।

30.02 प्रतिवेदन अवधि के दौरान माननीय उच्च न्यायालय, राँची के डब्ल्यू.पी.सी. 2020 का नंबर 2049 विचाराधीन होने के कारण कोई भी पद पदोन्नती द्वारा नहीं भरा गया है।

31. कर्मचारियों हेतु कल्याणकारी उपाय:

31.1 कोयला खान भविष्य निधि के कर्मचारियों को वैसे बोनस की अनुज्ञा की जाती है जैसा वर्ष दर वर्ष केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए घोषित किया जाता है।

31.2 कोयला खान भविष्य निधि के कर्मचारियों के तकनीकी रूप से सरकारी कर्मचारी नहीं होने के कारण, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आरंभ की गई समूह बीमा योजना का विस्तार इस निधि के कर्मचारियों तक नहीं किया जा सका है। लेकिन, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा एक समूह बचत-सह-बीमा स्कीम आरंभ की गई है और इसका विस्तार कोयला खान भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों तक किया गया है। प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान जीवन बीमा निगम को प्रीमियम के रूप में ₹ 3,26,310.00 (तीन छबीस हजार तीन सौ दस रुपये मात्र) की राशि का भुगतान किया गया है। 41 कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति हितलाभ के रूप में ₹ 20,58,045 (बीस लाख अठ्ठावन हजार पैंतालीस रुपये मात्र) की राशि का भुगतान किया गया है।

31.3 इस संगठन में सेवाकाल में मृत्यु होने पर कर्मचारियों के परिवारों को एक मुश्त नकद लाभ उपलब्ध कराने के लिए मृत्यु अनुदान की एक योजना प्रचलित है। मृत्यु अनुदान की यह योजना कोयला खान भविष्य निधि कर्मचारी हितकारी निधि नियमावली में समाविष्ट है। बोर्ड के अनुमोदन से यह योजना 01.04.1984 से प्रभावी होकर अस्तित्व में आई। यह नई योजना सेवाकाल में मृत्यु के मामले में इस संगठन के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विशेष अंशदान की प्रावधान करती है। बोर्ड भी संगृहीत विशेष अंशदानों के बराबर कर्मचारी हितकारी निधि में समान अनुदान देती है।

32. शिकायत एवं सतर्कता:

32.1 सदस्यों की शिकायतों के निवारण हेतु मुख्यालय में एक अलग प्रकोष्ठ कार्यरत है, जबकि क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त शिकायतों का निपटारा स्वयं क्षेत्रीय आयुक्तों द्वारा किया जाता है। अधिकांश शिकायतें दावों के निष्पादन तथा वैयक्तिक खातों को अद्यतित करने में देरी के बारे में होती हैं। दिनांक 31.03.2024 के अनुसार, बिना सतर्कता जांच वाले कुल 27 शिकायती मामले संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यालय में निपटाए जाने थे। वर्ष के दौरान 1060 मामलों का निपटारा किया गया।

वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट

32.2 31.03.2024 के अनुसार, कुल 27 मामले निष्पादन हेतु शेष थे जैसा नीचे दर्शाया गया है: -

01.04.2023 के अनुसार लंबित गैर-सतर्कता शिकायतों की संख्या	59
2023-24 के दौरान प्राप्त गैर-सतर्कता शिकायतों की संख्या	1028
कुल:-	1087
2023-24 के दौरान निष्पादित गैर-सतर्कता शिकायतों की संख्या	1060
31.03.2024 के अनुसार लंबित गैर-सतर्कता शिकायतों की संख्या	27

32.3 निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों में यह सूचना प्रदर्शित की गई कि सदस्य केवल अधिकारियों से मिलें, किसी अन्य व्यक्ति से नहीं। अधिकारियों को यह सलाह दी गई कि सदस्यों से सहयोग भावना के साथ मिलें, उनकी शिकायतें धैर्यपूर्वक सुनें और तत्काल उनका निराकरण करें। जहां इस तथ्य के कारण समस्या का समाधान करना संभव नहीं हुआ कि कुछ ब्यौरे दूमेरे स्टेशनों पर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों से संग्रह किए जाने थे, वे तारीखें जब तक मामले दुरुस्त किए जाएंगे और वह तारीख जिस पर सदस्य/आगंतुक फिर से मिलेंगे, सदस्यों को सूचित की गई।

32.4 जैसा कि दिनांक 31/03/2017 को राज्यसभा में प्रस्तुत 150वीं रिपोर्ट की अनुसंशा के पैरा 24 के अंतर्गत वॉलेंट है। समिति यह अनुसंशा करती है कि वित्त वर्ष 2023-24 में निष्पादित किए गए एवं लंबित सतर्कता मामले तथा लंबित मामलों के प्रकार को भी वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 में शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	डीआई मामले निपटाए गए	केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मामलों का निस्तारण	डीआई मामले लंबित	केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मामले लंबित
2023-24	05	0	46	09

32.5 उपरोक्त के अलावा, समिति ने संगठन द्वारा की गई ऑडिट आपत्तियों के जवाबों के साथ लंबित पैराग्राफ और आरटीआई मामलों से संबंधित विवरण को वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करने की अनुसंशा की है। वर्ष 2023-24 के हेतु रिपोर्ट नीचे दिखाई गई है: -

सूचना अधिकार अधिनियम वार्षिक रिटर्न प्रक्रिया (2023-24)

वार्षिक रिटर्न प्रपत्र

प्राधिकार : कोयला मंत्रालय (कोयला खान भविष्य निधि संगठन)

वर्ष 2023-24 में प्रगति						
	01.04.2023 को अधिशेष	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्राप्ति की सं० (जिसमें अन्य जन सूचना प्राधिकारी को अंतरित मामले शामिल)	अन्य जन सूचना प्राधिकारी को अंतरित मामलों की सं०	अंतरित मामलों से प्राप्ति	अनुरोध/अपील खारिज	निर्णय जहाँ अनुरोध/अपील स्वीकार किए गए
अनुरोध	00	935	1083	149	1	0
प्रथम अपील	00	152	0	3	0	155
ऐसे अधिकारी की संख्या जहाँ किसी अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई				0		
सीएपीआईओ पदनामित की सं०		सीपीआईओ पदनामित की सं०		अ. अ. पदनामित की सं०		
0		21		1		

ऐसे मामलों की सं० जहाँ अनुरोध खारिज करने में विभिन्न प्रावधान लगाये गए

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित धाराएं													
धारा 8(1)											धाराएं		
a	B	c	d	e	f	g	h	i	j	9	11	24	अन्य
									1				
शुल्क राशि का संग्रह (₹ में)													
पंजीकरण शुल्क राशि					अतिरिक्त शुल्क एवं अन्य प्रकार					दंड राशि			
10510					1512					0			

वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट

पी.ए. वेबसाईट पर सक्रिय खुलासों को अपलोड करने की अंतिम तिथि	दिनांक :- 23/01/2024
उस व्यक्ति का नाम जो प्रविष्टि /अपलोड करता है	एस० के० पंडित
उस व्यक्ति का पदनाम जो प्रविष्टि /अपलोड करता है	सहायक आयुक्त/के.ज.सू.अ.

33. लेखें तथा लेखापरीक्षा:

33.1 सीएमपीएफ, 1998 के पैरा 21 के साथ पठित और सीएमडीएलआई, 1976 के पैरा 25 के साथ पठित, सीएमपीएफ, 1948 के पैरा 68 के तहत जैसा कि आवश्यक है, कोयला खान भविष्य निधि, कोयला खान पेंशन निधि और कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा से जुड़ी निधि के वार्षिक खातों का वर्ष 2023-24 का लेखा विभिन्न विवरणों के रूप में इसके साथ संलग्न हैं।

33.2 कोयला खान भविष्य निधि योजना के प्रशासन व्यय की पूर्ति सदस्यों तथा नियोक्ताओं के अनिवार्य अंशदान की कुल राशि पर 3% की दर से नियोक्ताओं से प्रशासनिक प्रभार की लेवी से की जाती है। वर्ष 2023-24 के दौरान प्रशासन खाते पर व्यय की अपेक्षा ₹ 378.50 करोड़ की मात्रा में आय की अधिकता हुई। पूंजीगत व्यय अर्थात् भूमि एवं भवन पर व्यय राजस्व आय से प्राप्त किया जाता है। प्रशासनिक खाते का संचयी राजस्व अधिशेष 31 मार्च, 2023 के अनुसार ₹ 4348.65 करोड़ से बढ़कर 31.03.2024 के अनुसार ₹ 4725.12 करोड़ हो गया है।

33.3 आय एवं व्यय के साथ-साथ अधिशेषों की तुलनात्मक स्थिति नीचे दर्शाई गई है: -

(₹ करोड़ में)

	2021-22	2022-23	2023-24
प्रशासन खाते में कुल आय (निवेश पर ब्याज भी शामिल)	601.10	555.44	682.74
प्रशासन खाते से कुल व्यय	185.50	208.23	318.94
वर्ष का अधिशेष राजस्व	420.65	353.38	378.50
घटाएं, पूर्व समयावधि समायोजन / पेंशन के प्रशासनिक खर्च हानि का समायोजन	45.68	75.32 (41.78+33.54)	2.03
वर्ष की समाप्ति पर संचयी राजस्व अधिशेष	4070.58	4348.65	4725.12

33.4 कोयला खान पेंशन योजना का संचालन व्यय हिस्सा केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। कोयला खान भविष्य निधि तथा कोयला खान पेंशन योजना के समान प्रयोजनों हेतु प्रशासन व्यय, कोयला खान पेंशन योजना में समाविष्ट प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, दोनों योजनाओं के प्रशासन खातों के बीच विभाजित किया जाना अपेक्षित है।

33.5 वर्ष 2023-24 के दौरान कोयला खान परिवार पेंशन योजना/पेंशन योजना का संचालन व्यय ₹ 3957.47 लाख था। इसकी तुलना में, सरकार से ₹ शून्य का अंशदान प्राप्त हुआ। इस प्रकार आय पर व्यय में ₹ 3957.47 लाख की अधिकता थी। आय एवं व्यय के साथ-साथ अधिशेष की तुलनात्मक स्थिति नीचे दिखाई गई है:-

(₹ लाख में)

	2021-22	2022-23	2023-24
परिवार पेंशन/पेंशन योजना का प्रशासन व्यय, उभयनिष्ठ व्यय के हिस्से सहित	3685.14	3353.61	3957.47
कोयला खान पेंशन योजना के प्रशासन व्यय हेतु सरकार से प्राप्त राशि	1665	0.00	0.00
व्यय की तुलना में अधिक/कम आय	(-) 2020.14	(-) 3353.61	(-) 3957.47

33.6 कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना का संचालन का खर्च समग्र पारिश्रमिक के 0.1% की दर पर नियोक्ताओं द्वारा भुगतान किए गए प्रशासन प्रभार तथा नियोक्ताओं द्वारा भुगतान किए गए प्रशासनिक प्रभार की आधी मात्रा के बराबर सरकारी अंशदान से पूरा किया जाता है।

(i) वर्ष 2023-24 के दौरान कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना के केन्द्रीय प्रशासन खाते में नियोक्ता का अंशदान की राशि ₹ 07.68 लाख थी।

(ii) उक्त वर्ष के दौरान केन्द्रीय प्रशासन खाते में केन्द्र सरकार से ₹ शून्य की राशि प्राप्त हुई।

33.7 बड़ी कोयला कंपनियों को कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना से छूट प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप, जमा संबद्ध बीमा कार्य हेतु नियोजित कर्मचारियों की स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा वापस ले ली गई। परिणामतः, जमा सम्बद्ध बीमा निधि के केन्द्रीय

वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट

प्रशासन खाते में से उभयनिष्ठ मदों पर व्यय का समानुपातिक हिस्सा ही एकमात्र व्यय रह गया है। परिणामस्वरूप, जमा सम्बद्ध बीमा निधि के केन्द्रीय प्रशासन खाते में राजस्व अधिशेष के संचयन में प्रगामी वृद्धि रही है। डीएलआई से व्यय की अपेक्षा आय की अधिकता पिछले वर्ष के ₹ 12.93 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹ 13.53 करोड़ हो गई है।

34. लेखापरीक्षा:

केन्द्र सरकार के परिच्छेद 59(i) के अनुसरण में तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ केन्द्र सरकार द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार, कोयला खान भविष्य निधि योजना के वार्षिक लेखों की परीक्षा उस राज्य के महालेखाकार द्वारा की जा रही है जिसमें निधि संगठन का कार्यालय स्थित है। इस व्यवस्था के अनुसार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग (बजट संभाग), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 के परिच्छेद 20(1) के अंतर्गत वर्ष 2008-2009 से कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद के लेखों की परीक्षा का कार्य सौंपा गया है। तदनुसार, संगठन के वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखों की परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (पीडीसीए, कोलकाता) द्वारा की गई है। उक्त लेखापरीक्षा का प्रमाणपत्र इस वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है।

न्यासी बोर्ड का गठन
कोयला खान भविष्य निधि, 23 नवंबर 2023 के अनुसार

अध्यक्ष

1. सचिव, भारत सरकार,
कोयला मंत्रालय,
नई दिल्ली
पिन-110001

सदस्य पदेन

2. सी.एम.पी.एफ. आयुक्त,
कोयला खान भविष्य निधि संगठन,
धनबाद (झारखंड),
पिन-826014

भारत सरकार के प्रतिनिधि

3. अवर सचिव, भारत सरकार (सीएमपीएफओ मामलों के प्रभारी),
कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली,
पिन-110 001
4. संयुक्त सचिव-सह वित्त सलाहकार,
भारत सरकार, कोयला मंत्रालय,
नई दिल्ली-110 001
5. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त अथवा
उनका प्रतिनिधि,
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,
भविष्य निधि भवन,
14, भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली-110 066

राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

6. अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, ओडिशा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट रैंक अधिकारी
- 7- अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट रैंक अधिकारी
- 8- अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, झारखंड राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट रैंक अधिकारी
9. अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट रैंक अधिकारी
10. अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट रैंक अधिकारी
- 11-अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट रैंक अधिकारी

नियोक्ताओं के प्रतिनिधि

- 12- अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक,
कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला भवन,
परिसर संख्या-04, एमएआर,
प्लॉट नं०-एएफ-3, एक्शन एरिया-1ए,
न्यूटाउन, राजारहाट, कोलकाता-700156
(पश्चिम बंगाल)
- 13- अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक,
सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड,
कोथागुडम, भद्रादी कोथागुडम,
तेलंगाना-507101
- 14- अध्यक्ष -सह- प्रबंध निदेशक,
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड,
डाकघर जागृति विहार, बुर्ला,
जिला- संबलपुर-768020
- 15- अध्यक्ष -सह- प्रबंध निदेशक,
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
सीपत रोड, पोस्ट बॉक्स नं० 60,
जिला - बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
पिन :- 495006
- 16- अध्यक्ष -सह- प्रबंध निदेशक,
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड,
दरभंगा हाउस, कचहरी रोड,
रॉंची-834029 (झारखंड)
- 17- भारत सरकार के संयुक्त सचिव,
(कोयला खान भविष्य निधि संगठन मामलों के प्रभारी),
कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली-110001

वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट

कर्मचारियों के प्रतिनिधि

18. श्री रामेन्द्र कुमार,
अध्यक्ष, ए.आई.टी.यू.सी.,
महासचिव, इंडियन माईन वर्कर्स फेडरेशन,
डाकघर - भुक्कुंडा- 825301
जिला- हजारीबाग (झारखण्ड)

19. श्री राकेश कुमार, अध्यक्ष
कोयला मजदूर कॉग्रेस (एचएमएस),
निकट प्रीमियर नरसिंग होम,
डाकघर - गोपालपुर, आसनसोल-713304
जिला- वर्दवान (पश्चिम बंगाल)

20. श्री डी.डी. रामानंदन, राष्ट्रीय सचिव, भारतीय
ट्रेड यूनियन केंद्र, महासचिव, अखिल भारतीय
कोयला श्रमिक संघ,
4सी बिनॉय शांति प्रीति अपार्टमेंट, जवाहर नगर
डाकघर के सामने, कांके रोड,
रॉंची-834008 (झारखंड)

21. श्री के. लक्ष्मा रेड्डी,
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य,
भारतीय मजदूर संघ,
भारतीय मजदूर संघ राज्य कार्यालय,
टीआरटी-141, जवाहरनगर,
हैदराबाद-500020

22. श्री आशिष कृष्ण मूर्ति, कोषाध्यक्ष,
अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ,
फ्लैट नंबर 202, ऑरेंज हाईट अपार्टमेंट,
एस्सार पेट्रोल पंप के पीछे, लाहिडी कृपा
सोसाईटी, खामला, नागपुर-440024


23. श्री डी.एन. सिंह, अध्यक्ष
भारतीय कोयला खान अधिकारी संघ (शीर्ष निकाय)
और मुख्य प्रबंधक (खनन), सेंट्रल कोलफिल्ड्स
लिमिटेड (रॉंची)

वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट

अनुलग्नक-II

कोयला खान भविष्य निधि कार्यालयों की सूची

क्रम सं०	कार्यालय	क्षेत्राधिकार		स्थापना की तारीख
		क्षेत्र /संभाग	कंपनी	
1	मुख्यालय, धनबाद	सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा समन्वयन।	-	1949
2	राँची	आंचलिक कार्यालय (मार्च 2017)	धनबाद, आसनसोल व राँची में अवस्थित क्षे. का.	मार्च 2017
3	भुवनेश्वर	आंचलिक कार्यालय (मार्च 2017)	क्षे. का. संबलपुर, बिलासपुर, जबलपुर व दिल्ली	मार्च 2017
4	हैदराबाद	स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सेंटर, आंचलिक कार्यालय (मार्च 2017)	क्षे. का. सिंगरौली, कोथागुडम, गोदावरीखनी व नागपुर	सितंबर 1973
5	धनबाद-I	क्षेत्र सं० II, IV,VI,VII, VIII, IX(भालगोरा), XII भा.को.को.लि.,(मुख्यालय), सुदामडीह	भाकोकोलि., सीआईएल, सीएमपीडीआईएल.	अक्तूबर, 1971
6	धनबाद-II	क्षेत्र सं० I, III, IV, V, X, XI, ब्लॉक II, के.पी. क्षेत्र, इस्को एवं टिस्को प्रकोष्ठ	भारत कोकिंग कोल लि0, इस्को, टिस्को	फरवरी, 1981
7	आसनसोल-I	पांडेश्वर एरिया, बांकोला, केंडा, झंझरा व सोनेपुर बाजार क्षेत्र।	ईसीएल	अक्तूबर, 1971
8	आसनसोल-II	क्षेत्र -कजोगा, कुनुस्तोरिया, सतग्राम।	ईसीएल	अगस्त, 1981
9	आसनसोल-III	श्रीपुर, सोदपुर, सीतारामपुर, इ.को.लि. मुख्यालय व सी.एम.पी.डी.आई.एल. क्षेत्र -I, क्षेत्र- सालनपुर, निरसा व कप्सरा	ईसीएल, सी.एम.पी.डी.आई.एल.	अक्तूबर, 1971
10	रांची-I	क्षेत्र- एन.के. पीपरवार, राजहारा, सीकमी (जे.एम.डी.सी. खदानें)	सीसीएल, एमपीडीआईएल, जे.एम.डी.सी.	अक्तूबर, 1977
11	रांची-II	एजीएम चरही, सिरका, अरगडा, बरकाकाना एजीएम, प. बोकारो, कुजु, सौंडा एजीएम, रजरप्पा एजीएम, ढोरी, बी. एंड के., कथारा, गिरिडीह, डी.व्ही.सी.।	सी.सी.एल., टिस्को, डी.व्ही.सी.।	सितंबर, 1981
12	जबलपुर	क्षेत्र- हसदेव, चीरीमीरी, सोहागपुर, वैकुण्ठपुर, जमुना व कोटमा, जोहिला, बिसरामपुर	एस.ई.सी.एल.	फरवरी, 1972
13	छिंदवाड़ा	पेंच व कन्हान।	डब्ल्यू.सी.एल., एस.ई.सी.एल.	सितंबर, 1981
14	बिलासपुर	क्षेत्र- कोरबा, कुसमुंडा, गेरिया, रायगढ़, एस.ई.सी.एल. मुख्यालय, बिलासपुर, सी.एम.पी.डी.आई.एल. क्षेत्र -IV	एस.ई.सी.एल.	सितंबर, 1981
15	नागपुर	एरिया - नागपुर, चन्द्रपुर, बाल्लापुर, माजरी, वानी, पाथरखेडा, डब्ल्यू.सी.एल. मुख्यालय	डब्ल्यूसीएल, सीएमपीडीआईएल	सितंबर, 1981
16	सिंगरौली	सिंगरौली, बीना, एन.सी.एल. मुख्यालय	एनसीएल, सीएमपीडीआईएल	अगस्त, 1981
17	गोदावरीखनी	रामगुंडम, ग्रेड I, II, III, IV, बेलमपल्ली, श्रीरामपुर एरिया, रामकृष्णा, मंदमारी, सी.आई.एल., मेसर्स एस.सी.सी.एल	एस.सी.सी.एल., सी.आई.एल.	सितंबर, 1973
18	कोथागुडेम	कोथागुडेम, ग्रुप येलान्डु, मजुगरू डिविजन, एस.सी.सी.एल. मुख्यालय	एस.सी.सी.एल.	सितंबर, 1981
19	कोलकाता	कोल इंडिया के कार्यालय तथा कोयला कंपनियों के कार्यालय/यूनितें	सीआईएल, ईसीएल, बीसीसीएल, सी.सी.एल.	जनवरी, 1981
20	तालचर	एरिया - तालचर, जगनाथ, कलिंगा, वसुंधरा, स्वतंत्र इकाई	एम.सी.एल., सीएमपीडीआईएल	सितंबर, 1981
21	देवघर	चित्रा, जे.पी., राजमहल ओ.सी.पी., राजमहल एरिया, सिमलौंग	ई.सी.एल.	दिसम्बर, 1981
22	मारगेरिटा	नार्थ इस्टर्न कोल फील्ड	एन.ई.सी.एल.	मार्च, 1982
23	संबलपुर	एरिया - ईब घाटी, ओरिएन्ट, लखनपुर, केन्द्रीय कार्यशाला	एम.सी.एल., सीएमपीडीआईएल	मई, 1997
24	दिल्ली	कालाकोट, आर0एस0ओ0 लखनऊ, दिल्ली, चंडीगढ़ व जयपुर	जम्मू व काश्मिर मिनरल लिमिटेड व सी0आई0एल0 के आर0एस0ओ0	जुलाई, 2006



वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट

अनुलग्नक-III

31.03.2024 को अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या

क्रम सं०	अधिकारी/ कर्मचारी की श्रेणी	स्वीकृत पद	पदस्थापित	कमी	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	को.खा.भ.नि. आयुक्त	1	1	0	
2	मुख्य सतर्कता अधिकारी	1	1	0	
3	अपर आयुक्त	3	1	2	
4	वित्तीय सलाहकार	1	0	1	
5	क्षेत्रीय आयुक्त-I	19	0	19	
6	क्षेत्रीय आयुक्त-II	28	7	21	
7	वरीय वित्तीय अधिकारी	2	0	2	
8	वित्तीय अधिकारी	4	0	4	
9	सहायक अभियंता (सिविल)	1	0	1	
10	सहायक आयुक्त (आईटी)	1	0	1	
11	सहायक आयुक्त	35	10	25	
12	सहायक निदेशक (ओएल)	1	0	1	
13	निजी सचिव	1	0	1	
14	प्रवर्तन अधिकारी	60	5	55	
15	लेखा अधिकारी	40	0	40	
16	भविष्य निधि निरीक्षक(समाप्त कर दिया गया)	0	8	-8	
17	अनुभाग अधिकारी	170	17	153	
18	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	5	3	2	
19	आशुलिपिक ग्रेड-I	9	2	7	
20	निजी सहायक(समाप्त कर दिया गया)	0	1	-1	
21	आशुलिपिक ग्रेड-II	11	10	1	
22	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	10	2	8	
23	वरिष्ठ सामाजिक सुरक्षा सहायक	138	296	-158	
24	आशुलिपिक ग्रेड-III	11	0	11	
25	सामाजिक सुरक्षा सहायक	322	125	197	
26	उच्च श्रेणी लिपिक(समाप्त कर दिया गया)	0	4	-4	
27	अवर श्रेणी लिपिक (समाप्त कर दिया गया)	0	17	-17	
28	ड्राईवर (एस.जी) (समाप्त कर दिया गया)	0	0	0	
29	ड्राईवर ग्रेड-I(समाप्त कर दिया गया)	0	2	-2	
30	ड्राईवर ग्रेड-II(समाप्त कर दिया गया)	0	4	-4	
31	ड्राईवर साधारण ग्रेड(समाप्त कर दिया गया)	0	7	-7	
32	एम. टी.एस.	60	54	6	
	जोड़ :-	934	577	357	



कोयला खान भविष्य निधि

आयुक्त का कार्यालय

**OFFICE OF THE COMMISSIONER
COAL MINES PROVIDENT FUND**

वार्षिक लेखा 2023-24
ANNUAL ACCOUNTS 2023-24

मुख्यालय : कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद - 826001 (झारखंड)

HEAD QUARTER : COAL MINES PROVIDENT FUND ORGANIZATION, DHANBAD - 826 001 (JHARKHAND)

कोयला खान भाविष्य निधि

31.03.2024 का तुलना-पत्र

अनुसूची	निधि/पूँजीगत निधि और देनदारियां	(राशि में) 31.03.2024 को	(राशि में) 31.03.2023 को
1	निधि/पूँजी निधि	11982726,58,947.87	11149422,05,711.05
2	आरक्षित निधि एवं अधिपेश	147647,38,938.47	152066,77,220.45
3	चालू देनदारियां एवं प्रबंध व्यवस्था	500289,52,594.08	491770,92,565.91
	कुल	12630663,50,480.42	11793259,75,497.41
4	निवेश	12245848,22,120.48	11485402,73,332.76
5	चालू परिसंपत्तियां, ऋण व अविम	384815,28,359.94	307857,02,164.65
	कुल	12630663,50,480.42	11793259,75,497.41

आकस्मिक देनदारियां एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

6

दिनांक
स्थान

10.07.2024
धनबाद

(संतोष कुमार)
सहायक आयुक्त

(विजय कुमार मिश्र)
(आयुक्त)

कोयला खान भविष्य निधि

31.03.2024 को समाप्त वर्ष आय एवं व्यय लेखा

	अनुसूची	(रुपि में) 31.03.2024 को	(रुपि में) 31.03.2023 को
आय			
व्याज से आय	7		
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ		₹ 119940,30,144.00	₹ 125028,71,130.00
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ		₹ 328472,82,952.93	₹ 305215,85,926.31
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंड		₹ 258326,14,954.65	₹ 242051,44,873.41
निजी क्षेत्र के बैंड		₹ 33523,98,821.70	₹ 36937,22,023.99
विशेष जमा योजना		₹ 117631,16,976.89	₹ 117309,77,311.48
अत्यावधि जमा प्राप्ति/आवधि जमा		₹ 15959,29,183.00	₹ 12777,15,337.90
एस्टीमेटेड			
इंटीएफ लाभांश			
		₹ 872855,73,033.17	₹ 839320,16,603.09
विविध आय:	8		
पेंशन मुख्य खाते पर व्याज			
कोयला कंपनियों द्वारा भासिक अंशदान में वित्तब के लिए देयतागत			
व्याज		₹ 1486,07,848.00	₹ 81,11,932.76
सरकारी पर व्याज (स्वीप)		₹ 265,87,850.65	₹ 408,96,746.80
विविध प्राप्ति (निवेश)		₹ 2871,38,839.74	₹ 7655,87,249.89
प्रतिभूतियों के मोचन होने पर लाभ/हानि		₹ 4623,34,538.39	₹ 8145,95,929.45
जड़.....(अ)			
कुल योग ... ग (क+ख)		₹ 877479,07,571.56	₹ 847466,12,532.54
व्यय			
व्याज व्यय	9		
सदस्यों के खाते पर व्याज (अंतरण प्रतिष्ठियों रिपोर्ट के अनुसार)		₹ 847356,07,634.00	₹ 810658,41,029.00
सदस्यों के खाते पर व्याज (7.6 प्रतिशत की दर से प्रावधान)		₹ 6699,50,627.00	₹ 3653,17,176.00
आरक्षित खाते पर व्याज (7.6 प्रतिशत आसत की दर से)			
प्रतिभूतियों की पुनर्प्राप्ति पर लाभ/हानि		₹ 15870,06,592.54	₹ 27459,23,729.18
आईएनएफएस एवं आरसीएसी अपेक्षित हानि के लिए प्रावधान			
चालू वर्ष की बर्किंग		₹ 2447,00,664.00	
जड़.....(घ)			
		₹ 872372,65,517.54	₹ 841770,81,934.18
व्यय पर आय का अधिशेष (ग-घ) आरक्षित व अधिशेष खाते में अंतरित		₹ 5106,42,054.02	₹ 5695,30,598.36
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	8		

(संतोष कुमार)
सहायक आयुक्त

(विजय कुमार मिश्र)
(आयुक्त)

कोयला खान भविष्य निधि (मुख्य) खाता

31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

(राशि में) 31.03.2023 को	प्राप्ति	(राशि में) 31.03.2024 को	भुगतान	(राशि में) 31.03.2024 को
18540,50,313.56	बैंक एवं नकद आधिशेष (एरबीआई मुख्य खाता-1 आरबी.डी.बी.आई. मुख्य खाता	8,51,357.07	बैंक सरकार की प्रतिभूति	974722,50,154.99
5,00,000.00	आरबी.डी.बी.आई. मुख्य खाता	5,00,000.00	राज्य सरकार की प्रतिभूति	460732,47,500.00
18831,31,386.42	बैंक ऑफ इंडिया (मुख्य)	36138,21,538.00	निजी क्षेत्र के बैंड	3632482,58,738.00
5,661.00	बैंक ऑफ इंडिया (मुख्य)	5,661.00	यू.एच.एफ.	78245,66,479.55
7,390.00	केनरा बैंक धनवाट	7,390.00	ई.टी.एफ.	6100,00,000.00
3189,05,091.05	एरबीआई (निधि) पारस बैंक	2796,86,518.78	एस.टी.जी	
14047,94,867.32	एरबीआई (निधि) पारस बैंक	19501,99,479.60	बैंक के दौरान किया गया निपटारा	
401,20,000.00	एरबीआई मुख्य खाता-1 (सरभि)	4937,19,661.20	उत्तरवर्ती अंशदान	1013866,33,474.65
190572,35,000.00	निवेश की उपरोक्ति			
314133,80,000.00	बैंक सरकार की प्रतिभूति	82848,00,000.00	व्याज	
157125,00,000.00	राज्य सरकार की प्रतिभूति	423742,80,000.00	बैंक प्रसार	50,92,186.83
	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	77036,00,000.00		
4163,75,108.27	शेयर/एलएस पी एफ	125774,68,759.23	प्रतिभूतियों के क्रय पर ब्याज का भुगतान	
4890463,66,034.21	निजी क्षेत्र के बैंड	3627964,76,575.79	बैंक सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज का भुगतान	76,06,557.38
2000,00,000.00	यू.एच.एफ.	28490,00,000.00	घोषणार्थ पर ब्याज का भुगतान	
	ई.टी.एफ.			
130693,03,044.00	व्याज से प्राप्त आय एवं विविध प्राप्ति			
298383,39,197.49	बैंक सरकार की प्रतिभूति पर ब्याज	120790,99,759.00	राज्य सरकार पर ब्याज का भुगतान	418,49,869.37
235718,23,951.64	राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज	316972,48,818.30	घोषणार्थ पर ब्याज का भुगतान	
	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की प्रतिभूतियों पर ब्याज	250769,40,869.03	निजी क्षेत्र पर ब्याज का भुगतान	
117308,77,311.48	एरबीआई/एस.टी.आई. पर ब्याज	117309,77,311.89	एस.टी.जी. पर ब्याज का भुगतान	
37259,43,451.98	एस.टी.एस. पर ब्याज	36610,31,329.70	एस.टी.जी. पर ब्याज का भुगतान	
11929,11,603.27	निजी क्षेत्र उपक्रम पर ब्याज	16770,53,633.00		
408,96,746.80	यू.एच.एफ. परियोजना पर ब्याज	265,87,850.65		
	विविध कोषियां (निवेश)			
	ई.टी.एफ.			
91,59,629.00	भयाता जमा राशि	1329,75,196.00		
26259,48,831.00	सरभि खाता सं.1 पर ब्याज			
	भविष्य निधि प्रशा.			
57,00,000.00	अंशदान सरकार एवं अन्य	1064,00,000.00		
	भौतन मुख्य खाता (सरकारी अंशदान)			
	भौतन प्रशासन (सरकारी अंशदान)			
137,70,566.74	भौतन मुख्य खाता (मुख्य खाता)	806,01,588.00		
4109,92,606.00	भौतन मुख्य से प्राप्त होने वाली राशि उत्तरवर्ती अंशदान	7128,68,002.24		
72529,50,969.82	अंशदान	992686,11,075.23		
7199430,88,773.06		6292458,12,390.71		6292458,12,390.71

(सतोष कुमार)
शहरक आयुक्त

(विजय कुमार मिश्र)
आयुक्त

तुलन पत्र का भाग निर्धारित करने वाली अनुसूचियाँ

समग्र निधि/पूँजीगत निधि (अनुसूची - 1)

	(राशि में) 31.03.2024 के अनुसार	(राशि में) 31.03.2023 के अनुसार
(क) आरंभिक अंशदान		
आदि शेष		
जोड़: वर्ष के दौरान प्राप्त	21,53,689.00	21,53,689.00
घटाव: वर्ष के दौरान धनवापसी	-	-
अंत: शेष (क)	<u>21,53,689.00</u>	<u>21,53,689.00</u>
(ख) 01.01.1949 से ब्याज के साथ अंशदान		
आदि शेष		
जोड़: वर्ष के दौरान प्राप्त	9781129.45,769.84	9270453.39,221.57
घटाव: वर्ष के दौरान धनवापसी	1846337.55,048.78	1563769.95,845.45
अंत: शेष (ख)	<u>1006737.65,472.41</u>	<u>1053093.89,297.18</u>
	<u>10620729.35,346.21</u>	<u>9781129.45,769.84</u>
(ग) उचित खाता		
आदि शेष		
जोड़: वर्ष के दौरान प्राप्त	1219386.86,231.36	1247198.90,077.99
जोड़: सदस्य बीमा उचित खाता	981145.42,095.23	710299.50,969.82
घटाव: वर्ष के दौरान समायोजन	987440.78,434.78	738111.54,816.45
अंत: शेष (ङ)	<u>1213091.49,891.81</u>	<u>1219386.86,231.36</u>
(घ) स्वीच्छक अंशदान		
आदि शेष		
जोड़: वर्ष के दौरान प्राप्त	148884.20,020.85	148884.20,020.85
घटाव: वर्ष के दौरान समायोजन	11540.68,980.00	15000.00,000.00
अंत: शेष (छ)	<u>148884.20,020.85</u>	<u>15000.00,000.00</u>
कुल (क+ख+ग+ङ+घ+छ)	<u>11982726.58,947.87</u>	<u>11149422.05,711.06</u>

आरक्षी एवं आधिशेष खाता (अनुसूची 2)

	(राशि में में) 31.03.2024 को	(राशि में में) 31.03.2023 को
(क) आरक्षी एवं अधिशेष खाता		
(1) उचंत ब्याज		
आदि शेष		
घटाव: पूर्व अर्वाधि का समायोजन	152066,77,220.45	156588,07,469.04
जोड़: से अंतरित - आरक्षी खाते पर ब्याज, विविध आरक्षी,	(9525,80,336.00)	(10216,60,846.95)
आरक्षी खाता, विशेष आरक्षी निधि खाता		
जोड़: व्यय पर आय की अधिकता	5106,42,054.02	5695,30,598.36
अंत: शेष	<u>147647,38,938.47</u>	<u>152066,77,220.45</u>
	<u>147647,38,938.47</u>	<u>152066,77,220.45</u>

कुल

चालू देनदारियाँ व प्रावधान (अनुसूची - 3)

	(राशि में) 31.03.2024 तक	(राशि में) 31.03.2023 तक
(क) डीएलआई मुख्य खाते में भुगतान योग्य राशि	117,34,876.56	117,34,876.56
(ख) डीएलआई प्रशासन खाते में भुगतान योग्य राशि	187,39,121.00	187,39,121.00
(ग) भविष्य निधि प्रशासन में भुगतान योग्य राशि	13236,09,000.00	13236,09,000.00
(घ) भविष्य निधि प्रशासन को देय राशि	94799,98,275.66	88151,39,835.49
(ङ) अवर्गीकृत अंशदान	390078,69,732.86	390078,69,732.86
(च) मुख्य पेंशन को देय राशि	1870,01,588.00	-
कुल	500289,52,594.08	491770,92,565.91

निवेश (अनुसूची-4)

	(राशि में) तक	31.03.2024	(राशि में) तक	31.03.2023
(क) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ (अनुलग्नक - क)		1372443,03,874.19		1454287,81,555.22
(ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ (अनुलग्नक - ख)		4558089,35,054.43		4023512,21,814.35
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के बंधपत्र (अनुलग्नक - ग)		3685972,51,781.41		3302940,60,849.01
(घ) निजी क्षेत्र के बंधपत्र (अनुलग्नक - घ)		311475,15,807.14		449038,80,992.37
(ङ) एसटीजी (अनुलग्नक - ङ)		162729,81,189.02		186119,81,189.02
(च) विशेष जमा योजना (अनुलग्नक - च)		1652250,32,556.00		1652250,32,556.00
(छ) ग्रूलएफ (अनुलग्नक - छ)		22149,15,500.64		14759,94,498.69
(ज) इटीएफ (अनुलग्नक - ज)		480738,86,357.65		402493,19,878.10
		12245848,22,120.48		11485402,73,332.76

कुल...

वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची - 5)

(राशि में)
31.03.2024 तक

(राशि में)
31.03.2023 तक

विविध देनदार

(क) पेशन खाते से प्राप्त राशि

Total...(A)

नकद व बैंक शेष

- (क) एस बी आई मुख्य खाता सं. I
(ख) एस बी आई मुख्य खाता सं. I (सुरभि)
(ग) बैंक खाता सं. II में शेष-क्षेत्रीय (अनुलग्नक - थ)
(घ) बैंक ऑफ इंडिया (मुंबई)
(च) कैबरा बैंक (धनबाद) खाता सं. - 0251201002067
(ङ) आई डी वी आई बैंक खाता सं. I (मुख्यालय) - 0121030000003698
(छ) यू टी आई बैंक
(ज) एस बी आई एम एक बैंक

जोड़ (ख)

उपचित व्याज लेकिन देय नहीं

- (क) केंद्र सरकार की प्रतिभितियाँ (अनुलग्नक - ठ)
(ख) राज्य सरकार की प्रतिभितियाँ (अनुलग्नक - ड)
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के बंधपत्र (अनुलग्नक - ढ)
(घ) निजी क्षेत्र के बंधपत्र (अनुलग्नक - झ)
(ङ) विशेष जमा योजना (अनुलग्नक - त)
(च) एसटीजी (अनुलग्नक - थ)
(ज) सुरभि

जोड़ (ग)

जोड़ ... (क+ख+ग)

10434,32,213.00	8,51,357.07
27192,55,943.50	4937,19,681.20
18646,03,965.76	36138,21,538.00
5,661.00	5,661.00
7,390.00	7,390.00
5,00,000.00	5,00,000.00
41873,19,508.35	19501,99,479.60
27611,82,728.33	2796,86,518.78
125763,07,409.94	63387,91,625.65

25200,06,399.00	27050,76,014.00
79556,54,068.00	67337,70,044.00
111619,33,388.00	103984,52,745.00
9546,13,870.00	12632,46,378.00
29247,09,413.00	28925,69,748.00
3726,71,160.00	4537,95,610.00
156,32,652.00	

259052,20,950.00	244469,10,539.00
384815,28,359.94	307857,02,164.65

अनुबंध - I			
बैंक खाता सं. II (क्षेत्रीय) में शेष			
क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	31.03.2024 के अनुसार	31.03.2023 के अनुसार
1	आसनसोल (आसनसोल क्षेत्रीय कार्यालय-II)	13,86,241.46	2955,21,638.71
2	बराकर (आसनसोल क्षेत्रीय कार्यालय-III)	32,24,849.86	4338,04,229.46
3	बिलासपुर	1,23,609.54	2,66,788.70
4	छिदवाड़ा	197,34,457.10	15,16,143.10
5	देवघर	994,10,503.18	7,87,751.18
6	धनबाद (धनबाद क्षेत्रीय कार्यालय-I)	5,53,182.88	70,78,262.00
7	हेदराबाद	1861,49,888.06	12085,28,151.11
8	जबलपुर	901,94,652.44	7158,41,468.44
9	झरिया (धनबाद क्षेत्रीय कार्यालय-III)	(378,52,608.00)	(378,52,608.00)
10	कतरास (धनबाद क्षेत्रीय कार्यालय-II)	1,27,698.00	4001,98,165.00
11	कोलकाता	25,842.25	80,889.65
12	कोथामुडेम	2501,28,879.67	1751,72,653.61
13	मार्गीटा	395,35,428.11	45,443.31
14	नागापुर	12,22,779.00	15,04,387.00
15	नई दिल्ली	13,431.98	21,048.58
16	रामगढ़ (रांची क्षेत्रीय कार्यालय-II)	5170,83,839.00	2551,99,670.00
17	रांची (रांची क्षेत्रीय कार्यालय-I)	92,901.50	35,44,913.50
18	रानीगंज (आसनसोल क्षेत्रीय कार्यालय-I)	70,84,567.23	40,01,742.15
19	सबलपुर	294,94,283.50	1455,83,067.50
20	सिंगरौली	4784,55,466.00	-
21	तालचर	1784,14,073.00	29,77,733.00
	कुल	18646,03,965.76	36138,21,538.00

कोयला खान भविष्य निधि मुख्य खाता
31-03-2024 को तुलन-पत्र का अंश निर्मित करने वाली अनुसूचियाँ
अनुसूची 8 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

क. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. सामान्य

- i) खाते ऐतिहासिक लागत के आधार पर और चल रहे चिंता के विषय के लेखांकन सिद्धांतों पर तैयार किए जाते हैं।
- ii) लेखांकन नीतियाँ जो विशेष रूप से अन्यथा संदर्भित नहीं हैं, सुसंगत हैं और आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं।
- iii) खातों को क्षेत्रीय कार्यालयों / मुख्यालय कार्यालय के अनुभागों, अभिरक्षक, निधि प्रबंधकों, बैंकों आदि के संबंधित प्रमुखों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित/प्रमाणित रिपोर्टों पर तैयार/संकलित किया जाता है।

2. आय

- i) निवेश पर ब्याज को प्रोदम्बवन के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

3. व्यय

- i) प्रावधान के माध्यम से सदस्यों के खाते पर ब्याज का हिसाब दिया जाता है।
- ii) पेंशन और पीएफ प्रशासन निधि पर ब्याज को प्रोदम्बवन के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।
- iii) पीएफ प्रशासनिक खाते द्वारा प्रतिपूर्ति किए गए बैंक शुल्क/कमीशन से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति पीएफ प्रशासनिक खाते से की जाती है।

4. निवेश

- i) निवेश लागत पर कहा जाता है, जिसमें प्रबंधन शुल्क को छोड़कर ब्रोकरेज शामिल है, लेकिन अप्राप्त आय यदि कोई मूल्यांकन की विधि में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है।

5. अंशदान

- i) विभिन्न सदस्यों से प्राप्त अंशदान को शुरु में उद्यंत खाते में अंतरित कर दिया जाता है जब तक कि इसे संबंधित सदस्य खाता बही खाते में प्रविष्ट नहीं किया जाता है।
- ii) वर्गीकरण पूरा होने के बाद कोयला कंपनी से प्राप्तियों को मान्यता दी जाती है।

ख. खातों के लिए नोट:

- i) बैंक शुल्क और प्रबंधन शुल्क क्री प्रतिपूर्ति पीएफ प्रशासनिक खाते से की जाती हैं।
- ii) पिछले वर्ष के आंकड़े जहां भी आवश्यक हो, पुनर्गठित और पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं।
- iii) ब्याज रिजर्व, पेंशन निधि, भविष्य निधि प्रशासनिक निधि पर ब्याज @7.6% प्रति वर्ष की दर से वर्ष के दौरान सदस्यों के खाते पर लागू ब्याज दर के रूप में स्वीकार की जाती है। यह दर बोर्ड द्वारा प्रस्तावित है और भारत सरकार का अनुमोदन अभी भी प्रतीक्षित है। तदनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सदस्यों को ब्याज के रूप में ₹ 84,73,56,07,634.00 रुपये का प्रावधान किया गया है।
- iv) खरीद के समय भुगतान किए गए/प्राप्त प्रीमियम / छूट को प्रतिभूतियों के मोचन के समय पी एंड एल खाते में अंतरित कर दिया जाता है।
- v) कोयला कंपनियों द्वारा तदर्थ आधार पर जमा किए अंशदान को कंपनी द्वारा अंशदान विवरण दिए जाने तक अवर्गीकृत माना जाता है।
- vi) पीएस-5 अपूर्ण होने के कारण इस स्तर पर कोयला कंपनी से प्राप्तियों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता।
- vii) उचंत खातों में ₹ 3.18 करोड़ का सदस्य बीमा उचंत खाता शामिल है।
- viii) ब्याज उचंत खाते में ₹ 1.19 लाख प्राच्य राशि, ब्याज के साथ अंशदान प्राच्ययोग परंतु अप्राच्य ₹ 8.43 करोड़, बिहार ए.जी. से वसूलीयोग्य ₹ 4.57 लाख, पश्चिम बंगाल ए.जी. से वसूलीयोग्य ₹ 0.32 लाख, मध्य प्रदेश ए.जी. से वसूलीयोग्य ₹ 424/-, ओड़ीशा से वसूलीयोग्य ₹ 121/-
- ix) चालू वर्ष के लिए एसडीएस ब्याज की औसत दर 7.1% है।
- x) मेसर्स जम्मू और कश्मीर मिनरल्स, जम्मू से 31.08.2021 तक वसूली योग्य राशि ₹ 62.71 करोड़ ।
- xi) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान में ऋण निवेश के मोचन के तहत ₹ 2,74,59,23,729.18 की हानि दर्ज की गई जबकि इसके मुकाबले इक्विटी खंडों में निवेश से ₹ 76,55,87,249.89 का लाभ दर्ज किया है ।
- xii) खाता बंद करने के बाद क्षेत्रीय कार्यालय, झारिया से संबंधित ₹ 3,78,52,608 की अधिक राशि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हस्तांतरित की गई है। इससे खाता संख्या-II (झारिया) के संबंध में नकारात्मक शेष दिखाई देता है।
- xiii) सीएमपीएफ स्टाफ पेंशन, अवकाश नकदीकरण और कॉन्ट्रा आइटम के तहत दिखाई देने वाली ग्रेच्युटी के शेष को सीएमपीएफ प्रशासन खाते में अंतरित कर दिया गया है।
- xiv) आईसीडी, मृत खाता, मृत्यु राहत निधि, बोनस जवत, सदस्य खाते से जब्ती, एकमुश्त योगदान, दावा न किए गए बोनस और गैर-वापसी योग्य अंशदान के विरासत लेजर (इन शीर्षों के माध्यम से निष्पादित कोई लेनदेन नहीं) में दिखाई देने वाले शेष रीवा, कोरबा और

तलचर से ₹ 60,29,215.00, 6,73,329.00, 1,58,215.00, 2,31,827.00, 2,24,60,484.00, 17,14,816.00, 60,83,005.08 और 73,644.00 की राशि क्रमशः हस्तांतरित की गई और वित्त वर्ष 2018-19 से "ब्याज के साथ योगदान" शीर्ष का हिस्सा है।"

xv) रिजर्व अकाउंट, विविध रिजर्व, रिजर्व अकाउंट लेट शुल्क और विशेष रिजर्व अकाउंट पर ब्याज के विरासत लेजर (इन शीर्षों के माध्यम से लंबे समय से निष्पादित कोई भी लेनदेन) में दिखाई देने वाली शेष राशि क्रमशः ₹ 75,86,57,409.95, 909.00, 34,294.00 और 14,250.00 क्रमशः वित्त वर्ष 2018-19 से "ब्याज उचित खाते" में स्थानांतरित कर दी गई।"

xvi) रिलायंस कैपिटल लिमिटेड में निवेश की राशि ₹ 121.00 करोड़ रुपये और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में ₹ 97.43 करोड़ रुपये की डिफॉल्ट की गई हैं और उन्हें चूक/दबावग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इनका अलग से खुलासा किया गया है। संबंधित नियमों के तहत समाधान प्रक्रिया चल रही है। अंतिम समाधान के बाद निवेश की गणना की जाएगी।

xvii) वर्ष के दौरान आईएल एंड एफएस और रिलायंस कैपिटल में अपेक्षित हानि को निवेश उप-समिति दिनांक 28-03-2022 के निर्णय के अनुसार दर्ज किया गया है। अपेक्षित हानि का निर्धारण निधि प्रबंधकों द्वारा सूचित अपेक्षित वसूली के अनुसार किया गया है अर्थात् आईएल एंड एफएस के मामले में 33% और आरसीएपी के मामले में 55%। हानि को क्रमशः ₹ 65.28 करोड़ और ₹ 54.45 करोड़ निर्धारित किया गया है। ₹ 65.28 करोड़ रुपये की कुल हानि में से आईएल एंड एफएस हानि से संबंधित राशि ₹ 53.42 करोड़ पूर्व अवधि मद के रूप में दर्ज की गई और चालू अवधि के दौरान ₹ 11.86 करोड़ दर्ज की गई। इसी प्रकार, रिलायंस कैपिटल के मामले में ₹ 41.84 करोड़ रुपये पूर्व अवधि मद के रूप में और ₹ 12.61 करोड़ रुपये वर्तमान अवधि के रूप में दर्ज किए गए।

xviii) ऋण निवेश के मोचन पर ₹ 183,17,07,256.54 की हानि हुई (आईएलएफएस और आरसीएपी के लिए हानि बुकिंग सहित) और यूएलएफ (इक्विटी) के मोचन पर ₹ 28,71,38,839.74 का लाभ हुआ।

xix) डीएचएफएल की समाधान प्रक्रिया की घोषणा की गई है और दबाव आस्तियों के अंतर्गत आने वाली कुल 655.99 करोड़ ₹. में से 597.55 करोड़ रुपये की शेष राशि चूक/दबावग्रस्त में वर्गीकृत किया गया है जब तक बोर्ड बट्टे खाते में डालने के लिए सहमत नहीं हो जाता।

xx) वर्ष के दौरान किसी भी निवेश का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

ग सीएसपीएफ संगठन के अधिशेष को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (25) के तहत आयकर लगाने से छूट दी गई है।

कोयला खां भविष्य निधि प्रशासन (खाता सं. VIII)

31-03-2024 को तुलनापत्र

	(₹ में राशि)	
समग्र निधी/पूजी निधि एवं देनदारियाँ	31-03-2024 को	31-03-2023 को
समग्र निधि/पूजी निधि	2058,55,914.00	2058,55,914.00
आरक्षी निधि व अधिशेष	472511,89,724.35	434864,64,015.07
चालू देनदारियाँ व प्रावधान	128565,65,922.38	111200,09,500.82
कुल	603136,11,560.73	548123,29,429.89
परिसंपत्तियाँ		
स्थिर परिसंपत्तियाँ	2987,84,494.47	3055,21,118.04
निवेश	488723,08,376.46	443521,27,215.60
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण व अग्रिम	111425,18,689.80	101546,81,096.25
जोड़	603136,11,560.73	548123,29,429.89
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	-	-
आकस्मिक देनदारियाँ	-	-

दिनांक : 10.07.2024
स्थान धनबाद

(संतोष कुमार)
सहायक आयुक्त

(विजय कुमार मिश्र)
(आयुक्त)

कोयला खान भविष्य निधि प्रशासन (खाला सं. VIII)

31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा

		(Amount in ₹)	
		SCHEDULE 9	AS ON 31-03-2024
		AS ON 31-03-2024	AS ON 31-03-2023
आय			
विक्रीलेखों से आय		266893,05,935.00	23904,54,469.56
भविष्य निधि पर प्रशासकीय प्रभार			
निवेश पर व्याज			
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ		320,34,841.00	264,63,650.00
निजी क्षेत्र के बंधन		3111,69,058.78	2452,43,193.53
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ		13743,29,559.67	12403,93,103.37
सार्वजनिक क्षेत्र बंधन		9715,18,283.69	8145,25,579.10
एस.टी.डी.आर. व एफ.डी.			
एसटीडी		1357,48,307.00	1026,39,697.08
एवआईसी में निवेश पर उपचित व्याज		6261,36,221.92	4407,49,422.43
विविध प्राप्ति- सरभि खाते (स्वीप) पर व्याज सहित बैंक ब्याज		13,47,721.91	94,97,250.50
विविध आय			
नो.डा.म.नि. मुख्य खाते के अगिमाँ पर व्याज		6699,50,627.00	6744,54,676.00
विविध प्राप्ति (सरभि खाते पर व्याज सहित)		86,93,897.64	394,94,249.96
सरभि खाते पर व्याज		65,04,481.00	270,78,820.64
भारतभूतियों की पुनर्प्राप्ति पर लाभ/हानि		206,62,857.96	
	कुल	68274,01,392.67	60109,94,112.17
व्यय			
स्थापना परिव्यय			
स्थापना व्यय जिसमें रुढ़ी यात्रा परियायत शामिल है	12	4768,65,658.29	5348,12,864.38
अन्य प्रशासनिक व्यय	13		
संयोजक वाला के व्यय	13.1	32,64,759.90	26,71,482.08
किराया, शैल्क व कर	13.2	67,10,747.46	104,48,280.88
विविध आकरसिक खर्च व आवर्ती प्रभार	13.3	2498,06,969.99	2043,43,021.94
अन्य प्रभार	13.4	5637,13,883.98	5473,38,821.73
मुख्य श्रम	14	133,45,893.00	137,08,580.67
अपेक्षित प्रशा. खर्च से संबंधित निवेश पर व्याज (7.6% औसत)	15	1198,54,038.00	1117,95,082.00
डी.एच.एच. द्वारा किराया व अन्य खर्च न करने पर व्याज में नुकसान का प्रावधान		15318,40,507.68	4316,85,772.50
डी.बी.आर.एस से जीवन बीमा निगम में अतिरिक्त प्रावधान		531,51,012.00	551,70,678.00
सामंभारी सामान्य भविष्य निधि पर व्याज का प्रावधान			
असमानताव्यय			
बैंक प्रभार व पोस्टकोलियो प्रबंधक शैल्क		959,96,988.68	1095,34,476.91
पेशन प्रशासन पर नुकसान (सीएमपीएस-1998 के अनुसार)			
		31893,73,306.29	20823,43,949.19
घटाई: व्यय का समाप्तवही भाग जो आवृत्ति है:			
(i) कोयला खान परिवार पेशन प्रशासन खाता		1336,40,146.00	561,45,987.00
(ii) कोयला खान जमा संबद्ध प्रशासन खाता		133,64,015.00	56,14,599.00
तुलन पत्र के लिए अंतर्गत निवल अधिषेध		37850,32,247.28	39504,10,748.98
आकरसिक देनदारियाँ एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ			

7 & 8

(संतोष कुमार मिश्रा)
सहायक आयुक्त

कोयला खान भाविष्य निधि प्रशासन (लेखा सं. VIII)

31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए पारित व भगतान लेखा

वर्ष (I)	वर्ष (I)	वर्ष (I)	वर्ष (I)	वर्ष (I)
31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2024
20,228.74	27,852.74	1,80,580.47	30,67,492.00	10,80,165.00
1032,85,154.13	1019,42,360.79	2633,23,200.00	1660,64,360.00	2,98,99.00
554,86,469.16	350,20,319.68	1944,68,663.10	6,450.00	22,02,935.42
5274,910.40	27,41,48.65	6,450.00	6,450.00	-
412,56,165.54	69,91,910.38	60,32,600.56	5,17,479.48	45106,55,430.00
162,89,297.53	167,73,630.65	2197,00,000.00	2998,12,880.14	24103,11,780.00
381,63,546.13	132,71,103.44	2597,35,733.89	1,35,283.98	9355,51,373.00
24,40,963.32	4,01,000.00	458874,65,208.51	3088,17,000.00	2900,00,000.00
20,00,944.85	12,34,103.60	1944,68,663.10	30223,70,000.00	3829,47,695.01
74,711.03	22,67,774.8	1944,68,663.10	1820,00,000.00	-
6,17,000.00	1,35,283.98	6,450.00	4914,51,652.00	29190,76,143.57
18851,00,000.00	319,62,900.00	1944,68,663.10	1620,00,000.00	-
1310,00,000.00	13878,67,243.50	6,450.00	297354,11,870.05	1810,59,470.60
4692,56,276.00	9147,55,251.20	60,32,600.56	3211,76,710.78	1,21,788.00
450,136,43,142.88	3211,76,710.78	5,17,479.48	59,58,282.00	-
	1315,38,161.00	2,32,895.75	81,98,48.68	-
	61,98,48.68	3,50,000.00	13,47,721.91	24,21,570.83
	11,63,822.14	8,07,860.00	24,39,097.03	7,30,229.51
	23,96,594.00	4215,93,193.69	-	-
	155,77,099.44	50,000.00	-	-
	32,054.00	6147,00,241.28	149,24,647.44	1,182.00
	6,02,395.00	2346,61,263.84	55,176.03	2,84,720.00
	16,400.00	20,71,482.28	5,70,742.00	5,65,746.00
	20069,39,421.50	5485,99,657.73	1,17,626.00	-
	2,96,127.00	104,57,144.99	39650,52,359.68	-
	23,43,311.00	801,75,917.43	8,13,534.00	-
	10,97,739.00	102,60,814.00	19,51,738.00	-
	170,52,682.00	142,32,432.40	8,77,646.00	-
	1756,90,574.00	4,64,211.00	174,1,369.00	-
		84,63,079.00	174,1,369.00	-
		27,659.74	4,178.00	-
		1019,42,360.79	831,10,628.00	-
		350,20,319.68	-	-
		27,41,48.65	-	-
		69,91,910.38	-	-
		167,73,630.65	-	-
		132,71,103.44	-	-
		4,01,000.00	-	-
		12,34,103.60	-	-
		22,67,774.8	-	-
		1,35,283.98	-	-
		3088,17,000.00	-	-
		30223,70,000.00	-	-
		1944,68,663.10	-	-
		6,450.00	-	-
		60,32,600.56	-	-
		2998,12,880.14	-	-
		2597,35,733.89	-	-
		458874,65,208.51	-	-
		1944,68,663.10	-	-
		6,450.00	-	-
		60,32,600.56	-	-
		5,17,479.48	-	-
		2,32,895.75	-	-
		3,50,000.00	-	-
		8,07,860.00	-	-
		4215,93,193.69	-	-
		50,000.00	-	-
		6147,00,241.28	-	-
		2346,61,263.84	-	-
		20,71,482.28	-	-
		5485,99,657.73	-	-
		104,57,144.99	-	-
		801,75,917.43	-	-
		102,60,814.00	-	-
		142,32,432.40	-	-
		4,64,211.00	-	-
		84,63,079.00	-	-
		27,659.74	-	-
		1019,42,360.79	-	-
		350,20,319.68	-	-
		27,41,48.65	-	-
		69,91,910.38	-	-
		167,73,630.65	-	-
		132,71,103.44	-	-
		4,01,000.00	-	-
		12,34,103.60	-	-
		22,67,774.8	-	-
		1,35,283.98	-	-
		3088,17,000.00	-	-
		30223,70,000.00	-	-
		1944,68,663.10	-	-
		6,450.00	-	-
		60,32,600.56	-	-
		2998,12,880.14	-	-
		2597,35,733.89	-	-
		458874,65,208.51	-	-
		1944,68,663.10	-	-
		6,450.00	-	-
		60,32,600.56	-	-
		5,17,479.48	-	-
		2,32,895.75	-	-
		3,50,000.00	-	-
		8,07,860.00	-	-
		4215,93,193.69	-	-
		50,000.00	-	-
		6147,00,241.28	-	-
		2346,61,263.84	-	-
		20,71,482.28	-	-
		5485,99,657.73	-	-
		104,57,144.99	-	-
		801,75,917.43	-	-
		102,60,814.00	-	-
		142,32,432.40	-	-
		4,64,211.00	-	-
		84,63,079.00	-	-
		27,659.74	-	-
		1019,42,360.79	-	-
		350,20,319.68	-	-
		27,41,48.65	-	-
		69,91,910.38	-	-
		167,73,630.65	-	-
		132,71,103.44	-	-
		4,01,000.00	-	-
		12,34,103.60	-	-
		22,67,774.8	-	-
		1,35,283.98	-	-
		3088,17,000.00	-	-
		30223,70,000.00	-	-
		1944,68,663.10	-	-
		6,450.00	-	-
		60,32,600.56	-	-
		2998,12,880.14	-	-
		2597,35,733.89	-	-
		458874,65,208.51	-	-
		1944,68,663.10	-	-
		6,450.00	-	-
		60,32,600.56	-	-
		5,17,479.48	-	-
		2,32,895.75	-	-
		3,50,000.00	-	-
		8,07,860.00	-	-
		4215,93,193.69	-	-
		50,000.00	-	-
		6147,00,241.28	-	-
		2346,61,263.84	-	-
		20,71,482.28	-	-
		5485,99,657.73	-	-
		104,57,144.99	-	-
		801,75,917.43	-	-
		102,60,814.00	-	-
		142,32,432.40	-	-
		4,64,211.00	-	-
		84,63,079.00	-	-
		27,659.74	-	-
		1019,42,360.79	-	-
		350,20,319.68	-	-
		27,41,48.65	-	-
		69,91,910.38	-	-
		167,73,630.65	-	-
		132,71,103.44	-	-
		4,01,000.00	-	-
		12,34,103.60	-	-
		22,67,774.8	-	-
		1,35,283.98	-	-
		3088,17,000.00	-	-
		30223,70,000.00	-	-
		1944,68,663.10	-	-
		6,450.00	-	-
		60,32,600.56	-	-
		2998,12,880.14	-	-
		2597,35,733.89	-	-
		458874,65,208.51	-	-
		1944,68,663.10	-	-
		6,450.00	-	-
		60,32,600.56	-	-
		5,17,479.48	-	-
		2,32,895.75	-	-
		3,50,000.00	-	-
		8,07,860.00	-	-
		4215,93,193.69	-	-
		50,000.00	-	-
		6147,00,241.28	-	-
		2346,61,263.84	-	-
		20,71,482.28	-	-
		5485,99,657.73	-	-
		104,57,144.99	-	-
		801,75,917.43	-	-
		102,60,814.00	-	-
		142,32,432.40	-	-
		4,64,211.00	-	-
		84,63,079.00	-	-
		27,659.74	-	-
		1019,42,360.79	-	-
		350,20,319.68	-	-
		27,41,48.65	-	-
		69,91,910.38	-	-
		167,73,630.65	-	-
		132,71,103.44	-	-
		4,01,000.00	-	-
		12,34,103.60	-	-
		22,67,774.8	-	-
		1,35,283.98	-	-
		3088,17,000.00	-	-
		30223,70,000.00	-	-
		1944,68,663.10	-	-
		6,450.00	-	-
		60,32,600.56	-	-
		2998,12,880.14	-	-
		2597,35,733.89	-	-
		458874,65,208.51	-	-
		1944,68,663.10	-	-
		6,450.00	-	-
		60,32,600.56	-	-
		5,17,479.48	-	-
		2,32,895.75	-	-
		3,50,000.00	-	-
		8,07,860.00	-	-
		4215,93,193.69	-	-
		50,000.00	-	-
		6147,00,241.28	-	-
		2346,61,263.84	-	-
		20,71,482.28	-	-
		5485,99,657.73	-	-
		104,57,144.99	-	-
		801,75,917.43	-	-
		102,60,814.00	-	-
		142,32,432.40	-	-
		4,64,211.00	-	-
		84,63,079.00	-	-
		27,659.74	-	-
		1019,42,360.79	-	-
		350,20,319.68	-	-
		27,41,48.65	-	-
		69,91,910.38	-	-
		167,73,630.65	-	-
		132,71,103.44	-	-
		4,01,000.00	-	-
		12,34,103.60	-	-
		22,67,774.8	-	-
		1,35,283.98	-	

पुनर्न पत्र का अंश निर्मित करने वाली अनुसूचियां
समय विधि / पंजी निधि (अनुसूची 1)

राशि (₹)	राशि (₹)
31-03-2024	31-03-2023
2058,55,914.00	2058,55,914.00
2058,55,914.00	2058,55,914.00

कुल

(क) लेखा के पंजी शीर्ष पर देनदारियां

अपली व अधिशेष लेखा (अनुसूची 2)

राशि (₹)	राशि (₹)
31-03-2024	31-03-2023
434864,64,015.07	407057,56,225.18
203,06,538.00	4177,70,783.85
37850,32,247.28	3353,61,946.40
472511,89,724.35	434864,64,015.07

व्यय पर आय की अधिकता

आदि शेष

घटाव: आय पर व्यय की अधिकता का को0खा0अ0लि0 पेंशन प्रशासन खाता से अंतरण

घटाव: पूर्व अवधि समायोजन

जोड़: पी व एल पर प्रभारित पेंशन प्रशासन घाटा

जोड़: वर्ष के दौरान अधिशेष

अंत: शेष

बाल देनदारियां व प्रावधान (अनुसूची 3)

राशि (₹)	राशि (₹)
31-03-2024	31-03-2023
4693,35,025.45	4693,35,025.45
7619,19,746.00	8067,10,126.00
16835,16,853.00	15770,26,829.00
7757,09,262.01	6339,42,992.03
91648,35,035.92	76329,94,528.34
12,50,000.00	
128565,65,922.38	111200,09,500.82

कुल

- (क) मुख्य पेंशन खाता में देय राशि
(ख) कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि (खाता सं. V) को देय राशि
(ग) डीएलआई प्रशासन को देय राशि
(घ) पेंशन प्रशासन खाते में खर्च की गई व देय राशि
(ङ) सीएसपीएफ के अपने कर्मचारीयों हेतु परिभाषित सेवानिवृत्त योजना का प्रावधान
(च) व्यय का प्रावधान

अचल परिसंपत्तियाँ (अनुसूची 4)

	राशि (₹) 31-03-2024	राशि (₹) 31-03-2023
(क) भूमि	1082,29,195.12	1082,29,195.12
(ख) पट्टा भूमि व मकान	13,46,426.00	9,36,000.00
(ग) इमारत	1828,43,228.65	1870,70,415.65
(घ) संयंत्र एवं मशीनरी	5,78,521.88	9,23,189.88
(ङ) विद्युत उपकरण	1.00	1.00
(च) कार्यालय उपकरण	1,99,616.00	1.00
(छ) कम्प्यूटर/संबंधित उपकरण	23,72,855.00	1.00
(ज) फर्नीचर व स्थावर वस्तु	30,54,266.12	81,17,163.69
(झ) वाहन	1.00	1.00
(ञ) अन्य परिसंपत्तियाँ	1,60,383.70	2,45,149.70
कुल	2987,84,494.47	3055,21,118.04

निवेश (अनुसूची 5)

	राशि (₹) 31-03-2024	राशि (₹) 31-03-2023
(क) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ (अनुलग्नक - क के अनुसार)	4052,94,345.30	4052,94,345.30
(ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ (अनुलग्नक - ख के अनुसार)	184376,40,900.63	176155,08,422.13
(ग) सांख्यिक क्षेत्र के बंधपत्र (अनुलग्नक - ग के अनुसार)	164917,14,406.00	142664,25,482.00
(घ) निजी क्षेत्र के बंधपत्र (अनुलग्नक - घ के अनुसार)	10961,36,888.74	14234,06,235.74
(ङ) एसटीडीआर/बैंकों में सावधि जमा (अनुलग्नक - ङ के अनुसार)	18493,22,295.14	15593,22,295.14
(च) एसटीजी (अनुलग्नक - च के अनुसार)	1239,18,800.00	465,91,868.52
(छ) यूएफएफ (अनुलग्नक - छ के अनुसार)	92099,82,817.49	81698,28,248.62
(ज) एलआईसी में निवेश	12582,97,923.16	8657,50,318.15
(झ) ई टी एफ (अनुलग्नक - ज के अनुसार)	488723,08,376.46	443521,27,215.60

खात परिसंपत्तियों, ऋण व अग्रिम (अनुसूची 6)

विविध देनदार

	राशि (₹) 31-03-2024	राशि (₹) 31-03-2023
(क) उपगत व्यय तथा पेशन प्रशासन खाते से वसूली योग्य		
(ख) कर्मचारियों के पेशन सह ग्रेज्युटी (खाता-VI) से वसूली योग्य राशि	2698,03,413.55	2698,03,413.55
(ग) को.खा.भं.नि. मुख्य खाते से वसूली योग्य राशि	94799,98,275.66	88151,39,835.49
(घ) जीएसटी द्वारा जद्वत की गई राशि (वापसीयोग्य)		
(ङ) डीएलआई		
(च) जीएसएलआई		
जोड़(क)	97498,01,689.21	90849,43,249.04
नकद एवं बैंक शेष		
(क) नकद अग्रिशेष		
(ख) खाता सं. III (मुख्यालय)		
(ख) खाता सं. III (क्षेत्रीय) (अनुलग्नक-I के अनुसार)	37,036.74	27,859.74
(ख) बैंक अग्रिशेष		
(क) भारतीय स्टेट बैंक - खाता VII (मुख्यालय) (खाता सं.10976587072)		
(ख) बैंक खाता III में शेष (अनुलग्नक - ज के अनुसार)	1001,61,282.61	1019,42,360.79
(ग) प्रतिभूति सेवारं. मंडई (खाता सं. 11139435036)	2230,85,499.20	350,20,319.68
(घ) पीएफ प्रशा. अंशदान खाता	803,46,092.61	1321,19,103.44
(ङ) पीएफ प्रशा. अंशदान खाता (सुरभि)	1145,50,180.00	4,01,000.00
(च) खाता संख्या - VI पेशन (जीवन बीमा निगम)	182,24,525.02	167,73,038.65
(छ) खाता सं. - XV छुट्टी नकदीकरण (जीवन बीमा निगम)	65,45,712.38	69,91,910.38
(ज) खाता - XVI ग्रेज्युटी (जीवन बीमा निगम)	66,57,977.65	27,41,148.65
(झ) खाता - V (जीपीएफ)	107,13,101.74	12,35,103.60
(ञ) सीएनपीएफ-जीएसएलआई (खाता - XII)	21,44,916.06	27,04,077.26
(ट) सीएनपीएफ - एनपीएस (खाता - XIV)	2,53,285.58	1,35,283.58
जोड़.....(ख)	5627,19,609.59	3000,91,205.77

रूण एवं अविम

	राशि (₹) 31-03-2024	राशि (₹) 31-03-2023
(क) त्योहार अविम		
(ख) कंप्यूटर अविम	50,000.00	94,716.44
(ग) वाहन अविम		
(घ) गृह निर्माण अविम	95,37,985.00	103,58,682.00
जोड़.....(ग)	<u>95,87,985.00</u>	<u>104,53,398.44</u>
उपचित ब्याज जो देय नहीं है		
(क) नैद सरकार की प्रतिभृतियाँ (अन्लग्नक - ट)	57,27,805.00	56,55,924.00
(ख) राज्य सरकार की प्रतिभृतियाँ (अन्लग्नक - ट)	2900,88,295.00	2812,04,408.00
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के वंचपत्र (अन्लग्नक - ड)	4420,92,035.00	3845,98,773.00
(घ) निजी क्षेत्र के बांड्स (अन्लग्नक - ड)	407,51,052.00	507,58,704.00
(ङ) सुरक्षि (अन्लग्नक-द)	8,09,726.00	2,44,087.00
(च) एसटीजी (अन्लग्नक - त)	409,40,493.00	367,31,347.00
जोड़.....(घ)	<u>8204,09,406.00</u>	<u>7591,93,243.00</u>
जोड़	<u>111425,18,689.80</u>	<u>101546,81,096.25</u>

क्र. सं.	विवरण	सकल हलाक										अनुवर्ध - 14	
		मूल्यहास का दर	31/03/2023 को अधिशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	**विक्रय/समायोजन	31/03/2024 को शेष	31/03/2023 तक	वर्ष के दौरान	समायोजन	कुल मूल्यहास	31/03/2023 को अधिशेष	सकल हलाक	31/03/2024 को अधिशेष
1	भूमि	-	1082,29,195.12	-	-	1082,29,195.12	18,83,569.03	-	-	1082,29,195.12	-	1082,29,195.12	
2	घरदा भूगि एवं इमारत	-	32,81,730.00	-	-	32,81,730.00	18,83,569.03	-	-	32,81,730.00	-	32,81,730.00	
3	इमारत	1.58%	2675,43,450.00	-	-	2675,43,450.00	804,73,034.35	51,735.00	-	2675,43,450.00	9,36,000.00	9,36,000.00	
4	संवत् एवं मशीनरी	6.33%	54,44,995.38	-	-	54,44,995.38	45,21,605.51	42,27,187.00	-	54,44,995.38	847,00,221.35	13,48,426.00	
5	वित्तीय उपकरण	9.59%	77,17,219.30	-	-	77,17,219.30	77,17,219.30	3,44,668.00	-	77,17,219.30	1828,43,228.05	1828,43,228.05	
6	बायोतय उपकरण	19.00%	185,60,785.05	-	-	185,60,785.05	185,60,785.05	10,89,195.00	-	185,60,785.05	48,66,473.51	48,66,473.51	
7	कम्प्यूटर/उपकरण	31.67%	2692,00,539.86	10,89,195.00	2,23,026.00	2,23,026.00	2692,00,539.86	10,89,195.00	-	2692,00,539.86	77,17,219.30	5,78,521.88	
8	फर्निचर व फिक्सचर	0.50%	796,25,897.29	28,19,289.00	22,62,033.43	(2,23,026.00)	796,25,897.29	4,46,435.00	-	796,25,897.29	2635,46,973.56	1,99,616.00	
9	वाहन	11.80%	157,98,651.01	-	-	157,98,651.01	655,08,733.60	71,01,907.00	-	157,98,651.01	81,17,693.69	23,72,855.00	
10	अन्य परिसंपत्तियां	6.33%	13,39,109.20	-	-	13,39,109.20	10,93,959.49	84,766.00	-	13,39,109.20	2,45,149.70	30,54,266.12	
	योग		7707,41,582.51	61,70,519.43	32,48,075.47	(2,23,026.00)	7707,41,582.51	133,45,893.00	-	7707,41,582.51	4781,27,577.47	1,60,393.70	
	पहले वर्ष का योग		7651,47,747.04	32,48,075.47	32,48,075.47		4491,66,123.80	137,08,590.67	-	7651,47,747.04	3199,81,623.24	2987,84,484.47	
							4491,66,123.80	137,08,590.67	-	4491,66,123.80	3199,81,623.24	30,55,21,116.04	

आय व व्यय लेखे का अंश निर्मित करने वाली अनसचियां
स्थापना खर्चे जिसमें छुट्टी यात्रा रियायत शामिल है
(अनसची 12)

राशि (₹)	राशि (₹)
31-03-2024	31-03-2023
325,85,948.00	763,66,136.00
2418,87,977.00	2092,28,448.00
1951,69,952.29	2426,83,162.02
46,51,595.00	34,98,362.36
2,81,072.00	2,82,694.00
22,89,114.00	27,54,052.00
4768,65,658.29	5348,12,854.38

अधिकारी का वेतन
स्थापना का वेतन
भत्ता व मानदेय (अनुलग्नक के अनुसार)
बोनस
छुट्टी यात्रा रियायत (अधिकारी)
छुट्टी यात्रा रियायत (स्थापना)

जोड़

कार्यालय वाहन (अनसची 13.1)

15,95,555.03	13,99,518.08
16,69,204.87	12,71,964.00
32,64,759.90	26,71,482.08

पेट्रोल, ऑइल व ल्यूब्रिकैण्ट्स
मरम्मत व अनुरक्षण

जोड़

किराया, शुल्क व कर (अनसची 13.2)

17,09,550.00	58,60,404.00
43,00,178.46	45,71,254.98
7,01,019.00	16,632.00
67,10,747.46	104,48,290.98

क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए मकान किराया
जल प्रभार, बीमा प्रीमियम, नगरपालिका
सेवा एवं अन्य कर

जोड़

विविध आकस्मिक खर्च व आवर्ती प्रभार (अनुसूची 13.3)

	Amount in ₹ As on 31-03-2024	Amount in ₹ As on 31-03-2023
लेखा परीक्षा शुल्क	75,000.00	7,140.00
दलाई प्रभार	46,854.34	28,500.00
वाहन प्रभार	3,95,380.00	1,08,911.00
हिंदी	8,06,196.00	2,20,130.00
वाहन किराया	27,49,024.00	9,37,790.00
स्कूल बस किराया	-	3,78,615.00
कार्यालय भवन व कर्मचारी आवासों का अनुरक्षण	327,63,958.95	505,07,319.19
सदस्यों के खाते का यंत्रीकरण	726,24,250.32	210,37,010.66
चिकित्सा सहायता, भत्ते सहित	825,97,684.58	773,10,731.87
मोटिंग व्यय	55,00,657.80	15,84,042.00
विविध आकस्मिक खर्च	53,32,528.50	38,81,554.36
जनरटर के लिए तेल	21,66,122.34	22,02,140.34
अन्य vyay	20,024.00	9,09,755.00
छपाई व प्रचार	1,24,722.00	3,21,460.00
सुरक्षा प्रहरी खर्च	409,85,489.16	399,16,907.16
सम्भूह ग एवं घ कर्मचारियों को पोशाक आपूर्ति	1,76,200.00	1,40,000.00
कर्मचारियों को कल्याणकारी स्विधार्	31,67,714.00	48,00,575.36
प्रशिक्षण	2,75,164.00	50,440.00
	2498,06,969.99	2043,43,021.94

जोड़

अन्य प्रकार (अनुसूची 13.4)

	राशि (₹) में 31-03-2024	राशि (₹) में 31-03-2023
पुराने रजिस्ट्रारों का बाईडिंग प्रकार किताबें व पत्रिकाएं	1,83,084.00	2,16,773.00
आकरिम्क स्थापना (वाटरमैन, गाली व स्वच्छता श्रमिक) विद्युत प्रकार	2,86,709.70	2,64,946.34
प्रपत्र व लेखनसामग्री, पासबुक सहित छुट्टी वेतन व पेंशन अंशदान विधि व्यय	240,83,598.00	305,19,605.00
अतिथि गृह का अनुरक्षण पेंशन व परिवार पेंशन ग्रेच्युटी	162,88,152.72	154,79,878.11
छुट्टी नकदीकरण	28,66,990.58	32,11,341.41
अक खर्च/धन आदेश/कमीशन रेलवे मालभाड़ा	542,79,228.20	370,55,363.00
पुराने फर्निचर की मरम्मत कार्यालय उपकरणों की मरम्मत व अनुरक्षण दस्तावेज प्रकार	79,88,465.36	50,75,097.00
पोशाक के लिए धुलाई प्रकार मनोरंजन क्लब परामर्श शल्क	29,103.00	78,430.00
	3244,73,187.20	3110,35,628.64
	1064,55,315.84	1200,50,988.08
	190,75,360.84	183,92,630.00
	19,66,957.90	16,61,775.40
	26,964.00	44,761.00
	43,176.00	2,01,378.00
	16,13,201.66	18,11,544.75
	12,54,063.99	8,11,358.00
	60,140.00	66,990.00
	24,13,875.00	13,60,324.00
	3,26,310.00	
जोड़	5637,13,883.99	5473,38,821.73

(संतोष कुमार)
सहायक आयुक्त

(विजय कुमार मिश्रा)
(आयुक्त)

भारत और मानदेय

	राशि (₹) 31-03-2024	राशि (₹) 31-03-2023
संतान शिक्षा भता	54,32,042.00	80,22,281.00
महंगाई भता (कार्यालय एवं स्थापना)	1238,78,511.36	1031,74,711.72
दिव्यांगता भता		39,632.00
मानदेय		34,86,784.36
गृह किराया भता (स्थापना एवं कार्यालय)	12,49,149.00	266,50,077.00
रोकड़ भता	271,46,780.00	39,470.00
समयोपरि भता	33,400.00	23,831.00
विशेष क्षतिपूर्ती भता (स्थापना एवं कार्यालय)	20,562.00	4,21,736.00
टीए स्थापना टूर पर	7,52,303.08	4,21,736.00
टीए स्थापना ट्रांसफर पर	110,30,247.00	86,83,301.72
टूर पर अधिकारियों का टीए	13,89,359.00	23,74,386.00
ट्रांसफर पर अधिकारियों का टीए	49,33,407.00	11,83,591.00
ट्रस्टियों का टीए	9,79,658.00	37,30,093.00
परिवहन भता (स्थापना एवं कार्यालय)	3,18,283.00	4,08,363.00
असंवितरित वेतन भता	171,44,759.44	168,76,557.92
धुलाई भता (समूह डी)	8,22,668.41	675,39,936.30
	38,823.00	28,400.00
जोड़	1951,69,952.29	2426,83,162.02

अनुबंध - I

खाता संख्या III (क्षेत्र) में शेष नकद

क्रमांक	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	31.03.2024 को	31.03.2023 को
1	आसनसोल	-	-
2	बराकर	-	-
3	बिलासपुर	-	-
4	छिंदवाड़ा	-	-
5	देवघर	21,000.00	6,000.00
6	धनबाद	-	-
7	इंडीपी हैदराबाद	-	-
8	मुख्यालय	-	-
9	हैदराबाद	-	-
10	जबलपुर	1.74	-
11	जम्मू	-	1.74
12	झरिया	-	-
13	करगली	-	-
14	कतरास	-	-
15	कोलकाता	-	-
16	कोशागडम	-	-
17	मार्गरिटा	-	-
18	भुवनेश्वर	-	-
19	बोकारो	-	-
20	नई दिल्ली	252.00	576.00
21	रामगढ़	-	-
22	रांची	-	-
23	राजीवगंज	15,783.00	21,282.00
24	सम्बलपुर	-	-
25	सिंगरौली	-	-
26	लालचौर	-	-
	कुल...	37,036.74	27,859.74

लेखा सं० III (क्षेत्र) में शेष

क्रमांक	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	31.03.2024 को	31.03.2023 को
1	आसनसोल	42,30,783.30	34,63,920.62
2	बराकर	62,53,416.15	51,14,141.22
3	बिलासपुर	34,91,737.59	37,77,969.59
4	छिंदवाड़ा	66,17,039.92	28,62,681.92
5	देवघर	14,74,900.00	10,10,152.00
6	धनबाद	54,731.38	152,29,032.06
7	इडीपी हैदराबाद	20,66,860.33	8,91,198.18
8	मुख्यालय	49,73,567.83	50,56,459.77
9	हैदराबाद	97,45,851.05	129,84,871.22
10	जबलपुर	83,58,899.31	60,40,884.88
11	जम्शेदपुर	-	-
12	झरिया	(5,11,216.43)	(5,11,216.43)
13	करगली	-	-
14	कतरास	74,60,842.69	136,63,524.60
15	कोलकाता	16,43,998.47	12,36,240.37
16	कोथगडम	27,97,430.74	16,60,441.74
17	मार्गेस्टा	11,84,701.25	15,32,000.65
18	मुगमा	1,782.73	1,782.73
19	नागपुर	56,62,507.01	54,78,834.46
20	नई दिल्ली	28,51,961.15	23,37,319.75
21	रामगढ़	52,38,866.10	82,09,700.10
22	रांची	45,41,348.00	30,19,220.00
23	रानीगंज	43,60,506.62	18,43,885.94
24	सम्बलपुर	41,65,346.50	15,05,790.50
25	सिगरौली	43,35,740.00	31,34,263.00
26	तालचर	91,59,680.92	23,99,261.92
	Total...	1001,61,282.61	1019,42,360.79

कोयला खान भविष्य निधि प्रशासन (खाता संख्या VIII)

31-03-2024 को तुलन-पत्र का अंश निर्मित करने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 7 एवं 8 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ - खातों के लिए नोट एवं आकस्मिक देनदारियाँ

क. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ :

1. सामान्य

- i) खाते ऐतिहासिक लागत के आधार पर और चल रहे चिंता के विषय के लेखांकन सिद्धांतों पर तैयार किए जाते हैं।
- ii) लेखांकन नीतियाँ जो विशेष रूप से अन्यथा संदर्भित नहीं हैं, सुसंगत हैं और आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं।
- iii) आकस्मिकताओं को जहाँ भी लागू हो, व्यक्त किया जाता है।
- iv) मुख्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों/अनुभागों के संबंधित प्रमुखों, अभिरक्षक, निधि प्रबंधकों, बैंकों आदि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित/प्रमाणित रिपोर्टों पर खाते तैयार/संकलित किए जाते हैं।

2. आय

- i) अन्य अंतर निधि खाता के साथ अग्रिम पर ब्याज को प्रोद्भवन आधार पर लेखा-जोखा में लिया जाता है।
- ii) पीएफ प्रशासन प्रभार के अधीन अंशदान को नकद आधार पर लेखा-जोखा में लिया जाता है।
- iii) निवेश पर ब्याज को उपचय के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

3. व्यय

- i) पीएफ प्रशासन के व्यय की गणना नकद आधार पर की जाती है।
- ii) डीएलआई प्रशासन और पेंशन प्रशासन से संबंधित सभी व्यय मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पीएफ प्रशासन खाते से किए जा रहे हैं और इन खातों में अंतरित कर दिए गए हैं।

4. अचल परिसंपत्तियाँ

- i) अचल परिसंपत्तियाँ ऐतिहासिक लागत पर व्यक्त की जाती हैं।

5. निवेश

- i) निवेश लागत में व्यक्त किया जाता है जिसमें प्रबंधन शुल्क को छोड़कर ब्रोकरेज शामिल किया जाता है।

6. मूल्यहास

- i) अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास सीधी रेखा विधि पर लगाया जाता है।

ख. खातों के लिए नोट

- i) पीएफ मुख्य खाते पर लगने वाले बैंक प्रभार और कमीशन की प्रतिपूर्ति पीएफ प्रशासनिक खाते से की जाती हैं।
- ii) पिछले वर्ष के आंकड़े जहां भी आवश्यक हो, पुनर्गठित और पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं।
- iii) खरीद के समय भुगतान किए गए/प्राप्त प्रीमियम / छूट को प्रतिभूतियों के मोचन के समय पी एंड एल खाते में अंतरित कर दिया जाता है।
- iv) पेंशन प्रशासकीय खाते से संबंधित बजटीय व्यय पीएफ प्रशासनिक खाते से अंतरित किया जाता है।
- v) डीएलआई प्रशासनिक खाते और पेंशन प्रशासनिक खाते के लिए आनुपातिक व्यय पीएफ प्रशासनिक खाते से अंतरित किया जाता है।
- vi) डीएलआई प्रशासनिक निधि पर ब्याज @ 7.6% प्रति वर्ष लगाया जाता है।
- vii) सीएमपीएफ मुख्य खाते पर ब्याज @ 7.6% प्रति वर्ष लगाया जाता है।
- viii) सीएमपीएफ मुख्य खाते के कॉन्ट्रा मदों के अंतर्गत आने वाले सीएमपीएफ स्टाफ पेंशन, अवकाश नकदीकरण और ग्रेज्युटी के शेष को सीएमपीएफ प्रशासन खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है।
- ix) खाता-V (जीपीएफ) का रखरखाव प्रत्ययी हैसियत में सीएमपीएफ प्रशासन खाते द्वारा किया जाता है परंतु इसके तहत लेनदेन आरओ-7 के माध्यम से रिपोर्ट किया जाता है तथा आदि शेष व अंतःशेष को पृथक दिखाने के बजाय प्राप्ति एवं भुगतान खातों में दिखाने वाले लेनदेन के साथ जोड़ दिया जाता है।
- x) कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण के लिए सदस्यों के खाते का मशीनीकरण का का सृजन किया गया और कंप्यूटर और अन्य उपकरण की खरीदी से संबंधित ऐसे सभी व्यय इस शीर्ष के अधीन डाले गए।
- xi) सीएमपीएफओं के कर्मचारियों द्वारा बनाए गए 02 (दो) निधि हैं, अर्थात् परोपकारी निधि और मनोरंजन क्लब निधि। इन निधियों को पूरी तरह से क्रमशः सीएमपीएफओं के कर्मचारियों के अंतिम संस्कार समारोह और मनोरंजक कार्यों के लिए बनाया है और इन दो शीर्षों के तहत व्यय विनिमय हैं।

- xii) सीएमपीएफओ के कर्मचारियों को अग्रिम संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना अनुभाग के माध्यम से वितरित और वसूल किया गया। हालांकि, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आरओ-7 की तैयारी के दौरान नकद अनुभाग, एक अग्रिम की वसूली अन्य अग्रिमों के प्रमुख के तहत दिखाई दे सकती है और इससे आंकड़ों में अंतर हो सकता है।
- xiii) नई पेंशन योजना के शेष का मिलान अभी जारी है।
- xiv) मुख्यालय के बैंक खाता सं. III (भारतीय स्टेट बैंक) का 31.10.2008 को अंतःशेष का अंतर ₹95.08 लाख थी।
- xv) मुख्यालय के बैंक खाता सं V और बैंक खाता सं. VI (भारतीय स्टेट बैंक) 31.10.2008 को अंतः शेष में अंतर क्रमशः ₹ 73.06 लाख और ₹ 2.74 लाख थी।
- xvi) आकस्मिक देयताएं : जैसा कि ईडीपी अनुभाग, सीएमपीएफ मुख्यालय, धनबाद द्वारा सूचित किया गया है, एसएपी से संबंधित पूरा भुगतान कर किया गया है और आज की तारीख में केवल ₹ 10 लाख रोके गए हैं। इसके अलावा नेसर्स रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरसीआईएल) का बिल ₹ 1,41,34,874/- अभी लंबित है।
- xvii) वर्ष के दौरान आईएल एंड एफएस और रिलायंस कैपिटल में अपेक्षित हानि को निवेश उप-समिति दिनांक 28-03-2022 के निर्णय के अनुसार दर्ज किया गया है। अपेक्षित हानि निधि प्रबंधकों द्वारा सूचित अपेक्षित वसूली के अनुसार निर्धारित की गई है अर्थात् आईएल एंड एफएस के मामले में 33% और आरसीएपी के मामले में 55%। हानि की मात्रा क्रमशः ₹ 00.00 करोड़ और ₹ 2.70 करोड़ है। आरसीएपी के मामले में ₹ 2.70 के कुल हानि में से ₹ 2.07 करोड़ पूर्व अवधि की मद के रूप में दर्ज किए गए और ₹ 00.63 करोड़ वर्तमान अवधि के रूप में दर्ज किए गए।
- xviii) ऋण निवेश के मोचन के तहत ₹ 7,48,22,846.50 (आईएलएफ और आरसीएपी के लिए हानि सहित) की हानि दर्ज की गई है एवं इक्विटी खंड में मोचन के तहत ₹ 2,06,62,657.96 के लाभ दर्ज किया गया।
- xix) अचल संपत्तियों पर मूल्यांकन कंपनी अधिनियम 2013 (एसएलएएम) में निर्दिष्ट दर पर लगाया गया है।
- xx) दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निवेश ₹ 7 करोड़ रुपये और रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की राशि ₹ 6 करोड़ डिफॉल्ट हो गए हैं और इसे चूक/स्ट्रेस्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है और अलग से खुलासा किया गया है। संबंधित नियमों के तहत समाधान प्रक्रिया चल रही है। अंतिम समाधान के बाद निवेश की गणना की जाएगी।
- xxi) डीएचएफएल की समाधान प्रक्रिया की घोषणा की गई है और कुल वसूली योग्य राशि ₹ 3,65,05,457.74 है।
- xxii) वर्ष के दौरान पूर्व में एनपीएस वाले 49 कर्मचारियों ने अब ओपीएस का चुनाव किया है। इसके परिणामस्वरूप सीएमपीएफ कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ योजना के कारण उच्च मूल्यांकन हुआ।

xxiii) कोयला खान पेंशन योजना 1998 के पैरा 18 (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार पेंशन प्रशासन के व्यय की पूर्ति करने के लिए ₹39,57,47,415.98 की राशि पेंशन प्रशासन खाते में अंतरित कर दी गई है।

xxiv) वर्ष के दौरान किसी भी अचल संपत्ति/निवेश का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

ग. सीएमपीएफ संगठन के अधिशेष को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (25) के तहत आयकर लगाने से छूट दी गई है।

कोयला खान पेंशन निधि मुख्य खाता

31-03-2024 को तलन पत्र

समय निधि/पंजीगत निधि और देनदारियां	अनुसूची	(राशि ₹ में) 31-03-2024 को	(राशि ₹ में) 31-03-2023 को
निधि/पूजा निधि आरक्षित निधि एवं अधिषेध चालू देनदारियां एवं प्रबंध व्यवस्था जोड़ ...	1 2 3	(161402,86,570.83) 2451292,21,833.30 0.00	(183470,18,768.07) 2286796,69,963.67 0.00
परिसंपत्तियाँ		2289889,35,262.47	2103326,51,195.60
निवेश चालू परिसंपत्तियां, ऋण व अग्रिम जोड़ ...	4 5	2233445,70,806.28 56443,64,456.19	2017298,53,292.16 86027,97,903.44
आकस्मिक देनदारियां महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	6	2289889,35,262.47	2103326,51,195.60
		0.00	0.00

दिनांक: 10.07.2024

स्थान: धनबाद

(संतोष कुमार)
सहायक आयुक्त

(विजय कुमार मिश्र)
आयुक्त

कोयला खान पेंशन निधि मुख्य खाता

31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

आय	अनुसूची	(राशि ₹ में) 31-03-2024 को	(राशि ₹ में) 31-03-2023 को
ब्याज से आय	7		
सार्वजनिक खाते		111367,04,950.00	102642,44,140.00
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ		9133,11,575.49	9088,67,297.00
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ		24549,00,836.12	22964,00,208.22
सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड		19638,11,963.93	17668,10,106.69
निजी क्षेत्र के बॉन्ड		1178,08,146.35	1320,06,175.27
अल्पवधि जमा प्राप्तियाँ/सावधि जमा			
एस टी जी		1161,90,363.00	985,81,436.04
इंटीएफ लाभोंश			
विविध आय (निवेश)		30,23,059.39	19,33,117.11
सुरभि खाते पर ब्याज		98,70,458.98	146,58,731.52
यू एल एफ में लाभ		306,66,942.63	475,33,279.21
जोड़ ...		167462,88,295.89	155310,34,491.06
व्यय			
प्रतिभूतियों की पुनर्प्राप्ति पर हानि		1597,39,289.26	479,62,227.63
आईएल एवं एफएस तथा आरसीएपी पर अपेक्षित हानि पर हानि का प्रावधान।		300,60,180.00	0.00
जोड़ ...		1897,99,469.26	479,62,227.63
व्यय पर आय की अधिकता (क-ख) आरक्षी व अधिवेश में अंतरित		165564,88,826.63	154830,72,263.43

आकस्मिक देनदारियां महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

6

(संतोष कुमार)
सहायक आयुक्त

(विजय कुमार मिश्रा)
आयुक्त

कोयला खान पेंशन निधि मुख्य खाता

31-03-2024 को समाप्त अवधि के लिए प्राप्त व भगतान लेखा

राशि (में) 31-03-2023 को	प्राप्ति	राशि (में) 31-03-2023 को	राशि (में) 31-03-2023 को	भुगतान	राशि (में) 31-03-2024 को
12,241.09	बैंक खाता	12,241.09	17203.37,042.00	निवेश	51807.79,400.00
1993.81,933.52	-आदि शेष	342.11,367.59	26480.67,120.00	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	104994.09,310.00
11,590.00	एसबीआई एसी VII (मुख्य खाता)	11,590.00	2894.77,330.84	केंद्र सरकार प्रतिभूति	2000,00,000.00
12,35,070.75	पेंशन निवेश खाता	12,30,993.75	590852.46,107.36	राज्य सरकार प्रतिभूति	340231,80,849.14
827,96,273.87	केनरा बैंक (धनबाद)	(32,54,023.94)	2576.54,564.35	एसटीडीआर / एफडी	8640,49,161.93
33537.26,375.10	खाता VII (क्षेत्र)	35505.22,072.46		एसटीजी	
890,08,724.85	खाता XIII (क्षेत्र)	9290,80,974.11		यूपएलएफ	
	पेंशन संवितरण खाता	37,04,000.00		ईटीएफ	
4212,80,832.64	पेंशन अंशदान खाता (सुरभी)	1564,28,967.88		व्यय	
	अतिरिक्त पेंशन अंशदान	14080,00,000.00	2,49,680.94	बैंक प्रभार	21,009.47
7372,50,000.00	निवेश मोचन	41102,80,000.00	469197.82,803.83	पेंशन संवितरण खाता	543526.71,624.07
24184,50,000.00	सार्वजनिक क्षेत्र कंत्र उपक्रम	2650,00,000.00	1695,86,278.46	पेंशन संवितरण आयोग	1417,45,260.51
	राज्य सरकार की प्रतिभूति	1700,29,482.56		सीएम्पीएफ मुख्य को देय राशि	
167,03,050.00	केंद्र सरकार की प्रतिभूति	1480,00,000.00		प्रतिभूति खरीद पर देय ब्याज	
593541,91,082.68	राज्य सरकार की प्रतिभूति से प्राप्त ब्याज	339220,27,190.76	194,31,973.98	केंद्र सरकार प्रतिभूति पर दिया गया ब्याज	
1935,36,562.63	पीएमय से प्राप्त ब्याज	493643,31,589.73	20,69,917.81	राज्य सरकार प्रतिभूति पर दिया गया ब्याज	
365050,58,655.85	निजी क्षेत्र के बांड से प्राप्त ब्याज	9195,33,899.49	13,97,194.52	बैंक प्रभार	77,347.22
	एसटीडीआर / एफडी	22841,66,317.34		सार्वजनिक क्षेत्र के बांड पर दिया गया ब्याज	
	निजी क्षेत्र के बांड पर प्राप्त ब्याज	18681,51,310.70		निजी क्षेत्र के बांड पर दिया गया ब्याज	
	एसटीडीसी से प्राप्त ब्याज	1265,37,162.35		एसटीडीसी पर दिया गया ब्याज	
	सुरभि पर ब्याज	1195,88,185.00		बैंक खाता - अंतः शेष	12,241.09
	ईटीएफ लाभांश	109,63,466.00		एसबीआई एसी VII (मुख्य खाता)	2464,26,333.12
	विविध आय (निवेश)	30,23,059.39		पेंशन निवेश खाता	
19,33,117.11	यूपएलएफ पर लाभ	70080,70,643.58		केनरा बैंक (धनबाद)	11,96,298.75
4215,93,195.00	सीएम्पीएफ प्रशासन से प्राप्त राशि			खाता VII (क्षेत्र)	(63,13,238.13)
77460,15,269.43	अतिरिक्त पेंशन अंशदान			खाता XIII (क्षेत्र)	6472,60,210.44
	जोड़			पेंशन संवितरण खाता	16,36,343.00
				पेंशन अंशदान खाता (सुरभी)	1893,05,145.00
				अतिरिक्त पेंशन अंशदान	563,67,620.46
1157852,48,197.03	जोड़	1063996,50,489.84	1157852,48,197.03	जोड़	1063996,50,489.84

(संतोष कुमार)
सहायक आयुक्त

(विजय कुमार मिश्र)
आयुक्त

तुलन पत्र का अंश निर्मित करने वाली अनसूचियां

अनसूची 1 - समय निधि/पंजी निधि

	Amount in ₹ As on 31-03-2024	Amount in ₹ As on 31-03-2023
(क) पेंशन अंशदान निधि		
आदि शेष	(395690,91,505.86)	(285995,66,588.60)
जोड़: वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान	493696,39,831.32	359279,83,618.85
घटाव: वर्ष के दौरान किया गया संवितरण	542773,78,277.66	468975,08,536.11
अंत: शेष (क)	(444768,29,952.20)	(395690,91,505.86)
(ख) अतिरिक्त पेंशन अंशदान		
आदि शेष	130322,53,737.79	52862,38,468.36
जोड़: वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान	70080,70,643.58	77460,15,269.43
अंत: शेष (ख)	200403,24,381.37	130322,53,737.79
(ग) सरकारी अंशदान		
आदि शेष	81898,19,000.00	81841,19,000.00
जोड़: वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान	1064,00,000.00	57,00,000.00
अंत: शेष (ग)	82962,19,000.00	81898,19,000.00
Total (A+B)	(161402,86,570.83)	(183470,18,768.07)

अनसूची 2 - आरक्षी निधि व अधिशेष

	राशि (में) 31-03-2024 को	राशि (में) 31-03-2023 को
(क) आरक्षी निधि व अधिशेष		
आदि शेष	2286796,69,963.67	2131965,97,700.24
जोड़: वर्ष के दौरान व्यय पर आय की अधिकता	165564,88,826.63	154830,72,263.43
जोड़: पूर्व वर्ष का समायोजन	(1069,36,957.00)	-
अंत: शेष	2451292,21,833.30	2286796,69,963.67

अनुसूची 3-चालू परिसंपत्तियाँ

राशि (में) 31-03-2024 को	राशि (में) 31-03-2023 को
0.00	0.00
-	-

(क) सीएमपीएफ मुख्य खाता को देय राशि

अनुसूची 4- निवेश

राशि (में) 31-03-2024 को	राशि (में) 31-03-2023 को
1310200,58,199.45	1207558,14,059.45
111367,04,950.00	102642,44,140.00
1421567,63,149.45	1310200,58,199.45

(क) सार्वजनिक खाते में जमा

आदि शेष
जोड़: वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज
अंत: शेष

(ख) निवेश

केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ (अनुलग्नक - क)
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ (अनुलग्नक - ख)
सार्वजनिक क्षेत्र के बंधपत्र (अनुलग्नक - ग)
निजी क्षेत्र के बंधपत्र (अनुलग्नक-घ)
निजी क्षेत्र बांड-डिफाल्ट/स्ट्रेस (अनुलग्नक घ)
एसटीजी (अनुलग्नक-ड)
इटीएफ (अनुलग्नक-च)
यूएलएफ (अनुलग्नक-छ)

104476,28,684.50	107300,92,184.50
355022,30,369.65	292380,66,034.25
277004,52,962.68	239383,19,176.01
23677,58,599.78	17191,63,966.67
-	9566,62,454.00
15163,21,674.84	14699,45,674.84
34795,96,865.37	26155,47,703.44
1738,18,500.01	419,97,899.00
811878,07,656.83	707097,95,092.71
2233445,70,806.28	2017298,53,292.16

जोड़ ... (ख)

जोड़ (क+ख)

अनुसूची 5-चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण व अग्रिम

	(राशि में) 31-03-2024 को	(राशि में) 31-03-2023 को
ऋण, अग्रिम व वसूली योग्य राशि		
(क) पेंशन प्रशासन से प्राप्य बैंक कमीशन	20993,18,262.01	19575,51,992.03
(ख) को.खा.भ.नि. प्रशासन खाता से प्राप्य राशि	4693,35,025.45	4693,35,025.45
(ग) सीएमपीएफ मुख्य खाते में देय राशि	1870,01,588.00	
(घ) उपर्युक्त ब्याज जो देय नहीं है		
(ङ) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ (अनुलग्नक - ज)	2189,45,795.00	2251,68,119.00
(च) राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ (अनुलग्नक - झ)	6481,68,642.00	4773,56,776.00
(छ) सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड्स (अनुलग्नक - ज)	7630,93,471.00	6656,07,244.00
(ज) निजी क्षेत्र के बंधपत्र (अनुलग्नक - ट)	896,52,005.00	983,81,021.00
(झ) सुरभि खाता	10,27,483.00	21,20,490.02
(ञ) एसटीजी (अनुलग्नक - ड)	319,31,231.00	353,29,053.00
	45084,73,502.46	39308,49,720.50

बैंक शेष

(क) भारतीय स्टेट बैंक खाता VII (धनबाद)	12,241.09	12,241.09
(ख) एस.बी.आई. खाता 30224418329 :निवेश(मुंबई)	2464,26,333.12	342,11,367.59
(ग) केनरा बैंक (धनबाद) खाता सं. - 0251201002066		11,590.00
(घ) अतिरिक्त पेंशन अंशदान खाता	13,22,620.46	344,48,610.94
(ङ) अतिरिक्त पेंशन अंशदान खाता (सुरभि)	550,45,000.00	1219,80,356.94
(च) पेंशन अंशदान खाता	16,36,343.00	9290,80,974.11
(छ) पेंशन अंशदान खाता (सुरभि)	1893,05,145.00	37,04,000.00
(ज) खाता संख्या VII का बैंक शेष (क्षेत्र) (अनुलग्नक प)	11,96,298.75	12,30,993.75
(झ) खाता संख्या XIII का बैंक शेष (क्षेत्र) (अनुलग्नक फ)	(63,13,238.13)	(32,54,023.94)
(ञ) पेंशन सवितरण खाता (अनुलग्नक-ब)	6472,60,210.44	35505,22,072.46
	11358,90,953.73	46719,48,182.94
	56443,64,456.19	86027,97,903.44

जोड़...

अनलरनक - फ

बैंक खाता संख्या -VII (क्षेत्र) में शेष राशि

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	31-03-2024 को	31-03-2023 को
1	आसनसोल (आसनसोल क्षेत्र-II)	0.00	0.00
2	बराकर (आसनसोल क्षेत्र-III)	0.00	0.00
3	बिलासपुर	1,44,852.00	1,44,852.00
4	छिदवाड़ा	0.00	0.00
5	देवघर	16,229.00	16,229.00
6	धनबाद (धनबाद क्षेत्र-1)	2,29,994.75	2,29,994.75
7	हैदराबाद	0.00	0.00
8	जबलपुर	0.00	0.00
9	जम्शेदपुर	0.00	34,695.00
10	झरिया (धनबाद क्षेत्र-III)	0.00	0.00
11	करगली (रांची क्षेत्र-II)	0.00	0.00
12	कतरास (धनबाद क्षेत्र-2)	0.00	0.00
13	कोलकाता	0.00	0.00
14	कोठागडम	0.00	0.00
15	मार्गेरिटा	27,350.00	27,350.00
16	मुगम (आसनसोल क्षेत्र-IV)	0.00	0.00
17	नागपुर	0.00	0.00
18	नई दिल्ली	0.00	0.00
19	रामगढ़ (रांची क्षेत्र-2)	0.00	0.00
20	रांची (रांची क्षेत्र-I)	0.00	0.00
21	रानीगंज (आसनसोल क्षेत्र-I)	0.00	0.00
22	सबलपुर	7,65,334.50	7,65,334.50
23	सिगरीली	0.00	0.00
24	तालचर	12,538.50	12,538.50
	जोड़...	11,96,298.75	12,30,993.75

अनलग्नक - ब

बैंक खाता संख्या -XIII (क्षेत्र) में शेष राशि

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	31-03-2024 को	31-03-2023 को
1	आसनसोल (आसनसोल क्षेत्र-I)	61,961.70	11,901.97
2	बराकर (आसनसोल क्षेत्र-III)	-	-
3	बिलासपुर	1,86,387.06	54,444.00
4	छिंदवाड़ा	-	-
5	देवघर	1,831.00	1,831.00
6	धनबाद (धनबाद क्षेत्र-I)	-	1,64,041.92
7	हैदराबाद	12,54,778.93	12,54,778.93
8	जबलपुर	36,301.05	12,491.00
9	जम्मू	-	-
10	झरिया (धनबाद क्षेत्र-III)	(81,46,895.76)	(81,46,895.76)
11	करगली (रांची क्षेत्र-III)	-	-
12	कतरास (धनबाद क्षेत्र-II)	-	18,89,470.65
13	कोलकाता	-	49,351.54
14	कोठागडूम	1,54,027.37	2,50,019.37
15	मार्गीरटा	95,677.17	95,677.17
16	मुगम (आसनसोल क्षेत्र-IV)	1,783.25	1,783.25
17	नागपुर	-	92,854.00
18	नई दिल्ली	-	-
19	रामगढ़ (रांची क्षेत्र-II)	-	5,63,160.00
20	रांची (रांची क्षेत्र-I)	-	-
21	रानीगंज (आसनसोल क्षेत्र-I)	-	-
22	सबलपुर	-	2,39,902.92
23	सिगरौली	-	1,70,254.00
24	तालचेर	40,910.10	40,910.10
	जोड़ें...	(63,13,238.13)	(32,54,023.94)

अनुलग्नक - भा

पेंशन संवितरण खाते में शेष राशि

क्र.सं.	बैंक का नाम	31-03-2024 को	31-03-2023 को
1	इलाहाबाद बैंक (खाता - 7480)	399,29,520.80	340,07,376.80
2	आंध्र बैंक (खाता - 0292)	5,40,274.67	4,37,151.01
3	बैंक ऑफ बड़ोदा (खाता - 0295)	266,23,863.99	210,14,050.99
4	बैंक ऑफ बड़ोदा (खाता - 0296)	1,72,508.00	1,72,508.00
5	बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 2286)	1990,59,892.10	263,44,340.15
6	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	243,71,266.31	242,69,008.51
7	कैनरा बैंक (खाता - 2634)	290,06,870.49	303,89,896.49
8	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 0098)	1374,87,046.43	36,05,155.55
9	इंडियन ओवरसीज बैंक (खाता - 0157)	40,21,250.27	40,21,250.27
10	पंजाब नेशनल बैंक (खाता - 0747)	570,30,209.93	562,55,533.83
11	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (खाता - 9038)	-	133,92,307.04
12	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 8288)	24,84,510.74	30889,47,743.24
13	यूको बैंक (खाता - 2069)	1213,60,222.57	1275,16,614.01
14	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 2054)	39,724.58	658,70,818.26
15	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 0730)	51,33,049.56	542,78,318.31
	जोड़...	6472,60,210.44	35505,22,072.46

कोयला खान पेंशन निधि खाता

31-03-2024 को तुलन-पत्र का अंश निर्मित करने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 6 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ :

1. सामान्य

- i) खाते ऐतिहासिक लागत के आधार पर और चल रहे चिंता के विषय के लेखांकन सिद्धांतों पर तैयार किए जाते हैं।
- ii) लेखांकन नीतियाँ जो विशेष रूप से अन्यथा संदर्भित नहीं हैं, सुसंगत हैं और आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं।
- iii) खातों को क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय कार्यालय के अनुभागों, अभिरक्षक, निधि प्रबंधकों, बैंकों आदि के संबंधित प्रमुखों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित/प्रमाणित रिपोर्टों पर तैयार/संकलित किया जाता है।

2. आय

- i) निवेश पर ब्याज को प्रोद्भवन के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।
- ii) अंतराखाते शेष पर ब्याज को प्रोद्भवन के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।
- iii) सार्वजनिक खाते पर ब्याज की गणना उपचय के आधार पर की जाती है।

3. व्यय

- i) पेंशन प्रशासन से संबंधित खर्चों को पेंशन प्रशासन खाते में हिसाब में लिया जाता है।
- ii) बैंक शुल्क/कमीशन पेंशन प्रशासनिक और पीएफ प्रशासनिक खाते में अंतरित कर दिया जाता है।
- iii) प्रतिभूतियों के मोचन के समय प्रतिभूति के मोचन पर हानि/लाभ का हिसाब लगाया जाता है।
- iv) सीएमपीएफ योजना के अनुसार बैंक को बैंक शुल्क के भुगतान सहित पेंशन के संवितरण में सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल है।

4. निवेश

i) निवेश लागत पर बयान किया गया है, जिसमें प्रबंधन शुल्क को छोड़कर ब्रोकरेज शामिल है।

5. अंशदान

- i) पेंशन अंशदान का हिसाब नकद आधार पर दिया जाता है।
- ii) सरकारी अंशदान की गणना प्रोव्हीडन आधार पर की जाती है और इसे समग्र निधि/पूजी निधि में शामिल किया जाता है।

ख. खातों के लिए नोट

- i) पेंशन प्रशासनिक खाते द्वारा प्रतिपूर्ति किए गए बैंक शुल्क और प्रबंधन शुल्क।
- ii) पिछले वर्ष के आंकड़े जहाँ भी आवश्यक हो, पुनर्गठित और पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं।
- iii) अंतर खाता शेष पर ब्याज @7.6% प्रति वर्ष अर्जित किया जाता है।
- iv) खरीद के समय भुगतान किए गए/प्राप्त प्रीमियम/छूट को प्रतिभूतियों के मोचन के समय पी एंड एल खाते में अंतरित कर दिया जाता है।
- v) प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए डाटा के आधार पर राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से पेंशन संवितरण किया जाता है और बैंक विवरण के आधार पर खातों की पुस्तकों में हिसाब किया जाता है।
- vi) पेंशन संवितरण में से, कुछ पेंशन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ही वितरित की जाती है और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत आरओ विवरण के आधार पर पुस्तकों में दर्ज की जाती है।
- vii) सार्वजनिक खाते में जमा पर ब्याज से प्राप्त आय भारत सरकार की पुष्टि के अधीन है।
- viii) रिलायंस कैपिटल लिमिटेड में ₹23.00 करोड़ रुपये और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में ₹5.00 करोड़ की निवेश राशि को डिफॉल्ट/स्टेड्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें डीएचएफएल निवेश से अप्रार्षित ₹67.67 करोड़ भी शामिल हैं।
- ix) वर्ष के दौरान आईएल एंड एफएस और रिलायंस कैपिटल में अपेक्षित हानि को निवेश उप-समिति दिनांक 28.03.2022 के निर्णय के अनुसार दर्ज किया गया है। अपेक्षित हानि निधि प्रबंधकों द्वारा सूचित अपेक्षित प्राप्ति के अनुसार अर्थात् आईएल एंड एफएस के मामले में 33% और आरसीएपी के मामले में 55% निर्धारित की गई है।

अपेक्षित हानि क्रमशः ₹3.35 करोड़ और ₹10.35 करोड़ तक निर्धारित की गई है। आईएल एंड एफएस से संबंधित ₹3.35 करोड़ की कुल हानि में से, पूर्व अवधि मद के रूप में बुक किए गए ₹2.74 करोड़ की हानि और वर्तमान अवधि के दौरान ₹0.61 करोड़ दर्ज किए गए। इसी प्रकार, आरसीएपी के मामले में ₹7.95 करोड़ पूर्व अवधि की मद के रूप में दर्ज किए गए और ₹2.40 करोड़ वर्तमान अवधि के रूप में दर्ज किए गए।

x) डीएचएएल की समाधान प्रक्रिया की घोषणा की गई है और ₹129.00 करोड़ के कुल एक्सपोजर में से ₹61.33 करोड़ की वसूली की गई है।

xi) ऋण निवेश के मोचन पर ₹18,97,99,469.26 (आईएलएफएस और आरसीएपी के लिए बुकिंग सहित) की हानि हुई है और यूएलएफ (इक्विटी) के मोचन पर ₹3,06,66,942.63 का लाभ हुआ है।

xii) को.खा.भ.नि., 1998 के पैरा 22 के अनुसार 31-03-2022 को बीमागिक द्वारा पेंशन फंड के मूल्यांकन का आकलन किया गया है। शुद्ध देयता को दर्शाने वाली मूल्यांकन रिपोर्ट में ₹47,961 करोड़ रुपये की राशि (कमी) है। चूंकि, 31-03-2024 को पेंशन निधि का कुल कोष केवल ₹22,898.90 करोड़ है, इस प्रकार शुद्ध देयता के लिए प्रावधान करना, जैसा कि बीमागिक द्वारा मूल्यांकन किया गया है, इस तथ्य के कारण संभव नहीं है कि इसके परिणामस्वरूप नकारात्मक शेष होगा। हालांकि, यह भी प्रस्तुत करना है कि वर्ष के दौरान प्राप्त योगदान का उपयोग करके और साथ ही निवेश से निकासी करके कमी को पूरा करके सभी सदस्यों को को.खा.भ.नि., 1998 के तहत समय पर पेंशन मिल रही है।

xiii) वर्ष के दौरान किसी भी निवेश का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

ग. सीएमपीएफ संगठन के अधिशेष को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(25) के तहत आयकर लगाने से छूट दी गई है।

कोयला खान पेंशन प्रशासन खाता

31-03-2024 तक का तलनपत्र

विवरण	अनुसूची	(राशि - में) 31.03.2024 को	(राशि - में) 31.03.2023 को
समग्र निधि/ पंजीगत निधि और देनदारियां			
आरक्षित निधि एवं अधिबेश	1	-	-
चालू देनदारियां एवं प्रावधान	2	20993,18,262.01	19575,51,992.03
जोड़ ...		<u>20993,18,262.01</u>	<u>19575,51,992.03</u>
परिसंपत्तियाँ			
चालू परिसंपत्तियां, ऋण व अग्रिम	3	20993,18,262.01	19575,51,992.03
जोड़ ...		<u>20993,18,262.01</u>	<u>19575,51,992.03</u>
सहत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	4	-	-

दिनांक : 10.07.2024

स्थान : धनबाद

(संतोष कुमार)
सहायक आयुक्त

(विजय कुमार मिश्र)
आयुक्त

कोयला खान पेंशन प्रशासन खाता

31-03-24 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

आय	अनुसूची	(Amount - ₹) As on 31.03.24	(Amount - ₹) As on 31.03.23
सरकारी अनुदान से प्राप्त आय		3957,47,415.98	-
	जोड़ ... (क)	3957,47,415.98	-
व्यय			
बैंक कमीशन		1417,66,269.98	1698,35,959.40
बोनस		4,40,000.00	4,00,000.00
बाल शिक्षा भत्ता		40,70,000.00	37,00,000.00
महंगाई भत्ता- अधिकारी एवं स्थापना फॉर्मर्स एवं स्टेशनेरी		179,30,000.00	163,00,000.00
गृह किराया भत्ता- अधिकारी एवं स्थापना सदस्यों के खाता का मशीनीकरण		16,50,000.00	15,00,000.00
स्थापना का वेतन		82,50,000.00	75,00,000.00
अधिकारी का वेतन		330,00,000.00	300,00,000.00
प्रकाशन एवं प्रचार		388,30,000.00	353,00,000.00
साझा व्यय में समानुपात हिस्सेदारी		138,60,000.00	126,00,000.00
यातायात भत्ता-अधिकारी एवं स्थापना पोशाक धुलाई प्रभार		1,00,000.00	70,000.00
		1336,40,146.00	561,45,987.00
		22,00,000.00	20,00,000.00
		11,000.00	10,000.00
	जोड़ ... (ख)	3957,47,415.98	3353,61,946.40
व्यय पर आय की अधिकता (क-ख) आरक्षी व अधिपेश में अंतरित			(3353,61,946.40)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ			

4

(संतोष कुमार)
सहायक आयुक्त

(विजय कुमार मिश्र)
आयुक्त

कोयला खान पेंशन प्रशासन खाता

31-03-2024 को तलन पत्र का अंश निर्मित करने वाली अनसूचियां

अनसूची 1- रिजर्व एवं अधिशेष

विवरण	(राशि - में) 31.03.2024 को	(राशि - में) 31.03.2023 को
आदिशेष	-	-
जोड़: चालू वर्ष	-	(3353,61,946.40)
घटाव: पूर्व वर्ष समायोज्य	-	-
घटाव: व्यय पर आय की अधिकता सीएमपीएफ प्रशासन खाते में अंतरण	-	3353,61,946.40
अंत: शेष	-	-

अनसूची 2- चालू देनदारियाँ एवं प्राप्तधन

विवरण	(राशि - में) 31.03.2024 को	(राशि - में) 31.03.2023 को
खाता VIII को देय राशि (पी एफ प्रशासन)	-	-
बैंक कमीशन एवं प्रबंधन शुल्क के लिए पेंशन खाता को अंतरित राशि	20993,18,262.01	19575,51,992.03
जोड़ (र में) ...	20993,18,262.01	19575,51,992.03

अनसूची 3- चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम

विवरण	(राशि - में) 31.03.2024 को	(राशि - में) 31.03.2023 को
ऋण एवं अग्रिम	-	-
खाता सं. I से सरकारी अनुदान के रूप में प्राप्तयोग्य राशि	13236,09,000.00	13236,09,000.00
खाता संख्या VII (पीएफ प्रशासन) से वसूलीयोग्य राशि	7757,09,262.01	6339,42,992.03
जोड़ (र में) ...	20993,18,262.01	19575,51,992.03

(संतोष कुमार)
सहायक आयुक्त

(विजय कुमार मिश्र)
आयुक्त

कोयला खान पेंशन प्रशासन लेखा

31-03-2024 को तुलन पत्र का अंश निर्मित करने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 4 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

क. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ:

1. सामान्य

- i) खाते ऐतिहासिक लागत के आधार पर और चल रहे चिंता के विषय के लेखांकन सिद्धांतों पर तैयार किए जाते हैं।
- ii) लेखांकन नीतियां जो विशेष रूप से अन्यथा संदर्भित नहीं हैं, सुसंगत हैं और आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं।
- iii) खातों को क्षेत्रीय कार्यालयों / मुख्यालय के अनुभागों, अभिरक्षक, निधि प्रबंधकों, बैंकों आदि के संबंधित प्रमुखों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित/प्रमाणित रिपोर्टों पर तैयार/संकलित किया जाता है।

2. आय

- i) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रशासनिक शुल्क (प्राप्त अनुदान) के रूप में सरकार से प्राप्त ₹ 0.00 करोड़ की राशि और प्रोद्भवन आधार पर लेखा में लिए गए हैं।
- ii) कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 के पैरा 18(3) में निहित प्रावधानों के अनुसार पेंशन प्रशासन व्यय करने के लिए ₹ 39,57,47,415.98 का राजस्व भविष्य निधि प्रशासन से अंतरित किया गया है।

3. व्यय

- i) पेंशन प्रशासन से संबंधित सभी व्यय भविष्य निधि प्रशासन खाते से किए जा रहे हैं और मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे खाते में स्थानांतरित किए जा रहे हैं।

ख. खातों के लिए नोट

- i) बैंक शुल्क में पेंशन निधि खाते से संबंधित बैंक शुल्क शामिल हैं। पेंशन प्रशासनिक खाते द्वारा बैंक शुल्क और प्रबंधन शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।
- ii) व्यय में भविष्य निधि प्रशासन खाते से काल्पनिक आधार पर पेंशन के संवितरण के लिए लगे अधिकारियों और कर्मचारियों का व्यय शामिल है।
- iii) पिछले वर्ष के आंकड़े जहां भी आवश्यक हो, पुनर्गठित और पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं।

ग. सीएमपीएफ संगठन के अधिशेष को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (25) के तहत आयकर लगाने से छूट दी गई है।

कोयला खान जमा संबद्ध बीमा निधि अंशदान लेखा

31-03-2024 को तलनपत्र

समग्र निधि/पंजी निधि एवं देनदारियां	अनुसूची	(राशि - ₹ में) 31-03-2024 को	(राशि - ₹ में) 31-03-2023 को
समग्र निधि	1	10432,44,709.87	10432,44,709.87
आरक्षी निधि व अधिषेश	2	34693,97,140.62	31601,72,540.62
		45126,41,850.49	42034,17,250.49
जोड़			
<u>परिसंपत्तियाँ</u>			
निवेश	3	44322,19,332.98	41229,94,732.98
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण व अग्रिम	4	804,22,517.51	804,22,517.51
		45126,41,850.49	42034,17,250.49
जोड़			
<u>महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ</u>	5		

दिनांक: 10.07.2024
स्थान: धनबाद

(संतोष कुमार)
सहायक आयुक्त

(विजय कुमार मिश्र)
आयुक्त

कोयला खान जमा संबद्ध बीमा निधि अंशदान लेखा

31-03-2024 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

<u>आय</u>	<u>अनुसूची</u>	<u>(राशि - ₹ में)</u> 31-03-2024 को	<u>(राशि - ₹ में)</u> 31-03-2023 को
ब्याज (विविध) लोक खाते में जमा पर व्ययज जोड़(क)		3092,24,600.00	2878,00,280.00
		<u>3092,24,600.00</u>	<u>2878,00,280.00</u>
<u>व्यय</u>		-	-
<u>जोड़ ... (ख)</u>		-	-
व्यय पर आय की अधिकता (क-ख) आरक्षी व अधिशेष खाते में अंतरित		<u>3092,24,600.00</u>	<u>2878,00,280.00</u>

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

5

(संतोष कुमार)
सहायक आयुक्त

(विजय कुमार मिश्र)
आयुक्त

कोयला खान जमा संबद्ध बीमा निधि अंशदान लेखा

31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

राशि (में) 31-03-2023	प्राप्ति	राशि (में) 31-03-2024	राशि (में) 31-03-2023	भुगतान	राशि (में) 31-03-2024
	बैंक खाता -आदि शेष		649.00	व्यय बैंक प्रभार	649.00
6,24,252.85	एस बी आई खाता सं. IX (मुख्यालय)	6,23,603.85		डीएलआई प्रशासन खाता सं. 1 में प्राप्तयोग्य राशि	
1,36,682.00	एस बी आई खाता IX (क्षेत्र)	1,36,682.00		बैंक खाता	
22,470.71	आई डी बी आई खाता IX	22,470.71		-अंतः शेष	
	<u>ब्याज (विविध)</u>			एस बी आई खाता सं. IX (मुख्यालय)	6,22,954.85
				एस बी आई खाता सं. IX (क्षेत्रीय कार्यालय)	1,36,682.00
				आई डी बी आई खाता IX	22,470.71
7,83,405.56	कुल	7,82,756.56	7,83,405.56	कुल	7,82,756.56

(संतोष कुमार)
सहायक आयुक्त

(विजय कुमार मिश्र)
आयुक्त

कोयला खान जमा संबद्ध बीमा निधि अंशदान लेखा

31-03-2024 के अनुसार तलन पत्र का अंश निर्मित करने वाली अनुसूची

अनुसूची 1-समग्र निधि/पंजी निधि

विवरण	(राशि - ₹ में) 31-03-2024 को	(राशि - ₹ में) 31-03-2023 को
आदि शेष	10432,44,709.87	10432,44,709.87
जोड़: वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान	-	-
जोड़: वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	-	-
घटाव: वर्ष के दौरान किया गया संवितरण	-	-
अंत:शेष	<u>10432,44,709.87</u>	<u>10432,44,709.87</u>

अनुसूची 2-आरक्षी निधि व अधिवेश

विवरण	(राशि - ₹ में) 31-03-2024 को	(राशि - ₹ में) 31-03-2023 को
आदि शेष	31601,72,540.62	28723,72,260.62
जोड़: व्यय पर आय की अधिकता	3092,24,600.00	2878,00,280.00
घटाव : पूर्व अवधि आइटम	-	-
अंत:शेष	<u>34693,97,140.62</u>	<u>31601,72,540.62</u>

अनुसूची 3 - निवेश

विवरण	(राशि - ₹ में) 31-03-2024 को	(राशि - ₹ में) 31-03-2023 को
वर्ष के आरंभ में शेष	41229,94,732.98	38351,94,452.98
जोड़: वर्ष के दौरान किया गया निवेश - कोयला खान - सरकार	3092,24,600.00	2878,00,280.00
जोड़: वर्ष में उपचित ब्याज पुनर्निवेशित		
वर्ष के अंत में शेष	44322,19,332.98	41229,94,732.98

अनुसूची 4 - चालू देनदारियाँ, ऋण व अग्रिम

बैंक शेष	विवरण	(राशि - ₹ में) 31-03-2024 को	(राशि - ₹ में) 31-03-2023 को
एस बी आई खाता सं. IX (मुख्यालय)		6,22,954.85	6,24,252.85
एस बी आई खाता IX (क्षेत्र) (अनलॉन्क क)		1,36,682.00	1,36,682.00
आईडीबीआई खाता सं. IX (खाता सं. 012103000003728)		22,470.71	22,470.71
ऋण एवं अग्रिम			
जन्मा संबद्ध बीमा प्रशासन खाते से प्राप्त राशि		673,19,433.11	673,19,433.11
जन्मा संबद्ध बीमा प्रशासन खाते से वसूली योग्य बैंक कमीशन		5,86,100.28	5,84,802.28
को.खा.भ.नि. मुख्य खाता सं. 1 से प्राप्त राशि		117,34,876.56	117,34,876.56
कुल (₹ में)		804,22,517.51	804,22,517.51

(संतोष कुमार)
सहायक आयुक्त

(विजय कुमार मिश्रा)
आयुक्त

अनुसूची-क

बैंक खाता सं. IX (क्षेत्र) में शेष

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम	31-03-2024 को	31-03-2023 को
1	आसनसोल (क्षेत्र-II)	-	-
2	बराकर (आसनसोल क्षेत्र-III)	-	-
3	बिलासपुर	33,333.00	33,333.00
4	छिदवाड़ा	-	-
5	देवघर	-	-
6	धनबाद (धनबाद क्षेत्र-I)	-	-
7	हैदराबाद	2,399.50	2,399.50
8	जबलपुर	72,671.50	72,671.50
9	जम्शेदपुर	-	-
10	झरिया (धनबाद क्षेत्र-III)	-	-
11	करगली (रांची क्षेत्र-III)	-	-
12	कतरास (धनबाद क्षेत्र-II)	-	-
13	कोलकाता	-	-
14	कोथगुडम	-	-
15	मार्गीरिटा	-	-
16	मुगमा (आसनसोल क्षेत्र-IV)	-	-
17	नागपुर	-	-
18	नई दिल्ली	-	-
19	रामगढ़ (रांची क्षेत्र-II)	5,455.50	5,455.50
20	रांची (रांची क्षेत्र-I)	-	-
21	रानीगंज (आसनसोल क्षेत्र-I)	-	-
22	सम्बलपुर	22,822.50	22,822.50
23	सिगरौली	-	-
24	तालचर	-	-
	कुल	1,36,682.00	1,36,682.00

कोयला खान जमा संबद्ध बीमा निधि खाता

31-03-2024 को तुलन-पत्र का अंश निर्मित करने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 5 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

क. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ:

1. सामान्य आय

- i) खाते ऐतिहासिक लागत के आधार पर और चल रहे चिंता के विषय के लेखांकन सिद्धांतों पर तैयार किए जाते हैं।
- ii) लेखांकन नीतियाँ जो विशेष रूप से अन्यथा संदर्भित नहीं हैं, सुसंगत हैं और आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं।
- iii) खातों को क्षेत्रीय कार्यालयों/मुख्यालय कार्यालय के अनुभागों, अभिरक्षक, निधि प्रबंधकों, बैंकों आदि के संबंधित प्रमुखों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित/प्रमाणित रिपोर्टों पर तैयार/संकलित किया जाता है।

2. आय

- i) निवेश पर ब्याज को प्रोद्भवन के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।
- ii) सरकारी अंशदान का लेखा-जोखा नकद आधार पर किया जाता है।

3. व्यय

- i) डीएलआई निधि खाते से संबंधित खर्च डीएलआई प्रशासन खाते में हिसाब किया जाता है।
- ii) बैंक शुल्क/कमीशन में डीएलआई फंड खाते के लिए बैंक शुल्क शामिल हैं।
- iii) प्रतिभूति के मोचन के समय ही प्रतिभूति के मोचन पर हानि/लाभ का हिसाब लगाया जाता है।

4. निवेश.

- i) निवेश लागत में व्यक्त किया जाता है जिसमें प्रबंधन शुल्क को छोड़कर ब्रोकरेज शामिल किया जाता है।

5. अंशदान

- i) सार्वजनिक खाते पर ब्याज की गणना उपचय के आधार पर की गई है।
- ii) वर्ष के दौरान भारत सरकार ने ₹ 30.92 करोड़ सार्वजनिक खाते में जमा ब्याज के रूप में स्वीकृत किया है।

ख. खातों के लिए नोट

- i) बैंक शुल्क और कमीशन में डीएलआई निधि खाते पर बैंक शुल्क और कमीशन शामिल है।
- ii) पिछले वर्ष के आंकड़े जहां भी आवश्यक हो, पुनर्गठित और पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं।

iii) खरीद के समय भुगतान किए गए/प्राप्त प्रीमियम / छूट को प्रतिभूतियों के मोचन के समय पी एंड एल खाते में अंतरित कर दिया जाता है।

iv) वर्ष के दौरान किसी भी निवेश का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

ग. सीएमपीएफ संगठन के अधिशेष को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (25) के तहत आयकर लगाने से छूट दी गई है।

कोयला खान जमा संबद्ध बीमा निधि
केन्द्रीय प्रशासन खाता (खाता सं. X)

31-03-2024 को तुलन पत्र

समग्र निधि/पंजी निधि एवं देनदारियाँ	अनुसूची	(राशि - में) 31.03.2024 को	(राशि - में) 31.03.2023 को
समग्र निधि	1	19421,75,518.25	18068,29,540.94
आरक्षी निधि व अधिबेश	2	679,05,533.39	679,04,235.39
कुल...		20100,81,051.64	18747,33,776.33
परिसंपत्तियाँ			
निवेश	3	2055,50,593.06	1912,50,812.15
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण व अग्रिम	4	18045,30,458.58	16834,82,964.18
कुल...		20100,81,051.64	18747,33,776.33
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	5		

दिनांक : 10.07.2024
स्थान : धनबाद

(संतोष कुमार)
सहायक आयुक्त

(विजय कुमार मिश्र)
आयुक्त

कोयला खान जमा संबद्ध बीमा निधि
केन्द्रीय प्रशासन खाता (खाता सं. X)

31-03-2024 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

	(राशि - ₹ में)	
	अनुसूची	31-03-2023 को
आय		
प्रशासकीय प्रभार		
पी एफ प्रशासन खाता पर ब्याज (@ 7.6%)	7,68,080.00	6,59,584.00
	1198,54,039.00	1117,85,082.00
निवेश पर ब्याज		
केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ	19,00,544.00	18,96,550.00
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	113,21,150.16	102,03,490.62
सार्वजनिक क्षेत्र बंधपत्र	20,72,427.65	18,90,474.00
निजी क्षेत्र बंधपत्र	90,883.11	1,19,598.97
एसटीजी	2,05,500.00	2,05,500.00
द्विविध ब्याज (निवेश)	134,12,713.38	81,26,316.95
निवेश की पुनर्प्राप्ति पर लाभहानि	36,978.01	1,05,129.34
	1496,62,315.31	1349,91,725.88

जॉइ (क)...

व्यय

बैंक कमीशन
डॉ. एच. एफ. एल. एवं आर. सी. ओ. पी. पर अप्रामाण्य ब्याज का प्रावधान
निवेश की पुनर्प्राप्ति पर लाभहानि
सामूहिक व्यय का समानुपाती भाग

जॉइ. (ख)

व्यय पर आय की अधिकता (क-ख) आरक्षी व अधिशेष खाते में
अंतरित

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

	1,298.00	1,449.44
	9,51,025.00	98,625.00
	133,64,015.00	56,14,599.00
	143,16,338.00	57,14,673.44
	1353,45,977.31	1292,77,052.44

5

(संतोष कुमार)
सहायक आयुक्त

(विजय कुमार मिश्रा)
(आयुक्त)

**कोयला खां भविष्य निधि
निक्षेप संबद्ध बीमा प्रशासन खाता -X**

31-03-2024 को समाप्त अवधि का प्राप्ति व भगतान

राशि (में) 31-03-2023	प्राप्ति	राशि (में) 31-03-2024	राशि (में) 31-03-2023	भुगतान	राशि (में) 31-03-2024
676,25,547.44	बैंक खाता	848,09,658.44	206,68,475.00	निवेश	510,19,151.90
3,94,512.67	एस बी आई खाता सं. X (मुख्यालय)	5,08,761.04	2509,07,297.21	सार्वजनिक क्षेत्र बंध पत्र	534,70,034.15
48,512.70	प्रतिभूति सेवा, मुंबई	48,512.70		राज्य सरकार प्रतिभूति	
6,59,584.00	आई डी बी आई खाता X (मुख्यालय)	7,68,080.00	6,975.28	एसटीजी	
	प्रशासकीय प्रभार			यूएलएफ	
	अन्य खातों से प्राप्त राशि			खरीदी पर दिया गया ब्याज	
	डीएलआई मुख्य खाते से प्राप्ति राशि			सार्वजनिक क्षेत्र बंध पत्र	698.05
	निवेश पर पुनर्प्राप्ति			राज्य सरकार प्रतिभूति	
2509,61,334.48	सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिभूति	532,19,808.15	1,449.44	निजी क्षेत्र बंध-पत्र	
63,20,000.00	केंद्र सरकार प्रतिभूति	360,00,000.00		अन्य खातों से दी गई राशि	
92,600.00	यूएलएफ	55,550.00		ब्याज उपचित परतु अर्देय	
	राज्य सरकार प्रतिभूति			व्यय	
	निजी क्षेत्र बंधपत्र			बैंक प्रभार	
	आय			बैंक खाता	
18,96,550.00	केंद्र सरकार प्रतिभूति पर ब्याज	18,96,550.00	848,09,658.44	अंतः शेष	989,80,413.44
20,76,700.00	सार्वजनिक क्षेत्र ब्याज	20,67,963.65	5,08,761.04	एसबीआई खाता (मुख्यालय)	7,33,073.44
100,15,064.90	राज्य सरकार प्रतिभूति पर ब्याज	111,67,870.21	48,512.70	निवेश बैंक	48,512.70
1,20,334.97	निजी क्षेत्र उपक्रम पर ब्याज	90,916.11		आईडीबीआई खाता X (मुख्यालय)	
2,05,500.00	एसटीजी पर ब्याज	2,05,500.00			
165,34,887.95	विविध ब्याज (निवेश)	134,12,713.38			
3569,51,129.11	कुल	2042,51,883.68	3569,51,129.11	कुल	2042,51,883.68

(संतोष कुमार)
सहायक आयुक्त

(विजय कुमार मिश्रा)
(आयुक्त)

कोयला खान जमा संबद्ध बीमा निधि
केन्द्रीय प्रशासन खाता (खाता सं. X)

31-03-2024 के अनुसार तुलन पत्र का अंश निर्मित करने वाली अनुसूची

अनुसूची 1 -आरक्षी निधि व अधिवेश

विवरण	(राशि -₹ में)	
	31-03-2024 को शेष	31-03-2023 को शेष
आदि शेष	18068,29,540.94	16775,52,488.50
जोड़: वर्ष के दौरान व्यय पर आय की अधिकता	1353,45,977.31	1292,77,052.44
अंत:शेष	<u>19421,75,518.25</u>	<u>18068,29,540.94</u>

अनुसूची 2-चालू देनदारियाँ व प्रावधान

विवरण	(राशि -₹ में)	
	31-03-2024 को शेष	31-03-2023 को शेष
डीएलआई मुख्य खाता में देय राशि	673,19,433.11	673,19,433.11
डीएलआई मुख्य खाते का बैंक प्रभार	5,86,100.28	5,84,802.28
जोड़ (₹ में) ...	<u>679,05,533.39</u>	<u>679,04,235.39</u>

अनुसूची 3 - निवेश

विवरण	(राशि - ₹ में)	
	31-03-2024 को	31-03-2023 को
केंद्रीय सरकार प्रतिभूति (अनुलग्नक - क)	218,19,589.90	218,19,589.90
राज्य सरकार प्रतिभूति (अनुलग्नक - ख)	1495,60,104.93	1354,90,554.03
लोक उपक्रम बंध पत्र (अनुलग्नक - ग)	252,46,080.00	252,46,080.00
निजी क्षेत्र बंध पत्र (अनुलग्नक - घ)	54,62,923.87	55,19,897.87
यूएलएफ (अनुलग्नक - ङ)	4,61,894.36	1,74,690.35
एसटीजी (अनुलग्नक - च)	30,00,000.00	30,00,000.00
जोड़ (₹ में) ...	2055,50,593.06	1912,50,812.15

अनुसूची 4 - चालु परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

विवरण	(राशि - ₹ में)	
	31-03-2024 को	31-03-2023 को
Bank Balances		
एस.बी.आई. खाता (मु.) (खाता सं. 10976587129)	94,90,794.44	87,22,714.44
एस.बी.आई. खाता (मु.) (खाता सं. 10976587129)-SWIPP	894,89,619.00	760,86,944.00
निवेश खाता	7,33,073.44	5,08,761.04
आईडीबीआई खाता X (मु.) (खाता सं 0121030000003735)	48,512.70	48,512.70
ऋण एवं अग्रिम		
सीएमपीएफ खाता - 1 से प्राप्त राशि	187,39,121.00	187,39,121.00
खाता XII से प्राप्त राशि	1,400.00	1,400.00
सीएमपीएफ प्रशासन खाता से प्राप्त राशि	16835,16,853.00	15770,26,829.00
अदेय अर्जित ब्याज		
केंद्रीय सरकार प्रतिभूति (अनुलग्नक - छ)	4,38,394.00	4,34,400.00
राज्य सरकार प्रतिभूति (अनुलग्नक - ज)	15,67,389.00	14,13,411.00
लोक उपक्रम बंध-पत्र (अनुलग्नक - झ)	4,47,495.00	4,43,031.00
एसटीजी (अनुलग्नक - ञ)	56,864.00	56,864.00
पीवीटी (अनुलग्नक - ट)	943.00	976.00
जोड़ (₹ में) ...	18045,30,458.58	16834,82,964.18

(संतोष कुमार)
सहायक आयुक्त

(विजय कुमार मिश्र)
आयुक्त

कोयला खान डीएलआई प्रशासन खाता

31-03-2024 को तुलन-पत्र का अंश निर्मित करने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 5 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

क. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ:

1. सामान्य

- i) खाते ऐतिहासिक लागत के आधार पर और चल रहे चिंता के विषय के लेखांकन सिद्धांतों पर तैयार किए जाते हैं।
- ii) लेखांकन नीतियाँ जो विशेष रूप से अन्यथा संदर्भित नहीं हैं, सुसंगत हैं और आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं।
- iii) खातों को क्षेत्रीय कार्यालयों/मुख्यालय कार्यालय के अनुभागों, अभिरक्षक, निधि प्रबंधकों, बैंकों आदि के संबंधित प्रमुखों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित/प्रमाणित रिपोर्टों पर तैयार/संकलित किया जाता है।

2. आय

- i) निवेश पर ब्याज को प्रोदम्बन के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।
- ii) सरकारी अंशदान का लेखा-जोखा नकद आधार पर किया जाता है।

3. व्यय

- i) डीएलआई निधि खाते से संबंधित व्यय डीएलआई प्रशासन खाते से हिसाब में लिया जाता है।
- ii) बैंक प्रभार/ कमीशन में डीएलआई निधि खाते के लिए लिया जाने वाला बैंक प्रभार भी शामिल हैं।
- iii) प्रतिभूति के मोचन के समय ही प्रतिभूति के मोचन पर हानि/लाभ का हिसाब लगाया जाता है।

4. निवेश

- i) निवेश लागत में व्यक्त किया जाता है जिसमें प्रबंधन शुल्क को छोड़कर ब्रोकरेज शामिल किया जाता है।

5. अंशदान

- i) डीएलआई प्रशासन अंशदान नकद आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ख. खातों के लिए नोट

- i) बैंक शुल्क और कमीशन में डीएलआई निधि खाते पर बैंक शुल्क और कमीशन शामिल है।
- ii) पिछले वर्ष के आंकड़े जहाँ भी आवश्यक हो, पुनर्गठित और पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं।
- iii) खरीद के समय भुगतान किए गए/प्राप्त प्रीमियम / छूट को प्रतिभूतियों के मोचन के समय पी एंड एल खाते में अंतरित कर दिया जाता है।
- iv) रिपोर्टिंग अवधि में निरीक्षण प्रभार के रूप में ₹7,68,080.00 प्राप्त हुए।
- v) डीएचएफएल की समाधान योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है और रिपोर्टिंग अवधि 2021-22 में ₹ 33.67 करोड़ समाधान योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ है और शेष राशि पीवीटी होल्डिंग के रूप में दिखाई गई है।
- vi) वर्ष के दौरान ₹ 9,51,025.00 को ऋण निवेश के मोचन पर हानि के रूप में दर्ज किया गया और ₹ 36,978.01 को यूएलएफ (इक्विटी) के मोचन पर लाभ के रूप में दर्ज किया गया।
- vii) वर्ष के दौरान किसी भी निवेश का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

ग. सीएमपीएफ संगठन के अधिशेष को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(2S) के तहत आयकर लगाने से छूट दी गई है।



कोयला खान भविष्य निधि
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
COAL MINES PROVIDENT FUND

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2023-24
AUDIT CERTIFICATE 2023-24

मुख्यालय : कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद - 826001 (झारखंड)
HEAD QUARTER : COAL MINES PROVIDENT FUND ORGANIZATION, DHANBAD - 826 001 (JHARKHAND)

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

लेखों पर
का
कोयला खान भविष्य निधि, धनबाद
के वर्ष 2023-24



प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय एवं पदेन
सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-II,
234/4, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता-700020

कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

हमने नियंत्रक एवं महालेखाकार (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा-शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के जिसे कोयला खान भविष्य निधि योजना के पैरा 59, कोयला खान पेंशन योजना के पैरा 20 तथा कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना के पैरा 19 के साथ पठित, के अंतर्गत, कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद के 31 मार्च, 2024 की स्थिति के संलग्न तुलन पत्र तथा उस तारीख की स्थिति के आय व व्यय लेखे/प्राप्ति व भुगतान लेखे की लेखापरीक्षा की है। ऑडिट को 2027-28 तक की अवधि के लिए यह सौंपा गया है। इन वित्तीय विवरणों में संगठन के 20 क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखा शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण संगठन के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रक्रिया से अनुरूपता, लेखांकन मानदंडों एवं प्रकटीकरण मानकों करने के नियमों के संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा केवल लेखांकन प्रक्रिया पर टिप्पणियाँ की गई हैं। विधि के अनुपालन, नियमों व विनियमों (उपयुक्तता एवं नियमानुकूलता) तथा दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं, आदि, के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखापरीक्षा अवलोकन, यदि कोई है, की सूचना अलग से निरीक्षण प्रतिवेदनों/सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से दी जाती है।
3. हमने सामान्यतया भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुरूप यह लेखापरीक्षा की है। इन मानदंडों की अपेक्षानुसार कि क्या ये वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गलतबयानियों से मुक्त हैं, के बारे में तार्किक आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखापरीक्षा की योजना बनाते हैं और निष्पादन करते हैं लेखापरीक्षा में जांच आधार पर, वित्तीय विवरणों में धनराशियों के समर्थन में साक्ष्यों तथा प्रकटीकरण का परीक्षण, शामिल होता है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा निर्मित महत्वपूर्ण अनुमानों की जांच के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होते हैं। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय को एक तर्कसंगत आधार देती है।
4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह सूचित करते हैं कि:
 - i. हमने सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
 - ii. तुलन पत्र तथा आय व व्यय लेखा/प्राप्ति व भुगतान लेखा, जिनका इस प्रतिवेदन द्वारा उल्लेख किया गया है, की रूपरेखा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित फॉर्मेट के तहत खींची गई है।
 - iii. हमारी राय में, कोयला खान भविष्य निधि संगठन द्वारा लेखा बहियों तथा अन्य संबंधित अभिलेखों का उचित अनुरक्षण किया गया है जैसा कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अंतर्गत निर्मित कोयला खान भविष्य निधि योजना

- 1948, कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना 1976 तथा कोयला खान पेंशन योजना 1998 के तहत इतना आवश्यक है जितना इन बहियों के हमारे परीक्षण से जात होता है।
- iv. हम इससे आगे सूचित करते हैं कि:

लेखाओं पर टिप्पणियाँ

क. तुलन पत्र

क.1 देयताएं

क.1.1 पेंशन/निधि खाता

क.1.1.1 निवेश की गैर-लेखाकार हानि

सीएमपीएफओ ने दीवान हाउसिंग फाइनांस कारपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के वित्तीय लिखतों में ₹.1390.25 करोड़ रुपये का निवेश किया। विभिन्न भुगतान बाध्यताओं को पूरा करने में शासन संबंधी चिंताओं और चूक के कारण डीएचएफएल माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष दिवाला और दिवालियापन संहिता के अंतर्गत (नवम्बर, 2019) आवेदन दिया था। एनसीएलटी ने कारपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआरआईपी) शुरू की तथा जून 2021 में समाधान योजना को मंजूरी प्रदान की। समाधान योजना के क्रियान्वयन के पश्चात सीएमपीएफओ को किए गए निवेश की तुलना में ₹662.58 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जिसके कारण ₹727.67 करोड़ रुपये के निवेश की हानि हुई। अतः इस हानि को बट्टे खाते में डालना पड़ा। तथापि, उपरोक्त निवेश की हानि का हिसाब नहीं लगाया गया और सीएमपीएफओ ने डीएचएफएल में ₹727.67 करोड़ रु. के निवेश को अपने खाते में अबतक दर्शाया है।

इसके परिणामस्वरूप निवेश और भविष्य निधि/पेंशन निधि के कोष को ₹727.67 करोड़ रुपये अधिक बताया गया है।

वर्ष 2019 से इस मुद्दे पर बार-बार टिप्पणी की गई है, हालाँकि, अब तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ख. आय एवं व्यय लेखा

ख.1: भविष्य निधि (प्रशासन) लेखा

ख.1.1: पूंजीगत व्यय का गलत लेखा-जोखा

सीएमपीएफओ ने (मार्च 2023) केंद्रीयकृत आईटी पोर्टल के डेप्लॉयमेंट एवं निपटान प्रक्रिया के स्वचालन के डिजाइन, विकास एवं का काम प्रारंभ किया जिस पर 31 मार्च 2024 तक कार्य चल रहा है। यह कार्य पूंजीगत प्रकृति का था, तथा इसका आर्थिक मूल्य एक वर्ष से अधिक समय तक उपयोग हेतु उपलब्ध रहेगा। हालाँकि, इस आईटी कार्य पर किए गए व्यय को परिसंपत्ति शीर्ष (प्रगतिशील पूंजीगत कार्य) में दर्ज करने के बजाय "आय और व्यय खाते" में दर्ज किया गया था।

इस प्रकार, अमूर्त परिसंपत्तियों (प्रगति में पूंजीगत कार्य) पर किए गए ऐसे व्यय का लेखा-जोखा न रखने कारण "परिसंपत्तियों" को कम दर्शाया गया है और साथ ही व्यय की तुलना में "आय की

अधिकता" को कम दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप "व्यय" को ₹6.65 करोड़ रुपये की राशि से अधिक दर्शाया गया है।

ग. सहायता अनुदान

वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्र सरकार से प्राप्त ₹10.64 करोड़ के अनुदान सहायता का इस संगठन द्वारा उपयोग किया गया है।

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

घ. प्रबंधन पत्र

वे कमियां जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं की गई हैं, उन्हें निवारक/ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से न्यासी बोर्ड के ध्यान में लाया गया है।

- v. पूर्वगामी परिच्छेदों में हमारे अवलोकन के मद्देनजर, हम सूचित करते हैं कि इस प्रतिवेदन द्वारा दर्शाए गए तुलन पत्र तथा आय व व्यय लेखा/प्राप्ति व भुगतान लेखा बही खातों के रिपोर्ट से सहमत नहीं हैं।
- vi. हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण जिन्हें लेखांकन नीतियों तथा लेखों पर टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए, तथा उपर्युक्त वर्णित महत्वपूर्ण मामलों के अनुसार तथा इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित अन्य मामलों के मद्देनजर, यह भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन नीतियों की संपुष्टि विवरणों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण सटीक नहीं दिखाता है।
 - क. यहां तक कि यह कोयला खान भविष्य निधि संगठन के 31 मार्च, 2023 की स्थिति के मामलों की स्थिति, के तुलन पत्र से संबंधित है।
 - ख. यहां तक कि यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के आधिशेष के आय व व्यय लेखे से संबंधित है।

(अनिंदिया दासगुप्ता)


प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (कोयला)



कोयला खान भविष्य निधि
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
COAL MINES PROVIDENT FUND

वार्षिक विवरण 2023-24
ANNUAL REPORT 2023-24

लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर
रखे जाने वाले कागजात
Papers to be laid on the table of
Lok Sabha / Rajya Sabha
अधिप्रमाणित / Authenticated


(सतीश चंद्र दूबे)
(SATISH CHANDRA DUBEY)
कोयला राज्यमंत्री
Minister of State For Coal

मुख्यालय : कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद - 826001 (झारखंड)
HEAD QUARTER : COAL MINES PROVIDENT FUND ORGANIZATION, DHANBAD - 826 001 (JHARKHAND)

1. INTRODUCTION:**1.1 Mandate:**

The Coal Mines Provident Fund Organization has been entrusted with the responsibility of administering the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 and the Schemes framed there under, i.e. The Coal Mines Provident Fund Scheme 1948, Coal Mines Pension Scheme, 1998 and the Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme, 1976.

1.2 Schemes at a glance: Coal Mines Provident Fund Scheme, 1948:

The Coal Mines Provident Fund Scheme was originally introduced with effect from 12th May, 1947 in the State of Bihar and West Bengal. The scheme was subsequently extended to the whole of the country in view of the obvious need to provide old age retirement benefit to the employees engaged in the Coal Industry. The Scheme provides for lump sum benefits to the members after retirement from Coal Industry and to their family members in the event of death. The Scheme also provides for non-recoverable advances during the course of employment of the employee for defined purposes.

1.3 Coal Mines Family Pension Scheme, 1971:

With the passage of time, it was felt, that a lump sum amount by way of Provident Fund to the family of a worker was inadequate particularly in cases where the member died while in service. The Coal Mines Family Pension Scheme, introduced with effect from 1st March, 1971, provided for a regular monthly family pension in the event of death of a member while in service. Apart from monthly regular payment as family pension, an amount of ₹2000/- as Life Assurance Benefit was also payable. If the member superannuated or left service, he was entitled to get lump sum benefit ranging from ₹110/- to ₹9000/- depending upon the reckonable period of service, he/she put in, during the course of employment. With the implementation of CMPS-1998, CMFPS-1971, merged with CMPS-1998.

1.4 Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme, 1976:

With a view to inculcate a habit of thrift in a member of a Coal Mines Provident Fund and to help his/her survivors, a Deposit Linked Insurance Scheme was introduced with effect from 1st August 1976. On death of an employee, who is a member of the Coal Mines Provident Fund, the person entitled to receive the Provident Fund accumulation of the deceased is paid an amount equal to the average balance in the account of the deceased in the Coal Mines Provident Fund during the preceding three years not exceeding ₹10,000/- provided the average balance in the Coal Mines Provident Fund account of a deceased employee is not below the sum of ₹1,000/- at any time during the preceding three years.

1.5 Coal Mines Pension Scheme, 1998:

Coal Mines Pension Scheme, 1998 was introduced for the benefit of about 8 lakh Coal Workers with effect from 31.03.1998. With the introduction of Coal Mines Pension Scheme, the erstwhile Family Pension Scheme, 1971 has ceased to operate. The family pensioners who were drawing benefits under the erstwhile Family Pension Scheme, 1971 continue to draw their family pension under the old Coal Mines Family Pension Scheme, 1971.

2. COAL MINES PENSION SCHEME, 1998.

One of the most important landmarks in the history of Coal Mines Provident Fund Organization is the introduction of Coal Mines Pension Scheme, 1998 which was notified by the Central Government on 5th March, 1998.

In exercise of the powers conferred by Section 3E of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948) and in suppression of Coal Mines Family Pension Scheme, 1971 except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government has framed the Coal Mines Pension Scheme, 1998.

The Coal Mines Pension Scheme came into force with effect from the 31st day of March 1998. Consequent upon its enforcement, about 8 lakhs coal workers, working in different coal mines within the country shall be benefited. The corpus of the Fund and its sustainability and kinds of benefits to be granted to the beneficiaries are given below: -

2.1 Corpus of the Pension Fund and its sustainability:

- (a) Net assets of the Coal Mines Family Pension Scheme, 1971 as on the appointed day i.e. 31/3/1998.
- (b) An amount equivalent to two and one third percent of the salary of the employee, being the aggregate of equal shares of the employee and the employer from their respective contributions to the Provident Fund, to be transferred from the appointed day from the Provident Fund of the employee.
- (c) An amount equivalent to "two percent" of the basic and dearness allowance paid of the employee from the first day of April, 1989 or the date of joining, whichever is later, up to the 31st day of March, 1996 and "two percent" of the "notional" salary of the employee from the first day of April, 1996 or the date of joining, whichever is later, to be transferred from his "salary":(The word salary substituted by the words Basic plus D.A. paid vide GSR 689(E) dated 29.8.2000.)
- (d) An amount equivalent to one increment to be calculated on the basis of the salary of the employee as on the 1st day of July, 1995 or the date of joining, whichever is later, to be transferred from the 1st day of July, 1995 or the date of joining, whichever is later from the salary of the employee:
- (e) An amount equivalent to one & two third percent of the salary of the employee to be contributed by the Central Government from the appointed day provided that in the case of an employee whose salary exceeds Rupees One Thousand Six Hundred per month the contribution payable by the Central Government shall be equal to the maximum of the amount payable on the salary of Rupees One Thousand Six Hundred per month only:
- (f) Amount to be deposited in terms of the provisions of the proviso to sub paragraphs (2) and (4) of paragraph 4 of Coal Mines Pension Scheme 1998.
- (g) Vide Gazette Notification under GSR No. 540(E) published on 08 June 2018 with effect from 1st day of Oct 2017, instead of contribution as provided in (b), (c), (d) above contribution equivalent to seven percent of the salary of the employee calculated on payable basic and Variable Dearness Allowance (VDA) and equal contribution from the employer, from the first day of October, 2017 or the date of joining, whichever is later" is to be deposited.

Vide Paragraph 5 of GSR No. 119(E), dated 17.02.2023 in the CMPS' 98 in the sub-graph 2 of Paragraph 9 for the words brackets, letters and figure "clause (b), (c) (d)] (e) and (f) of paragraph 3" the words' brackets' letters and figure "clauses (e)' (f) and (g) of paragraph 3" shall be substituted.

The valuation of Pension Fund will be made every third year by an Actuary.

2.2 Coverage/Eligibility of Pension:

- (a) All employees who are members of the Coal Mines Family Pension Scheme, 1971 and are on rolls as on 31st March 1998.
- (b) All such employees who are appointed on or after 31st March 1998.
- (c) All such optee members who opted for membership of the Pension Fund in form PS-1 or PS-2 as the case may be.
- (d) All members who died on or after the 1st day of April, 1994 to the appointed date i.e. 31.03.1998 shall be deemed to have exercised the option of joining the Scheme on the date of death.

(e) All ceased members of CCLSPF/CMALSPF from 01.04.1994 to 07.10.2002 and those who are on roll as on 08.10.2002 covered under CMPS'98 excluding those who did not opt to join the CMPS'98.

2.3 Benefits:

(a) Monthly Pension/ Superannuation/ Retirement Pension:

(i) 25% of average of the emoluments or not less than ₹ 1000/-* per month for those employees who have superannuated after rendering thirty years of pensionable service.

(ii) An employee who has rendered less than thirty years of pensionable service but more than ten years of pensionable service, on attaining the age of superannuation, will get the pension calculated on the basis specified herein.

<u>Length of pensionable service</u>	X	25% of the average emoluments
30		

(iii) In case of an employee who has rendered 10 years of pensionable service and would be attaining the age of superannuation within a period of 20 years* and opts to retire from service before attaining the age of superannuation, the amount of monthly pension payable to such employee shall be determined on the basis specified in Schedule-2 of Coal Mines Pension Scheme, 1998.

* vide Paragraph 6 of GSR No. 119(E) Dated 17th February 2023 Sub-paragraph (3) of Paragraph 10 shall be substituted, namely "Where an employee having completed ten years of pensionable service and would be attaining the age of fifty years, the amount of monthly pension payable to such employee shall be determined on the basis specified in Schedule-2"

(iv) Where an employee has not completed 10 years of pensionable service on attaining the age of superannuation or opts to leave service, or his services are terminated or becomes disabled before completion of 10 years of pensionable service, the amounts payable by way of return of contribution to such employee shall be determined on the basis specified in Schedule-3 of Coal Mines Pension Scheme, 1998.

(b) Disablement Pension:

An employee on being permanently handicapped or disabled on account of bodily or mental infirmity while in service and has been declared as such by a competent Medical Board, will get disablement pension @ 25% of average emoluments or not less than ₹ 1000/-* per month provided he/she has rendered 10 years of pensionable service.

(c) Monthly widow or widower pension:

(i) Widow or widower pension payable on death after superannuation/retirement of an employee will be equivalent to 60% of monthly pension which the member was drawing on his date of death, subject to a minimum of ₹ 1000/-* per month.

(ii) On death of an employee in service before attaining the age of superannuation his/her widow or widower will get pension equal to 66.6% of the monthly pension of the employee which he/she would have become entitled on the day of death subject to a minimum of ₹ 1000/-* per month.

* Vide Gazette Notification No. G.S.R. 165(E) dated 08/03/2024, in the CMPS'98, sub-paragraph (1) of Paragraph 10, paragraph 11 and sub-paragraph (3) & (4) of paragraph 12 for the words ₹ 350/-, ₹ 350/-, ₹ 250/- and ₹ 350/- respectively the words ₹ 1000/- for each shall be substituted.

(d) Children Pension:

(i) After the death of an employee from the date following the date of his/her death, along with surviving wife/husband, two of the eldest sons or unmarried daughters,

as the case may be, till the sons attaining age of 25 years or in the case of unmarried daughters till the date of her marriage whichever is earlier, shall be entitled to Children Pension.

- (ii) The amount of monthly pension payable after the death of an employee shall be equal to 25% of the amount of widow or widower pension for each son or daughter as the case may be or not less than ₹ 100/- for each child.
- (iii) After the death of an employee or pensioner, as the case may be, from the date of following the date of his or her death, the son or daughter of such deceased person, permanently and totally disabled, shall be entitled to disablement pension till life or until getting regular employment in the Central or State Government, as the case may be, and the amount of monthly disablement pension payable after the death of an employee or pensioner shall be equal to twenty five per cent of the amount of widow or widower pension for each disabled son or daughter, as the case may be, or not less than rupees one hundred and ten for each disabled child or orphan.#

Vide Gazette Notification No. G.S.R. 4336(E) dated 04/10/2023, in the CMPS'98, in paragraph 13 after sub-paragraph (2), sub-paragraph (3) shall be inserted.

(e) Orphan Pension:

- [i] In case, there is no surviving widow or widower at the time of the death of an employee, from the date following the date of his/her death or otherwise, two of the eldest sons or unmarried daughters, as the case may be, till they attain the age of 25 years and in case of unmarried daughter, till the date of her marriage, whichever is earlier shall be entitled for Orphan Pension in lieu of children pension.
- [ii] The amount of monthly Orphan Pension payable after the death of an employee or the widow/widower shall be equivalent to 50% of the amount of widow/widower pension or not less than ₹110/- for each orphan.

3. IMPORTANT DEVELOPMENT AND PERFORMANCE:

3.1 Meetings of the BOT:

The Fund vests in the Board of Trustees of the Coal Mines Provident Fund constituted under Section 3A of the CMPF Act, 1948. During the period under report two meetings of the Board of Trustees was held on 27/09/2023, 24/11/2023 (VC) and 22/02/2024.

3.2 Amendment in Coal Mines Pension Scheme, 1998 during April, 2023 to March, 2024.

Amendment in Coal Mines Pension Scheme, 1998 has been made vide Gazette Notification No. G.S.R. 4336(E) dated 04/10/2023 and 165(E) dated 08/03/2024 during F.Y. 2023-24.

3.3 Amendment in Coal Mines Provident Fund Scheme during April, 2023 to March, 2024.

No amendment has been made in existing Coal Mines Provident Fund Scheme during 2023-24.

3.4 Disbursement of Pension under Coal Mines Pension Scheme, 1998.

Agreement was made with designated Nationalized Banks for smooth and timely payment of pension to all eligible pensioner under CMPS, 98.

3.5 Implementation of Rajbhasha:

To raise awareness and implement the Union's official language policy, the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Government of India, conducted a "Official Language Fortnight" from 14th September 2023 to 29th September 2023 in the Headquarters and Regional Offices. During this period, the following programmes were organised to promote and disseminate the official language Hindi: -

- i. During this period, a total of six competitions were organised: an essay competition, a Hindi computer typing competition, a Noting and Drafting competition, a Quiz forum competition, a poetry recitation competition, and an impromptu speaking competition.
- ii. A training in Hindi Unicode to a total of 190 employees of the Headquarters and Regional Offices in Dhanbad have been provided.
- iii. on 6-7 December 2023, a two-day workshop-cum-Official Language seminar was organised for the representatives of Regional Offices. The workshop featured presentations by Shri Dilip Singh, the Language Officer of BCCL, Shri Dharmendra, the Enforcement Officer based at the Delhi Regional Office, and Shri Nafees Alam, In-Charge, Official Language at the Headquarters. The sessions covered the organisation's Official Language policy, filling out the Parliamentary Language Committee questionnaire, online progress reports, and training on Hindi Unicode topics.
- iv. To review the implementation of the Union's Official Language policy, a meeting of the Official Language Implementation Committee was held quarterly, presided over by the Honourable Commissioner himself.
- v. The Government of India, Ministry of Home Affairs, Department of Official Languages, awarded the Second Prize to the Coal Mines Future Fund Organisation for excellent implementation of the Official Language Hindi in the eastern region. This award was received by the Commissioner from the Honourable Minister of State for Home Affairs, Shri Nishith Pramanik, during a grand programme held in Siliguri on 8 March 2024.
- vi. The Municipal Official Language Implementation Committee, Dhanbad, has awarded the third prize to the Coal Mines Pension Fund Organisation, Dhanbad, for its implementation of the official language.

4. YEAR AT A GLANCE

The following statistics present the performance of the Organization during the year 2023-2024.

4.1		Covered units	During the year 2023 - 2024	As at the end of the year
	i)	Coal Mines including ancillary organization covered		798
4.2		Number of Subscribers		
	i)	Coal Mines Provident Fund Scheme, 1948		334091
	ii)	Coal Mines Pension Scheme, 1998		359951
4.3		Contribution Received		(In crores)
	i)	Provident Fund Contribution (Member's and Employer's shares)	9926.86	
	ii)	Pension contribution including additional contribution (4936.96+700.81)	5637.77	
	iii)	Government contribution to Pension Fund	10.64	
	iv)	DLI Contribution (Employer's share only)	0	
	v)	Government contribution to DLI Fund	0	
4.4		Contribution in arrears for Coal Mines Provident Fund only		
	i)	For pre-nationalization period		
4.5		Unit of contribution posted in individual ledger.		
	i)	From 'VV' Statements	798	
	ii)	From Suspense	Nil	
4.6		Percentage of Posting	2023-24	
		From "VV" Statements	--	
4.7		Net Investment (Face Value)	During the year 2022- 2023	As at the end of the year
	i)	Coal Mines Provident Fund	7,748.65	1,21,582.29
	ii)	Coal Mines Pension Fund (Including Public A/c)	2,176.55	22,264.57
	iii)	Coal Mines Deposit Linked Insurance Fund	30.92	443.22
4.8		Rate of Interest allowed to members which is under approval of Competent Authority.	7.6%	
4.9		Settlement of claims for Refund of Provident Fund		
	i)	Claims settled	24397	17,78,797
	ii)	Claims pending		184
	iii)	Amount paid (In Crores)	9,918.24	1,11,146.21
4.10		Settlement of claims for advance from Provident Fund		
	i)	Claims for marriage advance	1708	564126
	ii)	Claims for Post Matriculation Education advance	166	22597
	iii)	Claims for House Building Advance	832	256501
4.11		Pending Claims for advance		
	i)	Marriage Adv. Claims		24
	ii)	Post Matriculation Adv. Claims		6
	iii)	House Building Advance Claims		10

		Amount of advance paid (₹ in crore)	During the year 2023-24	As at the end of the year
4.12				
	i)	Marriage advance.	122.16	3890.11
	ii)	Post Matriculation advance	4.33	171.15
	iii)	House Building Advance	138.06	6906.24
	iv)	Financing of Insurance Policies		
4.13		Settlement of Claims under Coal Mines Family Pension Scheme, 1971		
	i)	Claims for Family Pension settled	0	
	ii)	Claims for Other Benefits settled	0	
	iii)	Claims for Family Pension Pending	0	
	iv)	Claims for Other Benefits pending	0	
	v)	Amount of Family Pension & Other Benefits paid (₹ In Crore)	--	
4.14		Settlement of Claims under Coal Mines Pension Scheme, 1998		
	i)	Claims settled	26796	716261
	ii)	Claims pending		475
	iii)	Amount paid including Family Pension (₹ in Crore)	5,427.74	
4.15		Settlement of Claims under Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme		
	i)	Claims for DLI settled	0	389
	ii)	Claims for DLI pending	Nil	Nil
	iii)	Amount paid	Nil	1.795 Cr.

5. COAL MINES PROVIDENT FUND SCHEME

5.1 Coverage and Membership:

The Coal Mines Provident Fund Scheme having already been extended to all Coal bearing states, there is no scope for further territorial expansion unless new coal bearing areas come up.

5.2 During 2023-24, a total of 12021 employees were enrolled as new members of the Coal Mines Provident Fund as compared to 11709 members enrolled last year. Total No of 67 ledger cards were transferred to other Regional Offices and under transit during this year. Exit from the Fund during the year was to the extent of 24397. Since exit is more than enrollment, live membership of the Fund decreased from 3,46,534 to 3,34,091 during 2023-24.

5.3 Region wise distribution of covered units and live membership as at the end of the year is shown below:

Region	No. of covered units other than Coke Plants	Live membership in Units other than Coke Plants
Dhanbad-I	61	13927
Dhanbad-II	43	12773
Asansol-I	33	14730
Asansol-II	35	15118
Asansol-III	44	13616
Ranchi-I	56	16339
Ranchi-II	56	18869
Jabalpur	52	25320
Chhindwara	30	8290

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2023-2024

Bilaspur	54	40723
Nagpur	68	31360
Singrauli	19	25068
Godavarikhani	129	40491
Kothagudem	46	13095
Kolkata	3	531
Talchar	33	17934
Sambalpur	20	14410
Deoghar	4	4561
Margherita	5	5233
Delhi	7	1703
TOTAL	798	334091

6. INVESTMENT:

6.1 Face value of net additional investment during the year was ₹ 7748.65 crores as compared to ₹ 5175.52 crores last year. The total face value of the investment of Coal Mines Provident Fund was, thus, raised from ₹ 1,13,833.64 crores to ₹ 1,21,582.29 crores on 31st March 2024 as per details shown below: -

Total face value of investment as on 31.3.2023	(₹ In Crores)
	1,13,833.64
DEDUCT: Face value of matured securities proceeds whereof realized during 2023-24	7,389.01
	1,06,444.63
ADD: Face value of investment made in 2023-24	15,137.66
Total face value of investment as on 31.3.2024	1,21,582.29

Done up to here

6.2 Break-up of the Funds of entire investment in different types of securities as on 31st March, 2024 is as under: -

Types of Securities	Face Value (₹ In Crores)	Book Value (₹ In Crores)
Central Government securities	13,571.28	13,724.43
State Government Securities	45,116.34	45,580.89
P.S.U.	36,634.96	36,859.73
Special Deposit Scheme	16,522.50	16,522.50
STG	1,614.10	1,627.30
PRIVET SECTOR BONDS	3,094.23	3,114.75
ULF	221.49	221.49
ETF	4,807.39	4,807.39
TOTAL	121,582.29	122,458.48

7. INTEREST:

According to para 61 (1) of the Coal Mines Provident Fund Scheme, the rate of interest payable to subscribers on their accumulations in the Fund for each financial year has to be approved by the Central Government in consultation with the Board of Trustees. For the year 2023-24, the rate of interest payable to the members of the Fund on the recommendations of the Board of Trustees is @ 7.6 % per annum.

8. POSTING OF CONTRIBUTIONS IN THE MEMBERS ACCOUNT

8.1 During the period under report the contribution of the members was credited in their accounts for the currency period ending 31st, March 2024, as per Form 'VV' after necessary check.

8.2 During the year 2023-24, 798 units were available through the 'VV' statement for the currency period ending 31st March, 2024.

8.3 During reporting year, ₹ 9,926.86 crore were received in Suspense General Account as Provident Fund Contribution. This amount must be available to withdraw on receipt of VV statement of FY 2023-24.

8.4 During the year 2023-24 ₹ 9,926.86 crores were received in Suspense General Account for credit to the individual member's account. This amount actually was due for posting to the individual account during the year 2023-24 for the CPE 3/2024. The total receipt of amount during that year comprised the following: -

	(₹ In Crores)
i. Receipt of P.F. Contribution from Coal Companies	9,811.45
ii. Receipt of compensation from Commissioner of payment	0.00
iii. Transfer of P.F. Contribution from other Establishment	0.00
iv. Unclassified amount	0.00
v. Voluntary Contribution	115.41
Total	9926.86

9. ISSUE OF PASS BOOKS:

9.1 The initial issue of Pass Books has been completed in case of all live members except those in Suspense for the CPE 3/2024. Besides, Online Pass Books numbering 3,08,035 were updated/ issued during the year under report and the remaining passbooks are likely to be updated very soon.

10. LEGAL ACTION:

10.1 For default and delay in depositing contributions, three types of legal action lie against defaulters, namely levy of damages under Section 10F of the Coal Mines Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1948, institution of recovery proceedings under Section 10A and Criminal prosecution under Section 9 thereof. For levy of damages the quantum thereof has to be determined by means of quasi-judicial proceedings under Section 7B of the Act.

10.2 M/S J & K Minerals Limited was defaulting in payment of contribution in respect of PF & Pension dues. The amount due from the Company was ₹ 56.77 Crores approx. as on 31st March 2024.

11. SETTLEMENT OF CLAIMS FOR REFUND:

11.1 A checklist stands furnished to Coal companies for scrutinizing claims for refund before submission to the Regional Offices of the Coal Mines Provident Fund Organisation. If the scrutiny is carefully made, all claims should come with complete information and documents. Unfortunately, due attention does not appear to have still been paid to this checklist as a result of which a large number of claims are still coming in incomplete condition. It takes considerable time in collecting wanting information/documents, which leads to delay in settlement of claims. The extent of submission of complete claims is indicated below:

Year	No of complete claims received	No. of Incomplete claims received	Total	Percentage of Total Incomplete claims received
2021-2022	24748	5220	29968	17.41%
2022-2023	24768	6235	30913	20.16%
2023-2024	22606	3222	25828	12.47%

Claims are normally incomplete on account of the following: -

- i) The identity certificates of members are not furnished by the Management.

- ii) Death claims are not supported with required documents.
- iii) All the information required to be recorded by employer on the application form for refund are not furnished correctly after verification of records.
- iv) Bank Account of members where the amount is to be credited is not properly furnished.
- v) Advance stamped receipt is not furnished along with application for refund.
- vi) Discrepancies in the name/account number of any kind are not promptly elucidated.

11.2 The necessity for submitting claims with complete information/documents has been repeatedly brought to the notice of Coal Companies and emphasized in Co-ordination Committee meetings at Area and other meetings at corporate levels. Government has also issued instructions to Coal Companies to ensure that all claims are properly scrutinized before submission and submitted with complete information.

11.3 During 2023-24 total 24,397 claims were settled involving payment of ₹ 9,918.24 crores and the cumulative pendency on 31st March, 2024 were 184.

	Complete Claims	Incomplete Claims	Total
No. of claims pending as on 01.04.2023	14	545	559
No. of claims received during 2023-24	22606	3222	(+) 25828
No. of claims settled during 2023-24	22522	1875	(-) 24397
No. of claims rejected/closed during 2023-24	94	1712	(-) 1806
No. of claims pending as on 31 st March, 2024	3	181	184

11.4 Region wise breakup of above pertaining to refund cases is given below:

Srl. No.	Regional Office	Opening Balance	Receipt	Total	Settled	Closed/ Rejected	Pending
1	Dhanbad-I	32	1576	1608	1458	132	18
2	Dhanbad-II	20	1507	1527	1436	29	62
3	Asansol-I	4	1289	1293	1193	98	2
4	Asansol-II	1	876	877	807	69	1
5	Asansol-III	11	1042	1053	1040	9	4
6	Ranchi-I	63	834	897	637	257	3
7	Ranchi-II	106	1522	1628	1218	396	14
8	Jabalpur	61	2022	2083	1993	72	18
9	Chhindwara	6	648	654	649	4	1
10	Bilaspur	15	4058	4073	3887	181	5
11	Nagpur	13	2078	2091	2077	0	14
12	Singrauli	177	1409	1586	1322	240	24
13	Godavarikhani	2	2501	2503	2347	149	7
14	Kothagudem	0	1065	1065	1001	64	0
15	Kolkata	0	197	197	171	26	0
16	Talcher	42	1215	1257	1221	36	0
17	Sambalpur	4	1681	1685	1647	30	8
18	Deoghar	0	174	174	160	14	0
19	Margherita	2	108	110	107	0	3
20	Delhi	0	26	26	26	0	0
	TOTAL	559	25828	26387	24397	1806	184

11.5 Region-wise break-up of the claims pending as on 31.03.2024 is given below:

REGION	No. of complete claims pending as on 31.03.2024	No. of in-complete claims pending as on 31.03.2024	Total
Dhanbad-I	0	18	18
Dhanbad-II	0	62	62
Asansol-I	2	0	2
Asansol-II	0	1	1
Asansol-III	0	4	4
Ranchi-I	0	3	3
Ranchi-II	0	14	14
Jabalpur	0	18	18
Chhindwara	1	0	1
Bilaspur	0	5	5
Nagpur	0	14	14
Singrauli	0	24	24
Godavarikhani	0	7	7
Kothagudem	0	0	0
Kolkata	0	0	0
Talchar	0	0	0
Sambalpur	0	8	8
Deoghar	0	0	0
Margherita	0	3	3
Delhi	0	0	0
TOTAL	3	181	184

11.6 Comparative position of settlement of claims for Provident Fund is given below:

Year	No. of Claims settled
2021-2022	28535
2022-2023	29605
2023-2024	24397

11.7 Analysis of claims settled in 2023-24 according to reasons for withdrawal is given below:

Reasons for Withdrawal	No. of claims settled
V. Retirement	732
Death	2915
Retirement	14180
Left /Resignation	4200
Permanent disability	993
Retrenchment	121
Transfer to other industries/Migration to other country	0
Expiry of fixed term contract	1217
Refund of Voluntary Contribution	39
Others	0
TOTAL	24397

12. ADVANCE FOR MARRIAGE:-

12.1 During the year under review a sum of ₹ 122.16 crores were paid to 1708 members for meeting expenses in connection with their marriages and that of their sons/daughters/dependent sisters Receipts, settlement and pendency of marriage advance cases during the year are shown below:

No. of applications for marriage advance pending as on 1.4.2023	29
No. of applications received during 2023-24	(+) 1723
Total:-	1752
No. of cases settled during 2023-24	(-) 1708
Balance:-	44
No. of applications closed/rejected during 2023-24	(-) 20
No. of applications pending as on 31st March, 2024	24

12.2 Region-wise break-up of marriage advance claims settled during 2023-24 and pending as on 31st March, 2024 is shown below:

Name of Regional Office	Self-Marriage advance		Daughter's Marriage Advance		Son's Marriage Advance		Sister's Marriage Advance		Total	
	Settled	Pending	Settled	Pending	Settled	Pending	Settled	Pending	Settled	Pending
Dhanbad-I	1	0	77	0	8	0	0	0	86	0
Dhanbad-II	0	0	162	3	13	0	1	0	176	3
Asansol-I	0	0	44	0	42	0	4	0	90	0
Asansol-II	0	0	36	0	20	0	4	0	60	0
Asansol-III	1	0	25	0	20	0	2	0	48	0
Ranchi-I	0	0	24	0	8	0	1	0	33	0
Ranchi-II	0	0	58	0	22	0	20	0	100	0
Jabalpur	0	0	120	0	31	0	0	0	151	0
Chhindwara	3	0	36	0	23	0	8	0	70	0
Bilaspur	0	0	144	0	21	0	3	0	168	0
Nagpur	1	0	84	0	45	0	5	0	135	0
Singrauli	1	0	22	6	13	14	2	1	38	21
Godavarikhani	0	0	296	0	42	0	0	0	338	0
Kothagudem	0	0	108	0	0	0	0	0	108	0
Kolkata	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0
Talchar	1	0	15	0	3	0	1	0	20	0
Sambalpur	4	0	46	0	12	0	11	0	73	0
Deoghar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Margherita	0	0	4	0	1	0	3	0	8	0
Delhi	0	0	1	0	2	0	0	0	3	0
Total	12	0	1305	9	326	14	65	1	1708	24

13. HOUSE BUILDING ADVANCE:

13.1 During the year under report a sum of ₹ 138.06 crores were paid to 832 members for purchase of dwelling house/site and for construction of dwelling house. Till the end of 31st March 2024, House Building Advances have been paid to 2,56,501 members on this account. Receipt, settlement and pendency of House Building Advance cases during 2023-24 are shown below:

No. of applications for House Building Advance pending on 01.04.2023	14
No. of applications received during 2023-24	(+)844

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2023-2024

Total:-	858
No. of applications in which advance paid during 2023-24	(-) 832
Balance:-	26
No. of applications rejected during 2023-24	(-) 16
No of applications pending as on 31.03.2024	10

13.2 Comparative position of settlement of House Building Advance cases is as under:

	2021-22	2022-23	2023-24
No. of applications received	2298	2335	844
No. of cases in which House Building advance paid	2271	2308	832
No. of cases pending at the end of the year	20	14	10
Amount paid during the year (₹ in crores)	298.89	311.10	138.06

13.3 Region-wise break-up of the case of House Building Advances settled during 2023-24 and pending as on 31st March 2024 are given below: -

REGION	No. of cases settled during 2023-24	No. of cases pending as on 31st March, 2024
Dhanbad-I	0	0
Dhanbad-II	0	0
Asansol-I	0	0
Asansol-II	0	0
Asansol-III	0	0
Ranchi-I	1	0
Ranchi-II	2	0
Jabalpur	95	0
Chhindwara	85	0
Bilaspur	29	0
Nagpur	66	0
Singrauli	28	10
Godavarikhani	361	0
Kothagudem	128	0
Kolkata	0	0
Talchar	11	0
Sambalpur	25	0
Deoghar	0	0
Margherita	0	0
Delhi	1	0
TOTAL	832	10

14. **ADVANCE FOR POST-MATRICULATION EDUCATION OF CHILDREN: -**

14.1 During the year under report a sum of ₹ 4.33 crores were paid to 166 members by way of advance for Post Matriculation Education of their children. Receipt, settlement and pendency of these cases during 2023-24 are shown below: -

No. of applications for Post Matriculation Education Advance pending on 1.4.2023	04
No. of applications received during 2023-24	(+)171
Total:-	175
No. of applications in which advance paid during 2023-24	(-) 166
Balance:-	9
No. of applications rejected during 2023-24	(-)3
No. of applications pending as on 31.03.2024	06

14.2 Comparative position of settlement of Post matriculation Advance cases is shown below: -

	2021-22	2022-23	2023-24
No. of Post Matriculation Education Adv. claims settled during the year	465	464	166
No. of Post-Matriculation Adv. claims pending at the end of the year	7	4	6
Amt. of Post Matriculation Adv. paid during the year (₹ In crores)	9.31	11.11	4.33

14.3 Region-wise break-up of the case of Post Matriculation Advances settled during 2023-24 and pending as on 31st March 2024 are given below: -

REGION	No. of cases settled during 2023-24	No. of cases pending as on 31st March, 2024
Dhanbad-I	0	0
Dhanbad-II	44	2
Asansol-I	0	0
Asansol-II	0	0
Asansol-III	3	0
Ranchi-I	1	0
Ranchi-II	3	0
Jabalpur	4	0
Chhindwara	10	0
Bilaspur	11	0
Nagpur	12	0
Singrauli	0	4
Godavarikhani	47	0
Kothagudem	19	0
Kolkata	0	0
Talchar	2	0
Sambalpur	9	0
Deoghar	0	0
Margherita	1	0
Delhi	0	0
TOTAL	166	6

15. FINANCING OF MEMBERS'S LIFE INSURANCE POLICIES:

15.1 During 2023-24 no new policy was received for being financed from the member's Provident Fund. There was no receipt of claims either under the Scheme.

16. RESERVE ACCOUNT AND ITS UTILISATION:

16.1 Reserve Account of the Coal Mines Provident Fund comprises of the following:

i) Lump sum contribution: This represents as one-time special levy from employers at the inception of the scheme under para 32 of the Coal Mines Provident Fund Scheme.

ii) Forfeiture: This represents amount of Employers' contribution and interest thereon forfeited in the cases of outgoing members leaving service of their own accord before completing 10 years' membership of the Fund and before attaining the age of 50 years. This clause has been omitted vide GSR No. 102 dated 22.01. 97.

iii) Un-refunded contribution: This represents Provident Fund contribution collected by collieries in the erstwhile States of Rewa & Korea before introduction of the Coal Mines Provident Fund Scheme in those areas and remained un-refunded to workers.

iv) Forfeited Bonus: This represents bonus due to workers but forfeited due to participation in illegal strike.

v) Unclaimed Bonus: This represents bonus due to workers but remained undisbursed/unclaimed for more than six months.

vi) Special Reserve Account: This reserve is fed by transfer from forfeiture referred to at (ii) above for refunding to outgoing members and nominee/heirs of deceased member's contribution which have not been deposited by employers.

vii) Interest on Reserve Account: As the balance in Reserve Account stands invested alongwith Provident Fund pro-rata interest thereon is put in this sub-head of Reserve Account by transfer from the general interest pool.

viii) Reserve Account Late Fee: This reserve has been created by transfer of Funds from the forfeiture account referred to at (ii) above for the purpose of paying late fee to Life Insurance Corporation of India for reviving Life Insurance policies of members which lapsed or became paid up due to non-remittance of premium from member's Provident Fund.

ix) Miscellaneous Reserve: This represents some small-unidentified deposits.

16.2 Presently there is no utilization of the following reserves:

- i) Lumpsum contribution;
- ii) Unrefunded contribution of Rewa & Korea;
- iii) Forfeited Bonus
- iv) Special Reserve Account
- v) Interest on Reserve Account
- vi) Miscellaneous Reserve

17. COAL MINES PENSION SCHEME, 1998:

17.1 The Coal Mines Family Pension Scheme, 1971 has been replaced by a new Coal Mines Pension Scheme, 1998 introduced with effect from 31.03.1998. The entire corpus of the Coal Mines Family Pension Fund was transferred to "Pension Fund" under Coal Mines Pension Scheme, 1998. However, the payment against the cases covered under ceased Coal Mines Family Pension Scheme, 1971 also is being made out of the "Pension Fund".

17.2 During 2023-24, as on 31.03.2024 total pensioner and live membership under CMPS 1998 is 6,13,872 and 3,59,951 respectively.

Region wise distribution of pensioner and live membership as at the end of the year is shown below:

REGION	Pensioners Under CMPS'98	Live membership of CMPS'98
Dhanbad-I	60515	13932
Dhanbad-II	71872	14160
Asansol-I	37253	14021
Asansol-II	35395	11960
Asansol-III	47208	14153
Ranchi-I	28580	18363
Ranchi-II	40472	12772
Jabalpur	37364	35664
Chhindwara	32658	8972
Bilaspur	34359	44695
Nagpur	53839	30072
Singrauli	15152	25657
Godavarikhani	61340	41375
Kothagudem	23032	14100
Kolkata	3025	696
Talcher	9940	31525
Sambalpur	12196	19129
Deoghar	4510	4818
Margherita	4272	1762
Delhi	890	2125
Total	613872	359951

18. CONTRIBUTION:

18.1 Member's and Employer's contribution to Pension Fund was diverted from their contribution to Provident Fund. The rate of this diversion is 1 & 1/6 % of total emoluments.

The Central Government also contributes to the pension Fund at the rate of 1 & 2/3 % of total emoluments of the Members provided that in the case of a Member whose total emolument exceed ₹1600/- per month, the contribution payable by the Central Government, shall be limited to the amount payable on his total emoluments of ₹1600/- per month.

An amount equivalent to 2% or the basic and dearness allowance (word pay has been replaced by Basic Pay and Dearness Allowance vide GSR No. 689(E) Dated 29/08/2000) paid of the employee for the first day or April, 1989 or the date of joining, whichever is later, upto the 31st day of March 1996 and 2% of the "Notional" salary or the employee from the first day of April, 1996 or the date of joining whichever is later, to be transferred from his salary.

An amount equivalent to one increment to be calculated on the basis of the salary of the employee as on the first day of July, 1995 or the date of joining, whichever is later, to be transferred from the first day of July, 1995 or the date of joining, whichever is later, to be transferred from the salary of the employee.

Member's and Employer's contribution to Pension Fund has been modified to 7% share of Basic Pay and Variable Dearness Allowances each replacing all other contribution as mentioned under para 3(b), (c) and (d) of CMPS 98 being paid by employee & employer vide GSR No. 540(E) published on 08th June 2018 w.e.f. 01.10.2017.

Vide GSR No. 119(E), dated 17.02.2023 in the CMPS, 98, in paragraph 9, in sub-paragraph (2), for the words, brackets, letters and figure "clause (b), (c) (d)] (e) and (f) of paragraph 3" the words' brackets' letters and figure "clauses (e)' (f) and (g) of paragraph 3" shall be substituted.

18.2 Collection of contribution in the Pension Fund by way of Employee & Employer contribution as well as additional contribution @ Rs. 10 per ton and Central Government's contribution has been as under:

	(₹ In Crores)		
	2021-22	2022-23	2023-24
Pension Fund	4174.86	4367.40	5,637.77
Central Government's contribution	12.96	0.57	10.64

19. INVESTMENT:

19.1 As per provisions of the Coal Mines Pension Scheme monies of the Family Pension Fund are invested as deposit in Public Account maintained with PAO, New Delhi. During the year 2023-24 a further sum of ₹ 1,113.67 crores to be received as interest reinvested in this account raising the total deposit from ₹ 13,102.01 crores to ₹ 14,215.68 crores.

19.2 The deposit in Public Account now carries interest at the rate of 8.5%.

20. PAYMENTS OF BENEFITS:

20.1 The benefits under the Coal Mines Family Pension Scheme, 1971 were of two natures. Recurring, i.e. monthly Family Pension paid to a family member of an employee dying in harness apart from a lump sum assurance grant of ₹2000/- in each case. The persons after retirement or termination of service get retirement or withdrawal benefits at the rate prescribed in the Scheme. This scheme has been seized after introduction of CMPS 98 and all the provisions have been subsumed under CMPS 98.

20.2 Comparative position of settlement of claims for family pension and other benefits under the Coal Mines Family Pension Scheme and payment under CMFPS/CMPS is shown below: -

Sr. No.	Nature	No. of claims settled		*Amount paid (Rs. In Crore)	
		2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
i)	Claims for F.P.	0	0	* Included in (viii) below 4689.75 5427.74	
ii)	Lump sum Life Assurance Benefit				
iii)	Retirement benefit	0	0		
iv)	Withdrawal benefit				
v)	Refund of F.P. Contrib.				
vi)	Re-Remittance pertaining to benefits mentioned at (iii) to (v)	0	0		
vii)	Deduct cases in which pension discontinued during the year	0	0		
viii)	Cases in which F.P. paid				

20.3 It may be mentioned that the administrative cost of Coal Mines Provident Fund is met out of the Administrative charge paid by the Coal Companies and Coal Mines Pension Scheme by the Central Government and Coal Companies.

21. NET ACCRETION TO THE PENSION FUND:

21.1 The net balance standing to the credit of the pension Fund as on 31st March, 2024 was as under:

	(₹ In crores)
Opening balance as on 1-04-2023	21,033.27
Member's & Employer's contribution to Pension Fund during 2023-24	5637.77
Central Govt. contribution received in 2023-24	10.64
Interest received during 2023-24 (Reserves & Surplus)	1,655.65
TOTAL	28,337.33
Benefits paid during 2023-24	5427.74
Less: Other Adjustments	10.69

Balance	22,898.90
---------	------------------

21.2 The aforesaid net balance of ₹ 22,898.90 crores is held as under:

		(₹ In Crores)
1	Deposit in Public Account carrying interest @ 8.5%	14215.68
2	Investment (Book Value)	8118.78
3	Loan, Advance & Another recoverable	450.85
4	Bank Balance	113.59
Total		22898.9

22. FAMILY PENSION AND SETTLEMENT UNDER COAL MINES PENSION SCHEME'98: -

22.1 Family Pension is being disbursed by deposit in payee's Saving Accounts in Nationalised Banks w.e.f. 01.04.2011.

22.2 With the introduction of the Coal Mines Pension Scheme, 1998 all the assets and liabilities of the Coal Mines Family Pension have been transferred to Coal Mines Pension Fund Account.

22.3 During the year under report, claim in form PS-6/SAHAJ received for settlement of Pension under Coal Mines Pension Scheme, 1998 were settled as under: -

No. of Pension Claims pending as on 01-04-2023	935
No. of claims received during 2023-24	(+) 29299
Total:-	30234
Claims settled during 2023-24	(-) 26796
Balance:-	3438
Claims rejected/returned	(-) 2963
Claims pending as on 31.03.2024	475

22.4 Region wise breakup of above pertaining to pension cases is given below:

Region	Opening Balance	Receipt	Total	Settled	Rejected/Returned	Balance
Dhanbad-I	54	1649	1703	1438	145	120
Dhanbad-II	100	1644	1744	1531	65	148
Asansol-I	2	1387	1389	1367	10	12
Asansol-II	0	1187	1187	1180	7	0
Asansol-III	2	1415	1417	1414	0	3
Ranchi-I	169	928	1097	619	468	10
Ranchi-II	197	1575	1772	1288	446	38
Jabalpur	67	1818	1885	1753	104	28
Chhindwara	15	1004	1019	1013	4	2
Bilaspur	19	4291	4310	4090	215	5
Nagpur	10	2409	2419	2413	0	6
Singrauli	232	1087	1319	1042	211	66
Godavarikhani	5	3837	3842	2986	845	11
Kothagudem	0	1392	1392	1102	290	0
Kolkata	12	175	187	164	18	5
Talcher	42	1440	1482	1437	44	1
Sambalpur	7	1699	1706	1640	53	13
Deoghar	0	164	164	142	22	0
Marghreta	2	153	155	132	16	7

Delhi	0	45	45	45	0	0
TOTAL	935	29299	30234	26796	2963	475

23. COAL MINES DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME:

23.1 The Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme covers all members of the Coal Mines Provident Fund in terms of Provisions contained in Section 11C of the Coal Mines Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1948. Coal India Limited including its subsidiary companies and Singareni Collieries Company Limited has been granted exemption from the operation of Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme as they have introduced their own Life Cover Schemes, which are more beneficial to the employees. The exemption in the case of Coal India Ltd. is, however, in respect of their employees governed by N.C.W.A. Of late, executives of the Coal India Ltd. and its subsidiary Companies also exempted from the operation of CMDLI Scheme, vide GSR No. S.O. 822(E) dated 24.03.2009.

23.2 Coverage under the statutory Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme is, thus, limited to the following: -

- i) Employees of Coal Mines owned by Damodar Valley Corporation;
- ii) Employees of Coal Mines owned by Tata Iron & Steel Company Limited;
- iii) Employees of Coal Mines owned by Indian Iron & Steel Company Limited;
- iv) Employees owned by J & K Minerals Ltd.;
- v) Persons employed through contractors in all Coal Mines.

23.3 Section 11C (3) (A) of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948, also provides for inspection of the units exempted from implementation of the scheme by the Inspectorate of Coal Mines Provident Fund Organization and also to pay inspection charges.

23.4 The Board of Trustees of CMPFO in its 174th meeting held on 05.10.2021 recommended for withdrawal of Scheme due to non-functional since long time and Ministry has instructed that process of re-write of CMPF&MP Act, 1948 should initiated.

24. CONTRIBUTION:

24.1 Employees do not have to make any contribution to the DLI Fund. Employers make a contribution at the rate of 0.5% of aggregative wages comprising of basic wages, dearness allowance and retaining allowance, if any. The Central Govt. also contributes an amount equal to half of the amount contributed by employers.

24.2 During 2023-24 contribution from employers to the Insurance Fund was amounting to ₹0.00 crores while Government contribution was ₹ 0.00 crores.

25. INVESTMENT:

25.1 It has been decided to invest the entire accumulations of the Coal Mines Deposit Linked Insurance Fund in Public Account carrying interest @ 7.50%. Thus a total sum of ₹ 412.30 crores stood in the Public Accounts as on 31st March 2023. During the period under report a further sum of ₹ 30.92 crores has been received as interest to be deposited in Public Account with Central Government. This has raised the total deposit to ₹ 443.22 crore as on 31st March 2024 from ₹ 412.30 crores as on 31st March 2023.

26. DISBURSEMENT OF BENEFITS:

26.1 So far as exempted Coal Companies are concerned payment of benefits under the Deposit Linked Insurance Scheme is restricted to cases of death that occurred before the date from which exemption became effective. For the un-exempted Coal Companies and for un-exempted categories of members in exempted Coal Companies, all cases of death were dealt with under the Deposit Linked Insurance Scheme.

26.2 During the year nil claims for DLI benefits were received. Therefore, a payment of ₹nil have been made for DLI benefits.

26.3 The Board of Trustees of CMPF in its 174th meeting held on 05.10.2021 recommended for withdrawal of Scheme due to non-functional since long time and accordingly amendment in CMPF and MP Act1948 has been proposed to Central Government.

27. NET ACCRETION TO THE DEPOSIT LINKED INSURANCE FUND:

27.1 As the BoT has approved, the DLI is non-operational. On 31st March 2024, the net balance to the Deposit Linked Insurance Fund amounted to ₹ 443.22 Crores.

28. ORGANISATION:

28.1 The Fund vests in and is administered by a tripartite Board of Trustees, constituted under Section 3A of the Coal Mines Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1948. The tenure of Trustees consisting of employers, employees and state Government representative is as per notification in the Official Gazette with effect from such date as may be specified therein. The Constitution of the Board as on 13/09/2023 and 23/11/2023 has been shown in **Annexure-I**. The Board held **three** meeting during 2023-24 and its important recommendations has already been dealt with.

28.2 As Chief Executive Officer of the Board, Coal Mines Provident Fund Commissioner administers the three Schemes viz. Coal Mines Provident Fund Scheme, Coal Mines Pension Scheme and Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme, through his Headquarters office at Dhanbad and 20 Regional Offices spread across the country. A Location and jurisdiction of the offices have been brought out in **Annexure-II**.

29. INSPECTION:

29.1 For efficient administration of the scheme regular inspection is a must. Inspection consists of three folds as indicated below: -

i) Inspection of collieries by Provident Fund Inspectors and Officers with a view to verifying whether statutory provisions of the schemes are being adhered to by Coal Companies. These inspections are also intended for collection of wanting information & documents required for settlement of claims and for clearing un posted items.

ii) Inspections of Regional Office are made by concerned Additional Commissioners under their jurisdiction and also by Regional Commissioners and other Officers in respect of Officer/branches under their respective control.

iii) Inspection by the Internal Audit Cell of the Headquarters Office.

30. ADMINISTRATION:

30.1 Against the sanctioned strength of 934 numbers of officers and staff in position as on 31st March 2024 is 577. As such 357 posts are lying vacant at the end of the year. Category-wise details of the strength sanctioned and in position have been given in **Annexure-III**.

30.2 During the period under report no posts were filled up by promotion of persons from the feeder cadres due to pending decision in W.P.C. No. 2049 of 2020 by the Hon'ble High Court of Judicature at Ranchi.

31. WELFARE MEASURES FOR STAFF:

31.1. The bonus as declared for Central Government employees from year to year is being allowed to the employees of the Coal Mines Provident Fund.

31.2. The employees of the Coal Mines Provident Fund technically not being government servants, the Group Insurance Scheme introduced for Central Government employees could

not be extended to the employees of the Fund. However, the Life Insurance Corporation of India has introduced a Group Saving Linked Insurance Scheme providing the same life cover as in the case of Central Government employees and this has been extended to the employees of Coal Mines Provident Fund Organisation. During the year under report a sum of ₹ 3,26,310.00 (Rupees Three Lakh Twenty-Six Thousand Three Hundred Ten only) has been paid to the Life Insurance Corporation of India on account of premium. Retirement Benefit amounting to ₹ 20,58,045.00 (Rupees Twenty Lakh Fifty-Eight Thousand and Forty-Five only) has been paid to 41 employees.

31.3 A scheme of death grants for providing lump sum cash benefit to the families of employees dying in harness is in vogue in this Organisation. This Scheme of death grant stands incorporated in the Coal Mines Provident Fund Staff Benevolent Fund Rules. With the approval of the Board the scheme came into force with effect from 01-04-1984. The new Scheme envisages a special contribution by officers and employees of the Organization in every case of death in harness. The Board also pays to the Benevolent Fund a matching grant equivalent to the special contributions so collected.

32. GRIEVANCE AND VIGILANCE:

32.1 A separate cell functions in the Headquarters Office for redressing grievances of the members, while grievances received in the Regional Offices are dealt with by Regional Commissioner themselves. Grievances are mostly about delay in settlement of claims and updating the individual accounts. As on 31.03.2024 a total of 27 grievance cases not having any vigilance angle were to be resolved in the Regional Offices and Headquarter Office of the Organisation. 1060 cases were disposed off during the year.

32.2 On 31st March, 2024, a total of 27 cases awaited disposal as shown below: -

No. of non-vigilance complaints pending as on 01.04.2023	59
No. of non-vigilance complaints received during 2023-24	1028
Total:-	1087
No. of non-vigilance complaints disposed of during 2023-24	1060
No. of non-vigilance complaints pending as on 31.03.2024	27

32.3 Notices were displayed at Regional Offices of the Fund that the members were to meet the Officers only and not any other person. The Officers were also advised to meet the members very cordially, to hear the grievance patiently and to ameliorate the same immediately. Where it was not possible to solve the problem due to the fact that some particulars were to be collected from Regional Offices located out-station, specific dates by which the same would be set right and on which date the member/ visitor should meet again was informed to the members.

32.4 As required under Paragraph 24 of the recommendation in 150th report presented to the Rajya Sabha on 31.03.2017, details related to the vigilance cases disposed off in financial year 2023-24 and the pending cases along with the nature of such cases are as under: -

Year	DI Cases disposed	CBI Cases disposed	DI Cases pending	CBI cases pending
2023-24	05	00	46	09

32.5 Apart from above, the committee also recommended to include the replies to the audit objections made by the organization along with the details related to the pending paras and RTI matters are to be incorporated in the annual report. For the year 2023-24, the report is shown below: -

RTI Annual Return Information System (2023-2024)

Annual Return Form

Authority: - Ministry of Coal (Coal Mines Provident Fund Organisation)

Progress in 2023-2024						
	Opening Balance on 01.04.2021	Received during the 1st quarter (including cases transferred to other Public Authority)	No. of cases transferred to other Public Authorities	Cases received on transfer	Request/ Appeals rejected.	Decisions where requests/ appeals accepted
Requests	00	935	1083	149	1	0
1 st Appeals	00	152	0	3	0	155
No. of Cases where disciplinary action taken against any Officer				0		
No. of CAPIOs designated		No. of CPIOs designated		No. of A. A.s Designated		
0		21		1		
No. of times various provisions were invoked while rejecting requests						

Relevant Sections of RTI Act-2005													
Section 8 (1)										Sections			
A	b	C	d	E	F	g	h	i	j	9	11	24	Other
									18				
Amount of Charges Collected (In ₹)													
Registration Fee Amount				Additional Fee & Any other charges				Penalties Amount					
₹10510/-				₹ 1512/-				0					
Last Date of Uploading the Pro-active Disclosures on the website of PA								Date – 23.01.2024					
Name of the person who is entering/updating data								S.K. Pandit					
Designation of the person who is entering /updating data								Assistant Commissioner/CPIO					

33. ACCOUNTS AND AUDIT:

33.1 As required under Paragraph 68 of the CMPF, 1948 read with Para 21 of CMPS, 1998 & read with Para 25 of CMDLI, 1976, Annual Accounts of the Coal Mines Provident Fund, Coal Mines Pension Fund and Coal Mines Deposit Linked Insurance Fund for the year 2023-24 are appended hereto as Various STATEMENTS.

33.2 The cost of administration of the Coal Mines Provident Fund Scheme is met out of levy of administrative charge from employers at the rate of 3% of total amount of compulsory provident contribution of members and employers. During the year 2023-24 there was an excess of income over expenditure on Administration Account to the extent of ₹ 378.50 crores. The Capital expenditure i.e. expenditure on land and building is met from revenue receipt. The Cumulative revenue surplus of the Administration account has increased from ₹ 4348.65 crores on 31st March 2023 to ₹ 4725.12 crores on 31st March, 2024.

33.3 Comparative Position of Income and Expenditure as Well as Surplus Is Indicated Below: -

(₹ In Crores)

	2021-22	2022-23	2023-24
Total receipt in Administration Account (including interest on investment)	601.10	555.44	682.74
Total expenditure from Adm. Account	185.50	208.23	318.94
Revenue Surplus of the year	420.65	353.38	378.50
Less Prior Period Adjustment/Pension Adm. Loss adjustment	45.68	75.32 (41.78+33.54)	2.03
Cumulative revenue surplus at the end of the year	4070.58	4348.64	4725.12

33.4 The portion of cost of administering the Coal Mines Pension Scheme is borne by the Central Government. Administration expenses for common purposes of the Coal Mines Provident Fund and Coal Mines Pension Scheme are in terms of Provisions contained in the Coal Mines Pension Scheme, required to be apportioned between the Administration accounts of the two Schemes.

33.5 The administrative expenses for Coal Mines Family Pension Scheme/Pension Scheme during 2023-24 were ₹ 3957.47 lakhs. Against this, contribution of ₹ 0.00 were received from Government. Thus there was an excess of expenditure over receipt to the tune of ₹ 3957.47 lakhs. Comparative position of receipt and expenditure as well as surplus is given below: -

	(₹ In lakh)		
	2020-21	2021-22	2023-24
Administrative expenses of the F.P/ Pension Scheme including share of common expenses.	3824.32	3685.14	3957.47
Amount received from Central Govt. for administrative Expenses of the Coal Mines Pension Scheme	566.00	1665.00	0.00
Excess/Less receipt over Expenditure	(-) 3258.32	(-) 2020.14	(-) 3957.47

33.6 The cost of administration of the Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme is met out of administrative charges paid by the employers at the rate of 0.1% or aggregate wages as well as from Government contribution to the extent of half of the administration charges paid by employers.

i) During 2023-24 Employer's contribution to the Central Administration Account of the Coal Mines Deposit Linked Insurance Fund was amounted to ₹ 07.68 lakhs.

ii) During the year a sum of ₹ Nil lakhs has been received from Central Government towards Central Administration Account.

33.7 Consequent upon grant of exemption from the operation of Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme to the major Coal Companies, sanction for employing staff on D.L.I. Work was withdrawn by the Central Government. Consequently, proportionate share of expenditure on common items has been the only expenditure out of the Central Administration Account of the D.L.I Fund. As a result, there has been progressive increase in the accumulation revenue surplus in the Central Administration Account of the D.L.I. Fund. The excess of income over expenditure in D.L.I has been increased to ₹ 13.53 crores compared to ₹ 12.93 crores last year.

34. AUDIT:

According to arrangements made by Central Government in pursuance of Para 59(i) of the Coal Mines Provident Fund Scheme with C & A. G., Annual Accounts of the Fund are being audited by A.G. of the state in which the Office of the Fund is located. As per this arrangement, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Budget Division), the C & A.G. of India has been entrusted to undertake the audit of accounts of the Coal Mines Provident Fund Organisation, Dhanbad in terms of Para20(1) of the C & A.G. (DPC) Act 1971 from 2008-2009. Accordingly, annual accounts of the organization for 2023-24 have been audited by the C & A.G. of India (PDCA, Kolkata). The Certificate of the Audit is the part of this Annual Report.

**CONSTITUTION OF THE BOARD OF TRUSTEES,
COAL MINES PROVIDENT FUND****CHAIRMAN**

1. The Secretary to the Government of India,
Ministry of Coal,
NEW DELHI.
Pin-110001

MEMBER EX- OFFICIO

2. C.M.P.F Commissioner,
Coal Mines Provident Fund Organisation,
Dhanbad (Jharkhand)
Pin-826014

REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENT OF INDIA

- | | | |
|---|---|--|
| 3. Additional Secretary to the Government of India, (in-charge of Coal Mines Provident Fund Organisation affairs), Ministry of Coal, New Delhi-01 | 4. Joint Secretary-cum- Financial Adviser, Ministry of Coal, New Delhi-01 | 5. Central Provident Fund Commissioner or his/her representative, Employees Provident Fund Organisation (EPFO) |
|---|---|--|

REPRESENTATIVES OF THE STATE GOVERNMENT

- | | | |
|---|---|--|
| 6. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary rank officer nominated by the State Government of Odisha | 7. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary rank officer nominated by the State Government of Chattisgarh | 8. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary rank officer nominated by the State Government of Jharkhand |
| 9. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary rank officer nominated by the State Government of West Bengal | 10. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary rank officer nominated by the State Government of Telangana | 11. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary rank officer nominated by the State Government of Maharashtra |

REPRESENTATIVES OF EMPLOYERS'

- | | | |
|--|---|--|
| 12. Chairman and Managing Director, CIL, Coal Bhawan, Premise No-04 MAR, Plot No. AF-III, Action Area-1A, Newtown, Rajarhat, Kolkata-700156 (W.B.) | 13. Chairman and Managing Director, SCCL, Dist.-Bhadradri Kothagudem, Telangana -507101 | 14. Chairman and Managing Director, MCL, P.O.: Jagriti Vihar, Burla, Dist- Sambalpur, Odisha-768020 |
| 15. Chairman and Managing Director, SECL, Seepat Road, P.B. No. 60, Dist- Bilaspur Chattisgarh-495006 | 16. Chairman and Managing Director, CCL, Darbhanga House, Kutchery Road, Ranchi, Jharkhand-834029 | 17. Joint Secretary to the Government of India, (in-charge of CMPFO affairs), Ministry of Coal, New Delhi-01 |

REPRESENTATIVES OF EMPLOYEES'

18. Shri Ramendra Kumar,
President, AITUC and
General Secretary, IMWF,
P.O.- Bhurkunda,
Dist. Hazaribagh,
Jharkhand-825301
19. Sri Rakesh Kumar,
President
Koyala Mazdoor Sangh
(HMS), Near Premier
Nursing Home, P.O.
Gopalpur, Asansol-713304,
Dist- Burdwan (W.B.)
20. Shri D. D. Ramanandan,
National Secretary Centre
of India Trade Unions,
General Secretary, All
India Coal Workers'
Federation, 4C Binoy
Shanti Priti Appt.,
Opp Jawahar Nagar, P.O.
Kanke Road, Ranchi,
Jharkhand-834008
21. Shri K. Lakshma Reddy,
National Executive Member,
Bharatiya Mazdoor Sangh
State Office, TRT-141,
Jawaharnagar, Hyderabad-
500020
22. Shri Ashish Krishna
Murthi, Treasurer, Akhil
Bharatiya Khadan Mazdoor
Sangh, Flat No. 202,
Orange Height Apartment,
Behind ESSAR Petrol
Pump, Lahiri Krupa
Society, Khamla, Nagpur-
440024
23. Shri D.N. Singh,
President, Coal Mines
Officer's Association of
India (Apex Body) and
Chief Manager (Mining),
CCL, Ranchi

COAL MINES PROVIDENT FUND
LIST OF THE OFFICES

Sl. No.	OFFICE	JURISDICTION		DATE OF SETTING UP
		AREA/DIVISION	COMPANY	
1	Headquarters Office, Dhanbad	Supervision, Control and Co-ordination in respect of all Regional Offices.	-	1949
2	Zonal Office, Ranchi	RO at Dhanbad, Ranchi and Asansol		March -2017
3	Zonal Office, Bhubaneswar	RO Sambalpur, Bilaspur, Jabalpur, Delhi		March -2017
4	Zonal Office, Hyderabad	Staff Training College, NEDPC & RO Singrauli, Kothagudem, Godavarikhani & Nagpur,		March -2017
5	Dhanbad-I	Area No. II, IV, VII, VIII, VIII, IX, (Bhalgora), XII BCCL., (H.Q), Sudamdih,	BCCL, CIL, CMPDIL	OCT, 1971
6	Dhanbad-II	Area I, Block II, Area III, IV, V, X, XI, K.P. Area, IISCO & TISCO Cells	BCCL, IISCO, TISCO	FEB. 1981
7	Asansol-I	Area Pandaveshwar, Bankola, Kenda, Jhanjhra & Sonepur Bazar Area	ECL	OCT, 1971
8	Asansol-II	Area -Kajora, Kunustoria, Satgram.	ECL	AUG. 1981
9	Asansol-III	Sripur, Sodpur, Sitarampur, ECL H.Qr. & C.M.P.D.I.L. Region -I, Area - Salanpur, Nirsa, Kapasra	ECL, CMPDIL	OCT. 1971
10	Ranchi-I	Area - N.K. Piperwar, Rajhara, Sikmi (J.M.D.C. Mines)	CCL, CMPDIL, JMDC	OCT. 1977
11	Ranchi-II	AGM Charhi, Sirka Argada, Barkakana AGM, W.Bokaro, Kujua, Sounda AGM, Rajrapa AGM., Dhori, B&K, Kathara, Giridih, DVC	CCL, TISCO, DVC	SEPT. 1981
12	Jabalpur	Area-Hasdeo, Chirimiri, Sohagpur, Baikunthpur, Jamuna & Kotma, Johila Bisrampur	SECL	FEB. 1972
13	Chhindwara	Pench & Kanhan.	WCL, SECL	SEPT. 1981
14	Bilaspur	Area - Korba, Kusmunda, Gereaa, Raigarh, SECL H.Qrs, Bilaspur, CMPDIL, R - V.	SECL	SEPT. 1981
15	Nagpur	Area - Nagpur, Chandrapur, Ballapur, Majri, Vani, Patharkera, WCL H.Qrs.	WCL, CMPDIL	SEPT. 1981
16	Singrauli	Singrauli, Bina, N.C.L. H.Qrs.	NCL, CMPDIL	AUG. 1981
17	Godavarikhani	Ramagundam, Gr. I, II, III, IV, Ballempalli Gr. Sreerampur Area, Ramakrishna, Mandmari, CIL M/S SCCL	SCCL, CIL	SEPT. 1973
18	Kothagudem	Kothagudem, Gr. Yellandu, Majugru Div. SCCL H.Qr.	SCCL	SEPT. 1981
19	Kolkata	Offices of Coal India and Offices/Units of Coal Companies.	CIL, ECL, BCCL, CCL	JAN. 1981
20	Talcher	Area - Talcher, Jaganath, Kalinga, Basundhara, Independent Unit.	MCL, CMPDIL	SEPT. 1981
21	Deoghar	Chitra, J.P., Rajmahal OCP., Area Rajmahal, Simlong.	ECL	DEC. 1981
22	Margherita	North Eastern Coal Fields	NECL	MAR. 1982
23	Sambalpur	Area - Ib Valley, Orient, Lakhanpur, Central Workshop	MCL, CMPDIL	MAY 1997
24	New Delhi	Kalakot, RSO Lucknow, Delhi, Chandigarh & Jaipur	J&K Min. Ltd. RSO of CIL	MARCH 2020




STRENGTH OF OFFICERS & STAFF AS ON 31.03.2024

SI No	CATEGORY OF OFFICERS / STAFF	SANCTIONED STRENGTH	STRENGTH IN POSITION	DEFICIENCY	REMARKS
1	2	3	4	5	6
1	CMPF Commissioner	1	1	0	
2	Chief Vigilance Officer	1	1	0	
3	Additional Commissioner	3	1	2	
4	Finance Advisor	1	0	1	
5	Regional Commissioner-I	19	0	19	
6	Regional Commissioner-I	28	7	21	
7	Senior Finance Officer	2	0	2	
8	Finance Officer	4	0	4	
9	Assistant Engineer (Civil)	1	0	1	
10	Assistant Commissioner (IT)	1	0	1	
11	Assistant Commissioner	35	10	25	
12	Assistant Director (OL)	1	0	1	
13	Personal Secretary	1	0	1	
14	Enforcement Officer	60	5	55	
15	Account Officer	40	0	40	
16	P.F. Inspector(Abolished post)	0	8	-8	
17	Section Officer	170	17	153	
18	Senior Translation Officer	5	3	2	
19	Stenographer Grade-I	9	2	7	
20	Personal Assistant(Abolished post)	0	1	-1	
21	Stenographer Grade-II	11	10	1	
22	Junior Translation Officer	10	2	8	
23	Senior Social Security Assistant	138	296	-158	
24	Stenographer Grade-III	11	0	11	
25	Social Security Assistant	322	125	197	
26	Upper Division Clerk(Abolished post)	0	4	-4	
27	Lower Division Clerk (Abolished post)	0	17	-17	
28	Driver (S.G.) (Abolished Post)	0	0	0	
29	Driver Gr-I(Abolished post)	0	2	-2	
30	Driver Gr-II (Abolished post)	0	4	-4	
31	Driver Ordinary Grade((Abolished post)	0	7	-7	
32	MTS	60	54	6	
	Total:-	934	577	357	



कोयला खान भविष्य निधि
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
COAL MINES PROVIDENT FUND

वार्षिक लेखा 2023-24
ANNUAL ACCOUNTS 2023-24

लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर
रखे जाने वाले कागजात
Papers to be laid on the table of
Lok Sabha / Rajya Sabha
अधिप्रमाणित / Authenticated

(सतीश चंद्र दूबे)
(SATISH CHANDRA DUBEY)
कोयला राज्यमंत्री
Minister of State For Coal

मुख्यालय : कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद - 826001 (झारखंड)

HEAD QUARTER : COAL MINES PROVIDENT FUND ORGANIZATION, DHANBAD - 826 001 (JHARKHAND)

COAL MINES PROVIDENT FUND

BALANCE SHEET AS ON 31.03.2024

<u>CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES</u>	<u>Schedule</u>	<u>(Amount - ₹) As on 31.03.2024</u>	<u>(Amount - ₹) As on 31.03.2023</u>
Corpus/Capital Fund	1	1,198,272,658,947.87	1,114,942,205,711.05
Reserve & Surplus	2	14,764,738,938.47	15,206,677,220.45
Current Liabilities & Provisions	3	50,028,952,594.08	49,177,092,565.91
Total...		1,263,066,350,480.42	1,179,325,975,497.41
ASSETS			
Investments	4	1,224,584,822,120.48	1,148,540,273,332.76
Current Assets, Loans & Advances	5	38,481,528,359.94	30,785,702,164.65
Total...		1,263,066,350,480.42	1,179,325,975,497.41
Contingent Liabilities and Significant Accounti	6	-	-

Date: 10.07.24
Place: Dhanbad


(SANTOSH KUMAR)
ASSISTANT COMMISSIONER


(VIJAY KUMAR MISHRA)
(COMMISSIONER)



COAL MINES PROVIDENT FUND

INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

INCOME	Schedule	(Amount - ₹) As on 31.03.2024	(Amount - ₹) As on 31.03.2023
7			
Interest Income from			
Central Government Securities		₹ 11,894,030,144.00	₹ 12,502,871,130.00
State Government Securities		₹ 32,847,282,952.93	₹ 30,821,685,826.31
Public Sector Bonds		₹ 25,832,814,854.65	₹ 24,205,144,873.41
Private Sector Bonds		₹ 3,352,398,821.70	₹ 3,693,722,023.99
Special Deposit Scheme		₹ 11,763,116,976.89	₹ 11,730,877,311.48
Short Term Deposit Receipts / Fixed Deposit			
STG		₹ 1,595,923,183.00	₹ 1,277,715,337.90
ETF DIVIDENT			
Total... (A)		₹ 87,285,573,033.17	₹ 83,932,016,603.09
8			
Misc. Income:			
Interest on Pension Main Account			
Penal Interest for Delay Payment of Monthly Contribution by Coal Companies			
Interest on Surabhi (Swipp)		₹ 148,607,848.00	₹ 8,111,932.76
Misc. Income (Investment)		₹ 26,587,850.65	₹ 40,896,746.80
Profit/Loss on ULF		₹ 287,138,839.74	₹ 765,887,249.89
Total... (B)		₹ 462,334,538.39	₹ 814,595,929.45
Grand Total... C (A+B)		₹ 87,747,907,571.56	₹ 84,746,612,532.54
9			
EXPENDITURE			
Interest Expenditure			
Interest on Members Account (As per reported in TE)			
Interest on Members Account @7.6% (Provision Made)		₹ 84,735,607,634.00	₹ 81,065,841,029.00
Interest on PF Administration Fund (@ 7.6%)		₹ 669,950,627.00	₹ 365,317,176.00
Profit/Loss on Redemption of Securities		₹ 1,587,006,592.54	₹ 2,745,923,729.18
Provisions for expected loss ILFS & RCAP- current year booking		₹ 244,700,664.00	
Total... (D)		₹ 87,237,265,517.54	₹ 84,177,081,934.18
Balance being excess of Income over Expenditure (C-D) transferred to Reserves & Surplus Account		₹ 510,642,054.02	₹ 569,530,698.36
8			
Significant Accounting Policies			

Prepared by



 (VIJAY KUMAR MISHRA)
 (COMMISSIONER)


 (SANDESH KUMAR MISHRA)
 ASSISTANT COMMISSIONER

COAL MINES PROVIDENT FUND (MAIN) ACCOUNT

RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDING 31.03.2024

(Amount - ₹) As on 31.03.2023	Receipt	(Amount - ₹) As on 31.03.2024	Payment	(Amount - ₹) As on 31.03.2024
1,654,050,313.56	Bank & Cash Opening Balance	851,357.07	Investments	97,472,250,154.99
500,000.00	SBI Main A/c - I	500,000.00	State Govt. Security	46,073,247,500.00
	IDBI Main Account		Public Sector Undertaking	
1,883,131,396.42	Account II (Region)	3,613,821,538.00	STDR / T. Bill / FD	
5,661.00	BOI Mumbai	5,661.00	Private Sector Bonds	
7,390.00	Canara Bank Dhanbad	7,390.00	ULF	363,248,258,738.00
318,905,091.05	SBI FUND MGT BANK	279,666,518.78	ETF	7,824,566,479.55
1,404,794,867.32	UTI AMC BANK	1,850,159,479.60	STG	610,000,000.00
40,120,000.00	SBI Main A/c - I (Surabhi)	493,719,681.20	Settlement made during the year	
			Subsequent Contribution	101,386,633,474.65
19,057,235,000.00	Investment Redemption		Expenses	
31,413,380,000.00	Central Govt. Security	8,284,800,000.00	Bank Charges	5,092,185.83
15,712,600,000.00	State Govt. Security	42,375,280,000.00		
	Public Sector Undertaking	7,703,600,000.00		
	CMLSPF			
416,375,108.27	Private Sector Bonds	12,577,468,755.23	Interest Paid on Security Purchase	
489,046,386,034.21	U. L. F	362,796,476,575.79	Interest Paid on Central Govt. Security	
200,000,000.00	STG	2,849,000,000.00	Interest Paid on PSU	7,606,557.30
	ETF			
13,089,303,044.00	Interest Income & Misc. Receipts			
29,838,339,197.49	Interest on Central Govt. Security			
23,571,823,951.64	Interest on State Govt. Security	21,267,671.23		
	Interest on Public Sector Undertaking			
	Interest on FD / STDR	254,978,676.18		
11,730,977,311.48	Interest on SDS			
3,725,843,451.99	Interest on Private Sector Undertaking			
1,192,911,803.27	Interest on STG	10,473,501.37		
	Interest on Maturity ULF			
40,896,746.80	Misc. Receipt (Investment)	183,701,095.65	Amount transfer to Pension Main Account	
	ETF		P. F. Admin. Account	
8,159,629.00	Earnest Money Deposit		EMD	
2,625,948,831.00	Interest on Surabhi Account No. I	851,357.07	Bank & Cash Closing Balance	
	PF ADM.	500,000.00	SBI Main A/c - I	1,043,432,213.00
			IDBI Main Account	500,000.00
5,700,000.00	Contribution Govt. & Others	3,613,821,538.00	Account II (Region)	1,864,603,965.76
	Pension Main Account (Govt. Contribution)	5,661.00	BOI Mumbai	5,661.00
	Pension Admin. (Govt. Contribution)	7,390.00	Canara Bank Dhanbad	7,390.00
	DLI Main Account	279,686,518.78	SBI FUND MGT BANK	2,761,182,728.33
13,770,568.74	Amount Receivable from Pension Main	1,950,199,479.60	UTI AMC BANK	4,187,319,508.35
410,892,608.00	subsequent contri bution	493,719,681.20	SBI Main A/c - I (Surabhi)	2,719,255,943.50
72,529,960,969.82	Contribution	99,268,611,075.23		
719,943,088,773.06		629,245,812,390.71		629,245,812,390.71


 (SANJOSH KUMAR MISHRA)
 ASSISTANT COMMISSIONER


 (VIJAY KUMAR MISHRA)
 COMMISSIONER



SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

CORPUS / CAPITAL FUND (SCHEDULE - 1)

	(Amount - ₹) 31.03.2024	As on (Amount - ₹) 31.03.2023	As on (Amount - ₹) 31.03.2023
(a) Initial Contribution			
Opening Balance	2,153,689.00	2,153,689.00	
Add : Recd. during the year	-	-	
Less : Refund during the year	-	-	
Closing Balance (A)	2,153,689.00	2,153,689.00	
(b) Contribution with interest from 01.01.1949			
Opening Balance	978,112,945,769.84	927,045,339,221.57	
Add : Recd. during the year	184,633,755,048.78	156,376,995,845.45	
Less : Settlement made during the year	100,673,765,472.41	105,309,389,297.18	
Closing Balance (B)	1,062,072,935,346.21	978,112,945,769.84	
(c) Suspense Account			
Opening Balance	121,938,686,231.36	124,719,890,077.99	
Add : Recd. during the year	98,114,542,095.23	71,029,950,969.82	
Add : Member Insurance Suspense Account			
Less : Adjustments during the year	98,744,078,434.78	73,811,154,816.45	
Closing Balance (E)	121,309,149,891.81	121,938,686,231.36	
(d) Voluntary Contribution			
Opening Balance	14,888,420,020.85	14,888,420,020.85	
Add : Recd. during the year	1,154,068,980.00	1,500,000,000.00	
Less : Adjustments during the year	1,154,068,980.00	1,500,000,000.00	
Closing Balance (G)	14,888,420,020.85	14,888,420,020.85	
Total (A+B+C+D+E+F+G)	1,198,272,658,947.87	1,114,942,205,711.05	

RESERVES & SURPLUS ACCOUNT (SCHEDULE - 2)

	(Amount - ₹) 31.03.2024	As on (Amount - ₹) 31.03.2023
(a) Reserves & Surplus Account		
(1) Interest Suspense		
<i>Opening Balance</i>	15,206,677,220.45	15,658,807,469.04
Add :- Prior Period Adjustment	(952,580,336.00)	(1,021,660,846.95)
Add : Transferred from - Interest on Reserve Account, Miscellaneous Reserve, Reserve Account Late Fee, Special Reserve Fund Account		
Add : Excess of income over Expenditure	510,642,054.02	569,530,598.36
<i>Closing Balance</i>	<u>14,764,738,938.47</u>	<u>15,206,677,220.45</u>
<i>Total...</i>	<u>14,764,738,938.47</u>	<u>15,206,677,220.45</u>

CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS (SCHEDULE - 3)

	(Amount - ₹) 31.03.2024	As on (Amount - ₹) 31.03.2023
(a) Amount Payable to DLI Main Account	11,734,876.56	11,734,876.56
(b) Amount Payable to DLI Admn Account	18,739,121.00	18,739,121.00
(c) Amount Payable to Pension Administration	1,323,609,000.00	1,323,609,000.00
(d) Amount Payable to PF Admn.	9,479,998,275.66	8,815,139,835.49
(e) Unclassified Contribution	39,007,869,732.86	39,007,869,732.86
(f) Amount payable to Pension Main	187,001,588.00	-
Total...	50,028,952,594.08	49,177,092,565.91

INVESTMENTS (SCHEDULE - 4)

	(Amount - ₹) 31.03.2024	As on (Amount - ₹) 31.03.2023
(a) Central Government Securities (Annexure - A)	137,244,303,874.19	145,428,781,555.22
(b) State Government Securities (Annexure - B)	455,808,935,054.43	402,351,221,814.35
(c) Public Sector Bonds (Annexure - C)	368,597,251,781.41	330,294,060,849.01
(d) Private Sector Bonds (Annexure - D)	31,147,515,807.14	44,903,880,992.37
(e) STG (Annexure - E)	16,272,981,189.02	18,611,981,189.02
(g) Special Deposit Scheme (Annexure - F)	165,225,032,556.00	165,225,032,556.00
(f) ULF (Annexure - G)	2,214,915,500.64	1,475,994,498.69
(j) ETF (Annexure - H)	48,073,886,357.65	40,249,319,878.10
Total...	1,224,584,822,120.48	1,148,540,273,332.76

CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES (SCHEDULE - 5)

	(Amount - ₹) 31.03.2024	As on 31.03.2023
Sundry Debtors		
(a) Amount Receivable from Pension Account		
Total...(A)		
Cash & Bank Balance		
(a) SBI Main A/c - I	1,043,432,213.00	851,357.07
(a1) SBI Main A/c - I (Surabhi)	2,719,255,943.50	493,719,681.20
(b) Balance with Bank A/c II Regions (Annexure - I)	1,864,603,965.78	3,613,821,538.00
(c) Bank of India (Mumbai)	5,661.00	5,661.00
(f) Canara Bank (Dharwad) A/c No. - 0251201002067	7,390.00	7,390.00
(g) IDBI Bank Account No. I (H.Q.) A/c No. - 0121030000003698	500,000.00	500,000.00
(i) Bank UTI	4,187,319,508.35	1,950,199,479.60
(j) Bank SBI MF	2,761,182,728.33	279,686,518.78
Total...(B)	12,576,307,409.94	6,338,791,625.65
Interest Accrued but not due		
(a) Central Government Securities (Annexure - J)	2,520,006,399.00	2,705,076,014.00
(b) State Government Securities (Annexure - K)	7,955,654,068.00	6,733,770,044.00
(c) Public Sector Bonds (Annexure - L)	11,161,933,388.00	10,398,452,745.00
(d) Private Sector Bonds (Annexure - M)	954,613,870.00	1,263,246,378.00
(f) Special Deposit Scheme (Annexure - N)	2,924,709,413.00	2,892,569,748.00
(g) STG (Annexure - O)	372,671,160.00	453,795,610.00
(h) Surabhi	15,632,652.00	
Total...(C)	25,905,220,950.00	24,446,910,539.00
Total...(A+B+C)	38,481,528,359.94	30,785,702,164.65

Annexure - I			
Balance with Bank Account No. II (Regions)			
Sr. No.	Name of the Regional Office	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
1	Asansol (Asansol Region-II)	1,386,241.46	295,521,638.71
2	Barakar (Asansol Region-III)	3,224,849.86	433,804,229.46
3	Bilaspur	123,609.54	266,788.70
4	Chhindwara	19,734,457.10	1,516,143.10
5	Deoghar	99,410,503.18	787,751.18
6	Dhanbad (Dhanbad Region-I)	553,182.88	7,078,262.00
7	Hyderabad	186,149,888.06	1,208,528,151.11
8	Jabalpur	90,194,652.44	715,841,468.44
9	Jharia (Dhanbad Region-III)	(37,852,608.00)	(37,852,608.00)
10	Katras (Dhanbad Region-II)	127,698.00	400,198,165.00
11	Kolkata	25,842.25	80,889.65
12	Kothagudem	250,128,879.67	175,172,653.61
13	Margherita	39,535,428.11	45,443.31
14	Nagpur	1,222,779.00	1,504,387.00
15	New Delhi	13,431.98	21,048.58
16	Ramgarh (Ranchi Region-II)	517,083,839.00	255,199,670.00
17	Ranchi (Ranchi Region-I)	92,901.50	3,544,913.50
18	Raniganj (Asansol Region-I)	7,084,567.23	4,001,742.15
19	Sambalpur	29,494,283.50	145,583,067.50
20	Singrauli	478,455,466.00	-
21	Talcher	178,414,073.00	2,977,733.00
	Total...	1,864,603,965.76	3,613,821,538.00

COAL MINES PROVIDENT FUND MAIN ACCOUNT
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2024
SCHEDULE 8 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. Significant Accounting Policies:

I. General

i) Accounts are prepared on the historical cost basis and on the accounting principles of a going concern.
ii) Accounting Policies not specifically referred to otherwise be consistent and in consonance with generally accepted accounting principles.

iii) Accounts are prepared/compiled on reports duly signed/authenticated by the respective heads of regional offices/sections of HQ/ office, custodian, fund managers, bankers etc.

2. Income

i) Interests on Investment are accounted for on accrual basis.

3. Expenses

i) Interest on Members account is accounted through provisioning.

ii) Interest on Pension & PF Administration Fund is accounted on accrual basis.

iii) Expenses pertaining to bank charges/commission reimbursed by PF Administrative Account.

4. Investments.

i) Investments are stated at cost, inclusive of brokerage except Management fee, but unrealized income if any arose due change of method of valuation.

5. Contribution.

i) Contribution Received from various members is initially transferred to Suspense Account till the same has been posted to respective member's ledger account.

ii) Receivables from Coal Company are recognized after classification is completed.

B. Notes to Accounts:

i) Bank Charges & Management Fee reimbursed by the PF Administrative Account.

ii) Figures of Previous year have been regrouped & rearranged wherever necessary.

iii) Interest on Interest Reserve, Pension Fund, P.F. Administrative Fund are accepted @ 7.6% p.a. as interest rate applicable to members' account during the year. This rate is proposed by the Board and approval of the Government of India is still awaited. Accordingly, ₹ 84,73,56,07,634.00 has been provided as interest to the members for FY 2023-24.

iv) Premium / Discount Paid / Received at the time of purchase are transferred in P&L account at the time of redemption of securities.

v) Contribution deposited by coal companies on ad-hoc basis are treated as unclassified till company sent details of contribution.

vi) Receivables from Coal Company at this stage could not be finalized since P.S-5 is in-completed.

vii) Suspense Accounts include Members Insurance Suspense A/c ₹ 3.18 Crores.

- viii) Interest Suspense Account includes Amount Receivable ₹ 1.19 lakh, Contribution with Interest due but not received ₹ 8.43 Crores, Recoverable from A.G. Bihar ₹. 4.57 lakhs, Recoverable from West Bengal ₹. 0.32 lakhs, Recoverable from Madhya Pradesh ₹ 424/, Recoverable from Orissa ₹ 121/-.
- ix) Average rate of SDS interest for the current year is 7.1 %.
- x) An amount of ₹ 56.77 Crores (including demurrage charges) recoverable from M/s. J&K Minerals, Jammu up to 31.03.2024.
- xi) During the period under reporting there is a loss of ₹ 2,74,59,23,729.18 has been booked under redemption of debt investment as against profit of ₹ 76,55,87,249.89 under investment in equity segments.
- xii) After closing of Account NO. -II pertaining to regional office, Jharia, an excess amount of ₹ 3,78,52,608.00 has been transferred by the regional office. This lead to negative balance appearing in respect of Account No-II Jharia.
- xiii) Balances of CMPF Staff Pension, Leave Encashment and Gratuity appearing under Contra Items has been transferred to CMPF Administration Account.
- xiv) Balances appearing in Legacy ledger (no transaction executed through these heads since long back) of A.E.C.D, Dead Account, Death Relief Fund, Bonus Forfeited, Forfeiture from Member Account, Lump sum Contribution, Unclaimed Bonus & Un-refundable Cont. from Rewa, Korba & Talehar amounting to ₹ 60,29,215.00, ₹ 6,73,329.00, ₹ 1,58,215.00, ₹ 2,31,827.00, ₹ 2,24,60,484.00, ₹ 17,14,816.00, ₹ 60,83,005.08 & ₹ 73,644.00 respectively transferred and part of head "Contribution with Interest from 01-01-1949" w.e.f FY 2018-19.
- xv) Balances appearing in Legacy ledger (no transaction executed through these heads since long back) of Interest on Reserve Account, Miscellaneous Reserve, Reserve Account Late Fee and Special Reserve Account amounting to ₹ 75,86,57,409.95, ₹909.00, ₹34,294.00 and ₹14,250.00 respectively transferred to "Interest Suspense Account" w.e.f FY 2018-19.
- xvi) Investment amounting to ₹. 121.00 Crores in Reliance Capital Limited and ₹. 97.43 Crores in Infrastructure Leasing & Financial Services Limited have been defaulted and classified as Default/stressed and separately disclosed. Resolution process under respective rules are under process. The investment shall be accounted for after final resolution.
- xvii) During the year expected loss in IL&FS and Reliance Capital has been booked as per decision of Investment Sub-committee dated 28-03-2022. The expected loss has been determined as per expected realization informed by Fund Managers i.e. in case of IL &FS 33 % and in case of RCAP 55%. Loss has been quantified to ₹ 65.28 crore and ₹ 54.45 crore respectively. Out of total loss of ₹. 65.28 crore pertaining to IL&FS loss amounting to ₹ 53.42 crore booked as prior period item and ₹ 11.86 crore booked during current period. Similarly, in case of RCAP ₹. 41.84 crore booked as prior period item and ₹ 12.61 crore as current periods.
- xviii) There is a loss on redemption of Debt Investment amounting to ₹. 183,17,07,256.54 (including loss booking for ILFS & RCAP) and profit of ₹. 28,71,38,839.74 on redemption of ULF (Equity).
- xix) Resolution process of DHFL has been announced and total realization is ₹. 597.55 crore thus balance ₹. 655.99 crore appearing under Stress Assets until Board agree for writing off.
- xx) None of Investments are revalued during the year.

C. The Surplus of CMPF Organisation exempted from levy of Income Tax under section 10(25) of Income Tax Act, 1961.

COAL MINES PROVIDENT FUND ADMINISTRATION (ACCOUNT NO VIII)

BALANCE SHEET AS AT 31-03-2024

		(Amount in ₹)	
<u>CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES</u>	<u>SCHEDULE</u>	<u>AS ON 31-03-2024</u>	<u>AS ON 31-03-2023</u>
Corpus/Capital Fund	1	205,855,914.00	205,855,914.00
Reserve & Surplus	2	47,251,189,724.35	43,486,464,015.07
Current Liabilities & Provisions	3	12,856,565,922.38	11,120,009,500.82
TOTAL		<u>60,313,611,560.73</u>	<u>54,812,329,429.89</u>
<u>ASSETS</u>			
Fixed Assets	4	298,784,494.47	305,521,118.04
Investments	5	48,872,308,376.46	44,352,127,215.60
Current Assets, Loans & Advances	6	11,142,518,689.80	10,154,681,096.25
TOTAL		<u>60,313,611,560.73</u>	<u>54,812,329,429.89</u>
Significant Accounting Policies	7	-	-
Contingent Liabilities	8	-	-

Date: 10.07.24
Place: Dhanbad


(SANTOSH KUMAR)
ASSISTANT COMMISSIONER


(VIJAY KUMAR MISHRA)
(COMMISSIONER)



COAL MINES PROVIDENT FUND ADMINISTRATION (ACCOUNT NO VIII)

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31-03-2024

	<u>SCHEDULE</u>	<u>AS ON 31-03-2024</u>	<u>AS ON 31-03-2023</u>
(Amount in ₹)			
INCOME			
INCOME FROM SALES/SERVICES			
Administrative Charges on Provident Fund	9	2,669,305,935.00	2,390,454,469.56
Interest on Investment:			
Central Government Securities	10	32,034,841.00	26,463,650.00
Private Sector Bonds		311,169,058.78	245,243,193.53
State Government Securities		1,374,329,559.67	1,240,393,103.37
Public Sector Bonds		971,518,283.69	814,525,579.10
STDR & FD			
STG		135,746,307.00	102,639,697.08
Accrued Interest on Investment with LIC		826,136,221.92	440,749,422.43
Misc. Receipt: Banks Interest on investments account		1,347,721.91	9,497,250.50
Misc Income:			
Interest on Advances with CMPF Main Account	11	669,950,627.00	674,454,676.00
Misc. Receipt (including interest on Surabhi Account)		8,693,697.64	39,494,249.96
Interest on Surabhi Account		6,504,481.00	27,076,920.64
Profit/Loss on Redemption of Securities		20,662,657.96	
TOTAL		<u>6,827,401,332.57</u>	<u>6,010,994,112.17</u>
EXPENDITURE			
ESTABLISHMENT EXPENSES			
Establishment Expenses including Leave Travel Concession:	12	476,865,658.29	534,812,854.38
OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES			
Office Vehicle Expenses	13	3,264,759.90	2,671,482.08
Rent, Rate & Taxes	13.2	6,710,747.46	10,448,290.98
Misc. Contingencies & Recurring Charges	13.3	249,806,969.99	204,343,021.94
Other Charges	13.4	563,713,883.99	547,338,821.73
Depreciation	14	13,345,893.00	13,708,580.67
Interest on Investment Pertaining to DLI Adm. Ac (@ 7.6%)	15	119,854,039.00	111,765,082.00
Profit/Loss on Redemption of Securities		74,822,846.50	60,844,888.00
Provision for loss on Interest on account of default by DHFL		1,531,840,507.58	431,686,772.50
Additional Provision made towards DBRS to LIC		53,151,012.00	55,170,678.00
Provision for Interest on Staff GPF			
Non Proportionable Expenses			
Bank Charges & Portfolio Manager Fees		95,996,988.58	109,534,476.91
Loss on Pension Administration (as per CMPS 1998)			
Less: Proportionate Share of Expenditure Allocated to		<u>3,189,373,306.29</u>	<u>2,082,343,949.19</u>
(i) Coal Mines Family Pension Admn. Account		133,640,146.00	56,145,987.00
(ii) Coal Mines Deposit Linked Admn. Account		13,364,015.00	5,614,599.00
Net Surplus Transferred to Balance Sheet		<u>3,785,032,247.28</u>	<u>3,990,410,748.98</u>

Prepared by



 (VIJAY KUMAR MISHRA)
 COMMISSIONER

Contingent Liabilities and Significant Accounting Policies
 7 & 8

 (SANTOSH KUMAR)
 ASSISTANT COMMISSIONER

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
CORPUS/CAPITAL FUND (SCHEDULE 1)

	Amount in ₹ As on 31-03-23
	205,855,914.00
	<u>205,855,914.00</u>

	Amount in ₹ As on 31-03-24
	205,855,914.00
	<u>205,855,914.00</u>

(a) Liabilities on Capital Head of Account

TOTAL

RESERVES & SURPLUS ACCOUNT (SCHEDULE 2)

	Amount in ₹ As on 31-03-23
	40,705,756,225.18
	<u>40,705,756,225.18</u>

	Amount in ₹ As on 31-03-24
	43,486,464,015.07
	<u>43,486,464,015.07</u>

Excess of Income Over Expenditure

Opening Balance	40,705,756,225.18
Less : Excess of Expenditure over Income transfer from CMPF Pension Adm A/c	
Less : Prior Period Adjustment	417,770,763.85
Add : Pension Adm loss charged to P & L	335,351,946.40
Add : Surplus during the year	3,533,840,520.14
Closing Balance	<u>43,486,464,015.07</u>

CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS (SCHEDULE 3)

	Amount in ₹ As on 31-03-23
	469,335,025.45
	806,710,129.00
	1,577,026,829.00
	633,942,992.03
	7,632,994,528.34
	<u>11,120,009,500.82</u>

	Amount in ₹ As on 31-03-24
	469,335,025.45
	761,919,746.00
	1,683,516,853.00
	775,709,262.01
	9,164,835,035.92
	1,250,000.00
	<u>12,856,565,922.38</u>

- (a) Amount Payable to Pension Main Account
- (b) Amount Payable to Staff GPF (A/C V)
- (c) Amount Payable from DLI Admn
- (d) Exp. Incurred and Payable to Pension Admn. A/C
- (e) Provisions for Defined Benefit retirement schemes of CMPF Own Employee
- (f) Provisions for Expenditure

TOTAL

FIXED ASSETS (SCHEDULE 4)

	Amount in ₹ As on 31-03-24	Amount in ₹ As on 31-03-23
(a) Land	108,229,195.12	108,229,195.12
(b) Lease Land & Building	1,346,426.00	936,000.00
(c) Building	182,843,228.65	167,070,415.65
(d) Plant & Machinery	578,521.88	923,189.88
(e) Electric Equipment	1.00	1.00
(f) Office Equipment	199,616.00	1.00
(g) Computer / Peripherals	2,372,855.00	1.00
(h) Furniture & Fixtures	3,054,266.12	8,117,163.69
(i) Vehicles	1.00	1.00
(j) Others Assets	160,383.70	245,149.70
TOTAL	298,784,494.47	305,521,118.04

INVESTMENTS (SCHEDULE 5)

	Amount in ₹ As on 31-03-24	Amount in ₹ As on 31-03-23
(a) Central Government Securities (As per Annexure - A)	405,294,345.30	405,294,345.30
(b) State Government Securities (As per Annexure - B)	18,437,640,900.63	17,615,508,422.13
(c) Public Sector Bonds (As per Annexure - C)	16,491,714,406.00	14,266,425,482.00
(d) Private Sector Bonds (As per Annexure - D)	1,096,136,888.74	1,423,408,235.74
(e) STDR / FD with Banks (As per Annexure - E)	-	-
(f) STG (As per Annexure - F)	1,849,322,295.14	1,559,322,295.14
(g) ULF (As per Annexure - G)	123,918,800.00	46,591,868.52
(h) Investment with LIC	9,209,982,817.49	8,169,828,248.62
(i) ETF (As per Annexure - H)	1,258,297,923.16	865,750,318.15
	48,872,308,376.45	44,352,127,215.60

CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES (SCHEDULE 6)

SUNDRY DEBTORS

	Amount in ₹ As on 31-03-24	Amount in ₹ As on 31-03-23
(a) Exp. Incurred and Recoverable from Pension Admn. A/C	269,803,413.55	269,803,413.55
(b) Amount Recoverable from Staff Pension Cum Gratuity (A/C No. VI)	9,479,998,275.08	8,815,139,835.48
(c) Amount Recoverable from CMPF Main Account		
(d) Amount Seized by GST (Refundable)		
(e) DLI		
(f) GSLI		
TOTAL.....(A)	9,749,801,689.21	9,084,943,249.04

CASH & BANK BALANCES

(A) Cash Balances	37,036.74	27,859.74
(a) Account No. III (H.O)		
(b) Account No. III (Regions) (As per Annexure - I)		
(B) Bank Balances		
(a) State Bank of India - A/C VIII (H.O) (A/c No. 10976587072)		101,942,360.79
(b) Balance with Bank A/C III (As per Annexure - J)		35,020,319.68
(c) Security Services, Mumbai (A/c No. 11138435036)		132,119,103.44
(d) PF ADM. CONT. ACCOUN		401,000.00
(e) PF ADM. CONT. ACCOUN (SURABHI)		16,773,038.65
(f) Account - VI Pension (LIC)		6,891,910.38
(g) Account - XV Leave Encashment (LIC)		2,741,148.65
(h) Account - XVI Gratuity (LIC)		1,235,103.60
(i) Account - V (GPF)		2,704,077.26
(k) CMPF - GSLI (AC- XII)		135,283.58
(l) CMPF - NPS (AC- XIV)		
TOTAL.....(B)	562,719,609.59	300,081,205.77

Loans & Advances

	Amount in ₹ As on 31-03-24	Amount in ₹ As on 31-03-23
(a) Festival Advance	50,000.00	94,716.44
(b) Computer Advance		
(c) Conveyance Advance	9,537,985.00	10,358,682.00
(d) House Building Advance		
TOTAL...(C)	9,587,985.00	10,453,398.44

Interest Accrued But not Due

(a) Central Government Securities (Annexure - K)	5,727,805.00	5,655,924.00
(b) State Government Securities (Annexure - L)	250,088,295.00	281,204,408.00
(c) Public Sector Bonds (Annexure - M)	442,092,035.00	384,598,773.00
(d) Private Sector Bonds (Annexure - N)	40,751,052.00	50,758,704.00
(e) Surabhi (Annexure - O)	809,726.00	244,087.00
(f) STG (Annexure - P)	40,940,493.00	36,731,347.00
TOTAL...(D)	820,409,406.00	759,193,243.00
TOTAL.....(A+B+C+D)	11,142,518,689.80	10,154,681,096.25

FIXED ASSETS & DEPRECIATION SCHEDULE FOR THE YEAR 2023-24

Sl. No.	PARTICULARS	Rate of Dep.	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK				
			Balance as on 31/03/2023	Addition During the Year	**Sale / Adjustment	Balance as on 31/03/2024	Up to 31/03/2023	During The Year	Adjustment	Total Depreciation	Balance as on 31/03/2023	Balance as on 31/03/2024			
1	LAND	-	108,229,195.12	-	-	108,229,195.12	-	-	-	-	-	108,229,195.12	-	108,229,195.12	
2	LEASE LAND & BUILDING	-	3,281,730.00	-	-	3,281,730.00	-	-	-	-	-	3,281,730.00	-	3,281,730.00	
3	BUILDING	1.58%	287,643,450.00	-	-	287,643,450.00	-	-	-	-	-	287,643,450.00	-	287,643,450.00	
4	PLANT & MACHINERY	6.33%	5,444,995.38	-	-	5,444,995.38	-	-	-	-	-	5,444,995.38	-	5,444,995.38	
5	ELECTRIC EQUIPMENT	9.50%	7,717,219.30	-	-	7,717,219.30	-	-	-	-	-	7,717,219.30	-	7,717,219.30	
6	OFFICE EQUIPMENT	19.00%	18,550,785.65	1,089,185.00	223,026.00	19,872,996.65	18,560,764.65	1,089,185.00	23,411.00	23,411.00	-	19,673,370.65	1,000	19,673,370.65	
7	COMPUTER PERIPHERALS	31.67%	269,200,539.56	2,819,289.00	-	272,019,828.56	269,200,539.56	446,435.00	-	-	-	269,546,974.56	1,000	2,372,855.00	
8	FURNITURE & FIXTURES	9.50%	73,625,897.29	2,202,033.43	(223,026.00)	75,604,904.72	65,308,733.80	7,101,807.00	-	-	-	72,510,540.80	8,117,163.69	3,054,266.12	
9	VEHICLE	11.80%	15,788,651.01	-	-	15,788,651.01	15,788,650.01	1,093,939.49	-	-	-	15,788,650.01	245,146.70	1,000	160,383.70
10	OTHERS ASSETS	6.33%	1,339,109.20	-	-	1,339,109.20	1,093,939.49	84,766.00	-	-	-	1,178,725.49	245,146.70	1,000	160,383.70
	TOTAL		770,741,552.51	6,170,519.43	-	776,912,071.94	464,748,273.47	13,345,893.00	23,411.00	-	-	476,127,577.47	305,621,116.04	238,764,494.47	
	PREVIOUS YEAR TOTAL		765,147,747.04	3,249,075.47	-	768,396,822.51	449,156,123.80	13,798,550.67	-	-	-	462,874,704.47	315,981,623.24	-	305,521,116.04

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
ESTABLISHMENT EXPENSES INCLUDING LEAVE TRAVEL CONCESSION
(SCHEDULE 12)**

	Amount in ₹ As on 31-03-24	Amount in ₹ As on 31-03-23
Pay of Officer	32,585,948.00	76,366,136.00
Pay of Establishment	241,887,977.00	209,228,448.00
Allowances & Honorarium (as per Annexure)	195,169,952.29	242,683,162.02
Bonus	4,651,595.00	3,498,362.36
Leave Travel Concession (Officers)	281,072.00	282,694.00
Leave Travel Concession (Establishment)	2,289,114.00	2,754,052.00
Total	476,865,658.29	534,812,854.38

OFFICE VEICILE (SCHEDULE 13.1)

Petrol, Oil & Lubricants	1,595,555.03	1,399,518.08
Repairs & Maintenance	1,669,204.87	1,271,964.00
Total	3,264,759.90	2,671,482.08

RENT, RATES & TAXES (SCHEDULE 13.2)

House Rent for Regional Offices	1,709,550.00	5,860,404.00
Water Charges, Insurance Premium, Municipal Service & Other Tax	4,300,178.46 701,019.00	4,571,254.98 16,632.00
Total	6,710,747.46	10,448,290.98

MISC. CONTINGENCIES & RECURRING CHARGES (SCHEDULE 13.3)

	Amount in ₹ As on 31-03-24	Amount in ₹ As on 31-03-23
Audit Fees	75,000.00	7,140.00
Carrying Charges	46,854.34	28,500.00
Conveyance Charges	395,380.00	108,911.00
Hindi	806,196.00	220,130.00
Hiring of Vehicles	2,749,024.00	937,790.00
Hiring of School Bus	-	378,615.00
Maintenance of Office Building & Staff Quarters	32,763,958.95	50,507,319.19
Mechanisation of Members A/c	72,624,250.32	21,037,010.66
Medical Assistance Including Allowance	82,597,684.58	77,310,731.87
Meeting Expenses	5,500,657.80	1,584,042.00
Misc. Contingencies	5,332,528.50	3,881,554.36
Oil for Generator	2,166,122.34	2,202,140.34
Other Expenses	20,024.00	909,755.00
Printing & Publicity	124,722.00	321,460.00
Security Guard Expenses	40,985,489.16	39,916,907.16
Supply of Liveries to Group C & D Staff	176,200.00	140,000.00
Welfare Amenities to Staff	3,167,714.00	4,800,575.36
Training	275,164.00	50,440.00
Total	<u>249,806,969.99</u>	<u>204,343,021.94</u>

OTHER CHARGES (SCHEDULE 13.4)

	Amount in ₹ As on 31-03-24	Amount in ₹ As on 31-03-23
Binding Charges of Old Registers	183,084.00	216,773.00
Books & Periodicals	286,709.70	264,946.34
Contingent Establishment (Watermen, Gardener & Sanitary Labourers)	24,083,598.00	30,519,605.00
Electricity Charges	16,288,152.72	15,479,878.11
Forms & Stationery Including Pass Books	2,866,990.58	3,211,341.41
Leave Salary & Pension Contributions	54,279,228.20	37,055,363.00
Legal Expenses	7,988,465.36	5,075,097.00
Maint. of Guest House	29,103.00	78,430.00
Pension & F.P.	324,473,187.20	311,035,628.64
Gratuity	106,455,315.84	120,050,998.08
Leave Encashment	19,075,360.84	18,392,630.00
Postage/Money Order/Commission	1,966,957.90	1,661,775.40
Railway Freight	26,964.00	44,761.00
Repairs of Old Furniture	43,176.00	201,378.00
Repairs & Maint. of Office Equipments	1,613,201.66	1,811,544.75
Telephone Charges	1,254,063.99	811,358.00
Washing Charges for Liveries	60,140.00	66,990.00
Consultancy Charge	2,413,875.00	1,360,324.00
GSLI Premium to LIC	326,310.00	
Total	563,713,883.99	547,338,821.73


(SANTOSH KUMAR)
ASSISTANT COMMISSIONER


(VIJAY KUMAR MISHRA)
(COMMISSIONER)



ALLOWANCES & HONORARIUM

	Amount in ₹ As on 31-03-24	Amount in ₹ As on 31-03-23
Children Education Allowance	5,432,042.00	8,022,281.00
Dearness Allowance (Off. & Estt.)	123,878,511.36	103,174,711.72
Handicapped Allowance	-	39,632.00
Honorarium	1,249,149.00	3,486,784.36
House Rent Allowance (Estt. & Offt)	27,146,780.00	26,650,077.00
Cash Allowance	33,400.00	39,470.00
Overtime Allowance	20,562.00	23,831.00
Special Compensatory Allowance (Estt. & Offt)	752,303.08	421,736.00
TA Establishment on Tour	11,030,247.00	8,683,301.72
TA Establishment on Transfer	1,389,359.00	2,374,396.00
TA Officers on Tour	4,933,407.00	1,183,591.00
TA Officers on Transfer	979,658.00	3,730,093.00
TA to Trustees	318,283.00	408,363.00
Transport Allowance (Estt & Offt.)	17,144,759.44	16,876,557.92
Undisbursed Pay Allowance	822,668.41	67,539,936.30
Washing Allowance (Group D)	38,823.00	28,400.00
Total	195,169,952.29	242,683,162.02

Annexure - I

Balance with Cash in Hand in respect of Account No. III (Regions)

Sr. No.	Name of the Regional Office	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
1	Asansol	-	-
2	Barakar	-	-
3	Bilaspur	-	-
4	Chhindwara	-	-
5	Deochar	21,000.00	6,000.00
6	Dhanbad	-	-
7	EDP Hyderabad	-	-
8	Headquarter	-	-
9	Hyderabad	-	-
10	Jabalpur	1.74	1.74
11	Jammu	-	-
12	Jharia	-	-
13	Kargali	-	-
14	Katras	-	-
15	Kolkata	-	-
16	Kothagudem	-	-
17	Margherita	-	-
18	Mugma	-	-
19	Nagpur	252.00	576.00
20	New Delhi	-	-
21	Ramgarh	-	-
22	Ranchi	15,783.00	21,282.00
23	Raniganj	-	-
24	Sambalpur	-	-
25	Singrauli	-	-
26	Talchar	-	-
	Total...	37,036.74	27,859.74

Annexure - J

Balance with Bank Account No. III (Regions)

Sr. No.	Name of the Regional Office	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
1	Asansol	4,230,763.30	3,463,920.62
2	Barakar	6,253,416.15	5,114,141.22
3	Bilaspur	3,491,737.59	3,777,969.59
4	Chhindwara	6,617,039.92	2,862,681.92
5	Deoghar	1,474,900.00	1,010,152.00
6	Dhanbad	54,731.38	15,229,032.06
7	EDP Hyderabad	2,066,860.33	891,198.18
8	Hyderabad	4,973,567.83	5,056,459.77
9	Headquarter	9,745,851.05	12,984,871.22
10	Jabalpur	8,358,899.31	6,040,884.88
11	Jammu	-	-
12	Jharia	(511,216.43)	(511,216.43)
13	Kargali	-	-
14	Katras	7,460,842.69	13,663,524.60
15	Kolkata	1,643,998.47	1,236,240.37
16	Kothagudem	2,797,430.74	1,660,441.74
17	Margherita	1,184,701.25	1,532,000.65
18	Mugma	1,782.73	1,782.73
19	Nagpur	5,662,507.01	5,478,834.46
20	New Delhi	2,851,961.15	2,337,319.75
21	Ramgarh	5,238,866.10	8,209,700.10
22	Ranchi	4,541,348.00	3,019,220.00
23	Raniganj	4,360,506.62	1,843,885.94
24	Sambalpur	4,165,346.50	1,505,790.50
25	Singrauli	4,335,740.00	3,134,263.00
26	Talchar	9,159,680.92	2,399,261.92
	Total...	100,161,282.61	101,942,360.79

**COAL MINES PROVIDENT FUND ADMINISTRATION (ACCOUNT NO. VIII)
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2024
SCHEDULE 7 & 8 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES/NOTES TO ACCOUNTS AND CONTINGENT LIABILITIES**

A. Significant Accounting Policies:

1. General

- i) Accounts are prepared on the historical cost basis and on the accounting principles of a going concern.
- ii) Accounting Policies not specifically referred to otherwise be consistent and in consonance with generally accepted accounting principles.
- iii) Contingencies are stated wherever applicable.
- iv) Accounts are prepared/compiled on reports duly signed/authenticated by the respective heads of regional offices/sections of hqr office, custodian, fund managers, bankers etc.

2. Income

- i) Interest on Advance with other inter fund account are accounted on accrual basis.
- ii) Contributions against PF Administration Charges are accounted for on Cash Basis.
- iii) Interests on Investment are accounted for on accrual basis.

3. Expenses

- i) Expenditure of PF Administration are accounted for on cash basis.
- ii) All the expenditure pertaining to DLJ Administration & Pension Administration are being incurred from PF Administration account are transferred to such account as per guidelines issued by the ministry.

4. Fixed Assets

- i) Fixed Assets are stated at Historical Cost.

5. Investments.

- i) Investments are stated at cost, inclusive of brokerage except Management fee.

6. Depreciation.

- i) Depreciation on Fixed Assets are charged on straight line method.

B. Notes to Accounts

- i) Bank Charges and Commission Pertaining to PF Main Account reimbursed by PF Administrative Account.
- ii) Figures of Previous year have been regrouped & rearranged wherever necessary.
- iii) Premium / Discount Paid / Received at the time of purchase are transferred in P&L account at the time of redemption of securities.
- iv) Budgeted Expenses pertaining to Pension Administrative Account is transferred from PF Administrative Account.
- v) Proportionate Expenses for DLJ Administrative Account & Pension Administrative Account is transferred from PF Administrative Account.

- vi) Interest on DLI Administrative Fund is charged @ 7.6% p.a.
- vii) Interest on CMPF Main A/c is charged @ 7.6% p.a.
- viii) Balances of CMPF Staff Pension, Leave Encashment and Gratuity appearing under Contra Items of CMPF Main Account has been transferred to CMPF Administration Account.
- ix) Account -V (GPF) is maintained by CMPF Administration account in fiduciary capacity but transactions under this is reported through RO-7 hence, instead of showing separate opening and closing balance, it is clubbed with transactions appearing in Receipt and Payment Accounts.
- x) Mechanization of Members account was created for computerization of office as such all the expenditure related to purchase of computers and other equipment has been booked under this head.
- xi) There is 02 (Two) funds created by staffs of the CMPFO namely Benevolent Fund and Recreation Club Fund. These funds have created solely for funeral ceremony and recreational functions of staff of the CMPFO respectively and expenditures under these two heads are interchangeable.
- xii) Advances to staff of CMPFO disbursed and recovered through establishment section of the concerned regional offices. However, during the preparation of RO-7 by the concerned regional offices Cash Section, recovery of one advance may appeared under head of other advances and these may lead difference in figures.
- xiii) Balance of new pension scheme under reconciliation.
- xiv) In the Closing Balance as on 31.10.2008 in balance with Bank A/c - III (State Bank of India) of Head Quarter difference amount of ₹ 95.08 lakhs.
- xv) In the Closing Balance as on 31.10.2008 in balance with Bank A/c - V & Bank A/c - VI (State Bank of India) of Head Quarter difference amount of ₹ 73.06 lakhs & ₹ 2.74 lakhs respectively.
- xvi) Contingent liabilities: As informed by EDP Section, CMPF HQ, Dhanbad payment pertaining to SAP has been released and only ₹ 10 lakhs have been withhold as on date. In addition to that ₹. 1,41,34,874/- relating to pending bill of M/s RailTel Corporation of India Limited (RCIL).
- xvii) During the year expected loss in IL&FS and Reliance Capital has been booked as per decision of Investment Sub-committee dated 28-03-2022. The expected loss has been determined as per expected realization informed by Fund Managers i.e. in case of IL &FS 33 % and in case of RCAP 55%. Loss has been quantified to ₹ 00.00 crore and ₹2.70 crore respectively. Out of total loss of ₹ 2.70 in case of RCAP ₹. 2.07 crore booked as prior period item and ₹. 00.63 crore as current periods.
- xviii) There is a loss on redemption of Debt investment amounting to ₹.7,48,22,846.50 (including loss booking for ILFS & RCAP) and profit of ₹. 2,06,62,657.96 on redemption of ULF (Equity).
- xix) Depreciation on Fixed Assets has been charged at rate specified in Companies Act 2013 (SLM).
- xx) Investment of Deewan Housing Finance Corporation Limited amounting to ₹. 7 crore and Reliance Capital Limited amounting to ₹. 6 crore have become defaulted and same has disclosed classified as Default/stressed and separately disclosed. Resolution process under respective rules are under process. The investment shall be accounted for after final resolution
- xxi) Resolution process of DHFL has been announced and total un-recoverable amount is ₹ 3,65,05,457.74

- xxii) During the year 49 employees earlier covered under NPS now opted for OPS. This resulted in higher valuation consequently higher provision on account of CMPF Staff Retirement Benefit Scheme.
- xxiii) Revenue amounting to ₹ 39,57,47,415.98 has been transferred to Pension Administration Account in order to meet the Pension Administration expenses as per provisions contained in para 18 (3) of the Coal Mines Pension Scheme 1998.
- xxiv) None of Fixed Assets/Investments are revalued during the year.

C. The Surplus of CMPF Organisation exempted from levy of Income Tax under section 10(25) of Income Tax Act, 1961.

COAL MINES PENSION FUND MAIN ACCOUNTS

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31-03-2024

<u>INCOME</u>	Schedule	(Amount-₹) As on 31-03-2024	(Amount-₹) As on 31-03-2023
<u>Interest Income</u>	7		
Public Accounts		11,136,704,950.00	10,264,244,140.00
Central Govt. Securities		913,311,575.49	908,867,297.00
State Govt. Securities		2,454,900,836.12	2,296,400,208.22
Public Sector Bonds		1,963,811,963.93	1,766,810,106.69
Private Sector Bonds		117,808,146.35	132,006,175.27
STD / FD			
STG		116,190,363.00	98,581,436.04
Dividend on ETF			
Misc. Income (Investment)		3,023,059.39	1,933,117.11
Interest on Surabhi Account		9,870,458.98	14,658,731.52
Profit on ULF		30,666,942.63	47,533,279.21
Total...		16,746,288,295.89	15,531,034,491.06
<u>EXPENDITURE</u>			
Loss on Redemption of Securities		159,739,289.26	47,962,227.63
Provision for loss on expected loss on IL&FS and RCAP		30,060,180.00	0.00
Total...		189,799,469.26	47,962,227.63
Excess of Income Over Expenditure (A-B) transferred to Reserves & Surplus		16,556,488,826.63	15,483,072,263.43

Contingent Liabilities Significant Accounting Policies 6


 (SANTOSH KUMAR)
 ASSISTANT COMMISSIONER


 (VIJAY KUMAR MISHRA)
 COMMISSIONER




COAL MINES PENSION FUND MAIN ACCOUNT

RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31-03-2024

Amount in ₹ As on 31-03-2023	Receipt	Amount in ₹ As on 31-03-2024	Amount in ₹ As on 31-03-2023	Payment	Amount in ₹ As on 31-03-2024
12,241.09	Bank Account			Investment	5,180,779,400.00
199,381,933.52	-Opening Balance	12,241.09	1,720,337,042.00	Public Sector Undertaking	
11,590.00	SBI A/C VII (Main Account)	34,211,367.59	2,648,067,120.00	Central Govt. Security	10,489,409,310.00
1,235,070.75	Pension Investment Account	11,590.00	289,477,330.84	State Govt. Security	
82,796,273.87	Canara Bank (Dhanbad)	1,230,993.75	59,085,246,107.36	STDR / FD	200,000,000.00
3,353,726,375.10	Account VII (Region)	(3,254,023.94)	257,654,564.35	STG	34,023,180,849.14
89,008,724.85	Account XIII (Region)	3,550,522,072.46		ULF	864,049,161.93
	Pension Disbursement Account	929,080,974.11		Expenses	
421,280,832.64	Pension Contribution AC	3,704,000.00	249,680.94	Bank Charges	21,009.47
	Additional pension contribution	156,428,967.88	46,919,782,803.83	Pension Disbursement Account	54,352,071,624.07
737,250,000.00	Investment Redemption	1,408,000,000.00	169,586,278.46	Pension Disbursement Commission	141,745,260.51
2,418,450,000.00	Public Sector Undertaking	4,110,280,000.00		Amount Payable to CMPF Main	
	State Govt. Security	265,000,000.00		Interest Paid on Security Purchase	
	Central Govt. Security			Interest Paid on Central Govt. Security	77,347.22
16,703,050.00	STDR / FD	170,029,482.56	19,431,973.98	Bank Charges	
59,354,191,082.68	Private Sector Bonds	148,000,000.00	2,069,917.81	Interest Paid on Public Sector Bond	1,825,573.77
193,536,562.63	STG	33,922,027,190.76		Interest Paid on Private Sector Bond	
35,505,058,655.85	ULF	49,364,331,589.73	1,397,194.52	Interest Paid on STG	
	Amount Payable to CMPF Main A/c			Bank Account -Closing Balance	
	Pension Contribution Fund			SBI A/C VII (Main Account)	12,241.09
	Govt. Contribution			Pension Investment Account	246,426,333.12
	Income			Canara Bank (Dhanbad)	
919,533,899.00	Interest Received from Central Govt. Security	919,533,899.49	12,241.09	Account VII (Region)	1,196,288.75
2,308,053,709.20	Interest Received from State Govt. Security	2,284,166,317.34	34,211,367.59	Account XIII (Region)	(6,313,238.13)
1,777,947,715.50	Interest Received from PSU	1,868,151,310.70	11,590.00	Pension Disbursement Account	647,280,210.44
132,292,320.27	Interest Received from Private Sector Bond	126,537,162.35	1,230,993.75	Pension Contribution AC	1,636,343.00
92,382,767.56	Interest Received from STG	119,588,185.00	3,550,522,072.46	Pension Contribution AC (Surabhi)	189,305,145.00
12,853,810.98	Interest on Surabhi	10,953,466.00	929,080,974.11	Additional pension contribution	56,387,620.46
	ETF DIVIDEND				
1,933,117.11	Misc. Income (Investment)	3,023,059.39	3,704,000.00		
	Profit on ULF		156,428,967.88		
421,593,195.00	Amount Receivable from CMPF Adm.	7,008,070,643.58			
7,746,015,269.43	Additional Pension Contribution				
115,785,248,197.03	Total	106,399,650,489.84	115,785,248,197.03	Total	106,399,650,489.84

(Signature)
(SANTOSH KUMAR)
ASSISTANT COMMISSIONER

(Signature)
(VIJAY KUMAR MISHRA)
COMMISSIONER



SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND

	Amount in ₹ As on 31-03-2024	Amount in ₹ As on 31-03-2023
(a) Pension Contribution Fund		
Opening Balance	(39,569,091,505.86)	(28,599,566,588.60)
Add: Contributions recd. During the year	49,369,639,831.32	35,927,983,618.85
Less: Disbursement made during the year	54,277,378,277.66	46,897,508,536.11
Closing Balance (A)	<u>(44,476,829,952.20)</u>	<u>(39,569,091,505.86)</u>
(b) Additional Pension Contribution		
Opening Balance	13,032,253,737.79	5,286,238,468.36
Add: Contributions received during the year	7,008,070,643.58	7,746,015,269.43
Closing Balance (B)	<u>20,040,324,381.37</u>	<u>13,032,253,737.79</u>
(c) Government Contribution		
Opening Balance	8,189,819,000.00	8,184,119,000.00
Add: Contributions received during the year	106,400,000.00	5,700,000.00
Closing Balance (C)	<u>8,296,219,000.00</u>	<u>8,189,819,000.00</u>
Total (A+B)	<u>(16,140,286,570.83)</u>	<u>(18,347,018,768.07)</u>

SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS

	Amount in ₹ As on 31-03-2024	Amount in ₹ As on 31-03-2023
(a) Reserve & Surplus		
Opening Balance	228,679,669,963.67	213,196,597,700.24
Add: Excess of Income over Expenditure during the year	16,556,488,826.63	15,483,072,263.43
Add : Prior Period Adjustment	(106,936,957.00)	-
Closing Balance	<u>245,129,221,833.30</u>	<u>228,679,669,963.67</u>

SCHEDULE 3-CURRENT LIABILITIES

	Amount in ₹ As on 31-03-2024	Amount in ₹ As on 31-03-2023
(a) Amount Payable to CMPF Main A/C	0.00	0.00
	-	-

SCHEDULE 4-INVESTMENTS

	Amount in ₹ As on 31-03-2024	Amount in ₹ As on 31-03-2023
(a) <u>DEPOSIT IN PUBLIC ACCOUNT</u>		
Opening Balance	131,020,058,199.45	120,755,814,059.45
Add : Interest for received during the year	11,136,704,950.00	10,264,244,140.00
Closing Balance	142,156,763,149.45	131,020,058,199.45

(b) **INVESTMENTS**

Central Government Securities (Annexure - A)	10,447,628,684.50	10,730,092,184.50
State Government Securities (Annexure - B)	35,502,230,369.65	29,238,066,034.25
Public Sector Bonds (Annexure - C)	27,700,452,962.68	23,938,319,176.01
Private Sector Bonds (Annexure - D)	2,367,758,599.78	1,719,163,966.67
Private Sector Bonds- Defaulted/Stress (Annexure - E)	-	956,662,454.00
STG (Annexure - E)	1,516,321,674.84	1,469,945,674.84
ETF (Annexure - F)	3,479,596,865.37	2,615,547,703.44
ULF (Annexure - G)	173,818,500.01	41,997,899.00

Total...(B)

81,187,807,656.83 **70,709,795,092.71**

Total...(A+B)

223,344,570,806.28 **201,729,853,292.16**

SCHEDULE 5-CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

	Amount in ₹ As on 31-03-2024	Amount in ₹ As on 31-03-2023
<u>Loans, Advances & Amount Recoverable</u>		
(a) Bank Commission receivable from Pension Admn.	2,099,318,262.01	1,957,551,992.03
(b) Amount Receivable From CMPF Admn. A/c	469,335,025.45	469,335,025.45
(c) Amount Receivable to CMPF Main A/C	187,001,588.00	-
(d) <u>Interest Accrued but Not due</u>		
(e) Central Govt Securities (Annexure - H)	218,945,795.00	225,168,119.00
(f) State Govt Securities (Annexure - I)	648,168,642.00	477,356,776.00
(g) Public Sector Bonds (Annexure - J)	763,093,471.00	665,607,244.00
(h) Private Sector Bonds (Annexure - K)	89,652,005.00	98,381,021.00
(i) Surabhi Account	1,027,483.00	2,120,490.02
(j) STG (Annexure - L)	31,931,231.00	35,329,053.00
	4,508,473,502.46	3,930,849,720.50
<u>Bank Balances</u>		
(a) S.B.I. A/C VII (Dhanbad)	12,241.09	12,241.09
(b) S.B.I. A/C-30224418329 (Investment-Mumbai)	246,426,333.12	34,211,367.59
(c) Canara Bank (Dhanbad) A/c No. - 0251201002066	-	11,590.00
(d) Additional Pension Cobtribution Account	1,322,620.46	34,448,610.94
(e) Additional Pension Contribution (Surabhi)	55,045,000.00	121,980,356.94
(f) Pension Contribution A/c	1,636,343.00	929,080,974.11
(g) Pension Contribution A/c (Surabhi)	189,305,145.00	3,704,000.00
(h) Bank Balance of Account VII (Regions) (Annexure - M)	1,196,298.75	1,230,993.75
(i) Bank Balance of Account XIII (Regions) (Annexure - N)	(6,313,238.13)	(3,254,023.94)
(j) Pension Disbursement A/C (Annexure - O)	647,260,210.44	3,550,522,072.46
	1,135,890,953.73	4,671,948,182.94
Total...	5,644,364,456.19	8,602,797,903.44

Annexure - N

Balance With Bank Account No -VII (Regions)

Sl. No.	Name of Regional Office	As on 31-03-2024	As on 31-03-2023
1	Asansol (Asansol Region-II)	0.00	0.00
2	Barakar (Asansol Region-III)	0.00	0.00
3	Bilaspur	144,852.00	144,852.00
4	Chhindwara	0.00	0.00
5	Deoghar	16,229.00	16,229.00
6	Dhanbad (Dhanbad Region-I)	229,994.75	229,994.75
7	Hyderabad	0.00	0.00
8	Jalpur	0.00	0.00
9	Jammu	0.00	34,695.00
10	Jharia (Dhanbad Region-III)	0.00	0.00
11	Kargali (Ranchi Region-III)	0.00	0.00
12	Katras (Dhanbad Region-II)	0.00	0.00
13	Kolkata	0.00	0.00
14	Kothagudem	0.00	0.00
15	Margherita	27,350.00	27,350.00
16	Mugma (Asansol Region-IV)	0.00	0.00
17	Nagpur	0.00	0.00
18	New Delhi	0.00	0.00
19	Rangarh (Ranchi Region-II)	0.00	0.00
20	Ranchi (Ranchi Region-I)	0.00	0.00
21	Raniganj (Asansol Region-I)	0.00	0.00
22	Sambalpur	765,334.50	765,334.50
23	Singrauli	0.00	0.00
24	Talcher	12,538.50	12,538.50
	Total	1,196,298.75	1,230,993.75

Annexure - O

Balance With Bank Account No -XIII (Regions)

Sl. No.	Name of Regional Office	As on 31-03-2024	As on 31-03-2023
1	Asansol (Asansol Region-II)	61,961.70	11,901.97
2	Barakar (Asansol Region-III)	-	-
3	Bilaspur	186,387.06	54,444.00
4	Chhindwara	-	-
5	Deoghar	1,831.00	1,831.00
6	Dhanbad (Dhanbad Region-I)	-	164,041.92
7	Hyderabad	1,254,778.93	1,254,778.93
8	Jabalpur	36,301.05	12,491.00
9	Jammu	-	-
10	Jharia (Dhanbad Region-III)	(8,146,895.76)	(8,146,895.76)
11	Kargali (Ranchi Region-III)	-	-
12	Katras (Dhanbad Region-II)	-	1,889,470.65
13	Kolkata	-	49,351.54
14	Kothagudem	154,027.37	250,019.37
15	Margherita	95,677.17	95,677.17
16	Mugma (Asansol Region-IV)	1,783.25	1,783.25
17	Nagpur	-	92,854.00
18	New Delhi	-	-
19	Ramgarh (Ranchi Region-II)	-	563,160.00
20	Ranchi (Ranchi Region-I)	-	-
21	Raniganj (Asansol Region-I)	-	-
22	Sambalpur	-	239,902.92
23	Singrauli	-	170,254.00
24	Talcher	40,910.10	40,910.10
	Total	(6,313,238.13)	(3,254,023.94)

Annexure - P

Balance With Pension Disbursement Account

Sl.No.	Name of the Bank	As on 31-03-2024	As on 31-03-2023
1	Allahabad Bank (A/c - 7480)	39,929,520.80	34,007,376.80
2	Andhra Bank (A/c - 0292)	540,274.67	437,151.01
3	Bank of Baroda (A/c - 0295)	26,623,863.99	21,014,050.99
4	Bank of Baroda (A/c - 0296)	172,508.00	172,508.00
5	Bank of India (A/c - 2286)	199,059,892.10	26,344,340.15
6	Bank of Maharashtra	24,371,266.31	24,269,008.51
7	Canara Bank (A/c - 2634)	29,006,870.49	30,389,896.49
8	Central Bank of India (A/c - 0098)	137,487,046.43	3,605,155.55
9	Indian Overseas Bank (A/c - 0157)	4,021,250.27	4,021,250.27
10	Punjab National Bank (A/c - 0747)	57,030,209.93	56,255,533.83
11	State Bank of Hyderabad (A/c - 9038)	-	13,392,307.04
12	State Bank of India (A/c - 8288)	2,484,510.74	3,088,947,743.24
13	UCO Bank (A/c - 2069)	121,360,222.57	127,516,614.01
14	Union Bank of India (A/c - 2054)	39,724.58	65,870,818.26
15	United Bank of India (A/c - 0730)	5,133,049.56	54,278,318.31
	Total	647,260,210.44	3,550,522,072.46

COAL MINES PENSION FUND ACCOUNT
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2024
SCHEDULE 6 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. Significant Accounting Policies:

- 1. General**
 - i) Accounts are prepared on the historical cost basis and on the accounting principles of a going concern.
 - ii) Accounting Policies not specifically referred to otherwise be consistent and in consonance with generally accepted accounting principles.
 - iii) Accounts are prepared/compiled on reports duly signed/authenticated by the respective heads of regional offices/sections of hq office, custodian, fund managers, bankers etc.
- 2. Income**
 - i) Interests on Investment are accounted for on accrual basis.
 - ii) Interests on Inter Account balance is accounted for on accrual basis.
 - iii) Interest on Public account is accounted on accrual basis.
- 3. Expenses**
 - i) Expenses pertains to pension administration is accounted in pension administration account.
 - ii) Bank charges/commission is transferred to Pension Administrative and PF Administrative Account.
 - iii) Loss/Profit on redemption of security is accounted at the time of redemption of securities.
 - iv) Disbursement of Pension including payment of Bank Charges to Bank includes Grants received from Govt. as per CMPF Scheme.
- 4. Investments.**
 - i) Investments are stated at cost, inclusive of brokerage except Management fee.
- 5. Contribution.**
 - i) Pension Contribution is accounted on cash basis.
 - ii) Government Contribution is accounted on accrual basis and included in Corpus/Capital Fund.

B. Notes to Accounts

- i) Bank Charges & Management Fee reimbursed by the Pension Administrative Account.
- ii) Figures of Previous year have been regrouped & rearranged wherever necessary.
- iii) Interest on Inter account balance is accrued @ 7.6 % p.a..
- iv) Premium / Discount Paid / Received at the time of purchase are transferred in P&L account at the time of redemption of securities.

- v) Pension disbursements are made through nationalized bank on the basis of data provided by the management and accounted in the books of accounts on the basis of bank statement.
- vi) Out of pension disbursement, some of pension are disbursed by regional offices itself and recorded in the books on the basis of RO statement submitted by the regional offices.
- vii) Interest Income on Deposit in Public Account is subject to confirmation from the Government of India.
- viii) Investment amounting to ₹ 23.00 Crores in Reliance Capital Limited and ₹ 5.00 Crores in Infrastructure Leasing & Financial Services Limited have been classified as Default/stressed including unrealized DHFL investment amounting to ₹. 67.67 crore.
- ix) During the year expected loss in IL&FS and Reliance Capital has been booked as per decision of Investment Sub-committee dated 28-03-2022. The expected loss has been determined as per expected realization informed by Fund Managers i.e. in case of IL &FS 33 % and in case of RCAP 55%. Expected loss has been quantified to ₹ 3.35 crore and ₹ 10.35 crore respectively. Out of total loss of ₹. 3.35 crore pertaining to IL&FS, loss amounting to ₹. 2.74 crore booked as prior period item and ₹ 0.61 crore booked during current period. Similarly, in case of RCAP ₹ 7.95 crore booked as prior period item and ₹. 2.40 crore as current periods.
- x) Resolution process of DHFL has been announced and ₹. 61.33 crore realized out of total exposure of ₹. 129.00 crore.
- xi) There is a loss on redemption of Debt Investment amounting to ₹. 18,97,99,469.26 (including booking for ILFS & RCAP) and profit of ₹. 3,06,66,942.63 on redemption of ULF (Equity).
- xii) Valuation of the Pension Fund has been assessed by Actuarial as on 31-03-2022 in terms of para 22 of the CMPS 1998. The Valuation Report showing a Net Liability of the Fund (Shortfall) to the tune of ₹. 47,961 crore. Since, total corpus of the Pension Fund is only ₹ 22,898.90 crore as on 31-03-2024, as such making provisions for the Net Liability, as assessed by Actuary is not possible due to the fact that this would result in negative corpus. However, it is also to submit that there all the members are getting timely pension under CMPS 1998 by utilizing contribution received during the year as well as meeting the shortfall by withdrawing from investments.
- xiii) None of Investments are revalued during the year.

C. The Surplus of CMPF Organisation exempted from levy of Income Tax under section 10(25) of Income Tax Act, 1961.

COAL MINES PENSION ADMINISTRATION ACCOUNTS

BALANCE SHEET AS ON 31-03-2024

<u>PARTICULARS</u>	<u>SCHEDULE</u>	<u>(Amount - ₹) As on 31.03.2024</u>	<u>(Amount - ₹) As on 31.03.2023</u>
<u>CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES</u>			
Reserve and Surplus	1	-	-
Current Liabilities & Provisions	2	2,099,318,262.01	1,957,551,992.03
Total...		2,099,318,262.01	1,957,551,992.03
<u>ASSETS</u>			
Current Assets , Loans & Advances	3	2,099,318,262.01	1,957,551,992.03
Total...		2,099,318,262.01	1,957,551,992.03
<u>Significant Accounting Policies</u>	4	-	-

Date: 10.07.24

Place: Dhanbad


(SANTOSH KUMAR)
ASSISTANT COMMISSIONER


(VIJAY KUMAR MISHRA)
COMMISSIONER



COAL MINES PENSION ADMINISTRATION ACCOUNTS

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31-03-24


<u>INCOME</u>	<u>Schedule</u>	<u>(Amount - ₹) As on 31.03.24</u>	<u>(Amount - ₹) As on 31.03.23</u>
Revenue Transferred from PF Administration Account		395,747,415.98	
Total...(A)		395,747,415.98	
EXPENDITURE			
Bank Commission		141,766,269.98	169,835,959.40
Bonus		440,000.00	400,000.00
Children Education Allowance		4,070,000.00	3,700,000.00
Dearness Allowance-Officers & Establishments		17,930,000.00	16,300,000.00
Form & Stationery		1,650,000.00	1,500,000.00
House Rent Allowance-Officers & Establishments		8,250,000.00	7,500,000.00
Mechanisation of Member's Accounts		33,000,000.00	30,000,000.00
Pay of Establishments		38,830,000.00	35,300,000.00
Pay of Officer		13,860,000.00	12,600,000.00
Printing & Publicity		100,000.00	70,000.00
Proportionate Share of Common Expenses		133,640,146.00	56,145,987.00
Transport Allowance-Officers & Establishments		2,200,000.00	2,000,000.00
Washing Charges for Liveries		11,000.00	10,000.00
Total...(B)		395,747,415.98	335,361,946.40
Excess of Expenditure over Income (A-B) transferred to Reserves & Surplus A/C		-	(335,361,946.40)

Significant Accounting Policies

4


 (SANTOSH KUMAR)
 ASSISTANT COMMISSIONER


 (VIJAY KUMAR MISHRA)
 COMMISSIONER



COAL MINES PENSION ADMINISTRATION ACCOUNTS

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31-03-2024

SCHEDULE 1 - RESERVES AND SURPLUS

<u>Particulars</u>	<u>(Amount - ₹)</u> <u>As on 31.03.2024</u>	<u>(Amount - ₹)</u> <u>As on 31.03.2023</u>
Opening Balance	-	-
Add : Current Year	-	(335,361,946.40)
Less : Past Year Adjustment	-	-
Less : Excess of Expenditure over Income transfer to CMPF Administration Account	-	335,361,946.40
Closing Balance	-	-

SCHEDULE 2 - CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS


<u>Particulars</u>	<u>(Amount - ₹)</u> <u>As on 31.03.2024</u>	<u>(Amount - ₹)</u> <u>As on 31.03.2023</u>
Amount payable to Accounts VIII (PF Administration)	-	-
Amount Payable to Pension A/C for Bank Commission & Management Fees	2,099,318,262.01	1,957,551,992.03
Total in Rs...	2,099,318,262.01	1,957,551,992.03

SCHEDULE 3 - CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES

<u>Particulars</u>	<u>(Amount - ₹)</u> <u>As on 31.03.2024</u>	<u>(Amount - ₹)</u> <u>As on 31.03.2023</u>
Loans & Advances		
Amount receivable from Account No. I towards Govt. Grants	1,323,609,000.00	1,323,609,000.00
Amount recoverable to Accounts VIII (PF Administration)	775,709,262.01	633,942,992.03
Total in Rs...	2,099,318,262.01	1,957,551,992.03


(SANTOSH KUMAR)
ASSISTANT COMMISSIONER


(VIJAY KUMAR MISHRA)
COMMISSIONER



COAL MINES PENSION ADMINISTRATION ACCOUNT

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2024

SCHEDULE 4 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. Significant Accounting Policies:

1. General

- i) Accounts are prepared on the historical cost basis and on the accounting principles of a going concern.
- ii) Accounting Policies not specifically referred to otherwise be consistent and in consonance with generally accepted accounting principles.
- iii) Accounts are prepared/compiled on reports duly signed/authenticated by the respective heads of regional offices/sections of HQr office, custodian, fund managers, bankers etc.

2. Income

- i) An amount of ₹ 0.00 crore received from Government as Administrative Charge (Grant Received) during the reporting period and accounted for on accrual basis.
- ii) Revenue amounting to ₹ 39,57,47,415.98 has been transferred from Provident Fund Administration in order to meet the Pension Administration expenses as per provisions contained in para 18 (3) of the Coal Mines Pension Scheme 1998.

3. Expenses

- i) All the expenditure pertaining to Pension Administration are being incurred from PF Administration account and transferred to such account as per guidelines issued by the ministry.

B. Notes to Accounts

- i) Bank Charges includes Bank Charges pertaining to pension fund account. Bank Charges & Management Fees are reimbursed by the Pension Administrative Account.
- ii) Expenditure includes expenses of Officers and Employees engaged for disbursement of Pension on notional basis from Provident Fund Administration Account.
- iii) Figures of Previous year have been regrouped & rearranged wherever necessary.

- C. The Surplus of CMPF Organisation exempted from levy of Income Tax under section 10(25) of Income Tax Act, 1961.


COAL MINES DEPOSIT LINKED INSURANCE FUND CONTRIBUTION ACCOUNT


BALANCE SHEET AS ON 31-03-2024

<u>CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES</u>		(Amount-₹) As on 31-03-2024	(Amount-₹) As on 31-03-2023
Corpus Fund	1	1,043,244,709.87	1,043,244,709.87
Reserve & Surplus	2	3,469,397,140.62	3,160,172,540.62
Total...		4,512,641,850.49	4,203,417,250.49
<u>ASSETS</u>			
Investments	3	4,432,219,332.98	4,122,994,732.98
Current Assets, Loans & Advances	4	80,422,517.51	80,422,517.51
Total...		4,512,641,850.49	4,203,417,250.49
<u>Significant Accounting Policies</u>	5		

Date: 10.07.24
Place: Dhanbad


(SANTOSH KUMAR)
ASSISTANT COMMISSIONER


(VIJAY KUMAR MISHRA)
COMMISSIONER



Prepared by

COAL MINES DEPOSIT LINKED INSURANCE FUND CONTRIBUTION ACCOUNT

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31-03-2024

	(Amount-Rs.)	
	Schedule As on 31-03-2024	(Amount-Rs.) As on 31-03-2023
<u>INCOME</u>		
Interest (Misc.)	-	-
Interest from Deposit in Public Account	309,224,600.00	287,800,280.00
Total...(A)	309,224,600.00	287,800,280.00
<u>EXPENDITURE</u>		
Total...(B)	-	-
Excess of Income Over Expenditure (A-B) transfer to Reserve & Surplus A/C	309,224,600.00	287,800,280.00

Significant Accounting Policies

5


(SANTOSH KUMAR)
ASSISTANT COMMISSIONER


(VIJAY KUMAR MISHRA)
COMMISSIONER



COAL MINES DEPOSIT LINKED INSURANCE FUND CONTRIBUTION ACCOUNT

RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31-03-2024

Amount (Rs.) 31-03-2023	Receipt	Amount (Rs.) 31-03-2024	Amount (Rs.) 31-03-2023	Payment	Amount (Rs.) 31-03-2024
624,252.85	Bank Account - Opening Balance	623,603.85	649.00	<u>Expenses</u> Bank Charges	649.00
136,682.00	S.B.I. A/C IX (Head Quarter)	136,682.00		Amount Receivable from DLI Adm. A/c-1	
22,470.71	S.B.I. A/C IX (Regions)	22,470.71		Bank Account - Closing Balance	
-	IDBI A/C IX	-		S.B.I. A/C IX (Head Quarter)	622,954.85
	<u>Interest (Misc)</u>			S.B.I. A/C IX (Regions)	136,682.00
				IDBI A/C IX	22,470.71
783,405.56	Total	782,756.56	783,405.56	Total	782,756.56


(SANTOSH KUMAR)
 ASSISTANT COMMISSIONER


(VIJAY KUMAR-MISHRA)
 COMMISSIONER

for and by



COAL MINES DEPOSIT LINKED INSURANCE FUND CONTRIBUTION ACCOUNT

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31-03-2024

SCHEDULE 1-CORPUS/CAPITAL FUND

Particulars	(Amount-₹) As on 31-03-2024	(Amount-₹) As on 31-03-2023
Opening Balance	1,043,244,709.87	1,043,244,709.87
Add : Contribution Recd. During the Year	-	-
Add : Interest Recd. During the Year	-	-
Less : Disbursement made During the Year	-	-
Closing Balance	1,043,244,709.87	1,043,244,709.87

SCHEDULE 2-RESERVE & SURPLUS

Particulars	(Amount-₹) As on 31-03-2024	(Amount-₹) As on 31-03-2023
Opening Balance	3,160,172,540.62	2,872,372,260.62
Add : Excess of Income over Expenditure	309,224,600.00	287,800,280.00
Less : Prior Period Items	-	-
Closing Balance	3,469,397,140.62	3,160,172,540.62

SCHEDULE 3 - INVESTMENT

Particulars	(Amount-₹) As on 31-03-2024	(Amount-₹) As on 31-03-2023
Balance at the beginning of the year		
Add : Investment made during the year	4,122,994,732.98	3,835,194,452.98
- Coal Mines	-	-
- Government	-	-
Add :Interest accrued for the year reinvested	309,224,600.00	287,800,280.00
Balance at the end of the year	<u>4,432,219,332.98</u>	<u>4,122,994,732.98</u>

SCHEDULE 4 - CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES

Particulars	(Amount-₹) As on 31-03-2024	(Amount-₹) As on 31-03-2023
Bank Balance		
S.B.I. A/C IX (Head Quarter)	622,954.85	624,252.85
S.B.I. A/C IX (Regions) (Annexure A)	136,682.00	136,682.00
IDBI A/C IX (A/c No. 012103000003728)	22,470.71	22,470.71
Loans & Advances		
Amount Receivable from DLI Admn. A/C	67,319,433.11	67,319,433.11
Bank Commission Recoverable from DLI Admn. A/C	586,100.28	584,802.28
Amount Receivable from CMPF Main A/c No. I	11,734,876.56	11,734,876.56
Total in Rs...	<u>80,422,517.51</u>	<u>80,422,517.51</u>

Prepared by




(VIJAY KUMAR MISHRA)
COMMISSIONER


(SANTOSH KUMAR)
ASSISTANT COMMISSIONER

Annexure-A

Balance With Bank Account No -IX (Regions)

Sl. No.	Name of Regional Office	As on 31-03-2024	As on 31-03-2023
1	Asansol (Asansol Region-II)	-	-
2	Barakar (Asansol Region-III)	-	-
3	Bilaspur	33,333.00	33,333.00
4	Chhindwara	-	-
5	Deoghar	-	-
6	Dhanbad (Dhanbad Region-I)	-	-
7	Hyderabad	2,399.50	2,399.50
8	Jalpur	72,671.50	72,671.50
9	Jammu	-	-
10	Jharia (Dhanbad Region-III)	-	-
11	Kargali (Ranchi Region-III)	-	-
12	Katras (Dhanbad Region-II)	-	-
13	Kolkata	-	-
14	Kohagudem	-	-
15	Marherita	-	-
16	Mugma (Asansol Region-IV)	-	-
17	Nagpur	-	-
18	New Delhi	-	-
19	Ramgarh (Ranchi Region-II)	5,455.50	5,455.50
20	Ranchi (Ranchi Region-I)	-	-
21	Raniganj (Asansol Region-I)	-	-
22	Sambalpur	22,822.50	22,822.50
23	Singrauli	-	-
24	Talcher	-	-
	Total	136,682.00	136,682.00

COAL MINES DEPOSIT LINK INSURANCE FUND ACCOUNT

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2024

SCHEDULE 5 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. Significant Accounting Policies:

I. General

- i)
- ii)
- iii)

Accounts are prepared on the historical cost basis and on the accounting principles of a going concern. Accounting Policies not specifically referred to otherwise be consistent and in consonance with generally accepted accounting principles.

Accounts are prepared/compiled on reports duly signed/authenticated by the respective heads of regional offices/sections of hqr office, custodian, fund managers, bankers etc.

2. Income

- i)
- ii)

Interests on Investment are accounted for on accrual basis.
Government Contribution is accounted on cash basis.

3. Expenses

- i)
- ii)
- iii)

Expenses pertains to DLI Fund Account is accounted in DLI administration account.
Bank charges/commission includes bank charges for DLI Fund account.
Loss/Profit on redemption of security is accounted at the time of redemption of security.

4. Investments.

- i)

Investments are stated at cost, inclusive of brokerage except Management fee.

5. Contribution.

- i)
- ii)

Interest on Public Account have been accounted for on accrual basis.
During the year ₹ 30.92 crore sanctioned by the Government of India as interest from Deposit in Public Account.

B.

Notes to Accounts

- i)
- ii)
- iii)
- iv)

Bank Charges & commission includes of DLI Fund Account.
Figures of Previous year have been regrouped & rearranged wherever necessary.
Premium / Discount Paid / Received at the time of purchase are transferred in P&L account at the time of redemption of securities.
None of Investments are revalued during the year.

C. The Surplus of CMPF Organisation exempted from levy of Income Tax under section 10(25) of Income Tax Act, 1961.

**COAL MINES DEPOSIT LINKED INSURANCE FUND
CENTRAL ADMINISTRATION ACCOUNT (A/C NO X)**

BALANCE SHEET AS AT 31-03-2024

<u>CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES</u>	<u>Schedule</u>	<u>(Amount - ₹) As on 31.03.2024</u>	<u>(Amount - ₹) As on 31.03.2023</u>
Reserve & Surplus	1	1,942,175,518.25	1,806,829,540.94
Current Liabilities & Provisions	2	67,905,533.39	67,904,235.39
Total...		2,010,081,051.64	1,874,733,776.33
<u>ASSETS</u>			
Investments	3	205,550,593.06	191,250,812.15
Current Assets, Loans & Advances	4	1,804,530,458.58	1,683,482,964.18
Total...		2,010,081,051.64	1,874,733,776.33

Significant Accounting Policies

5

Date: 10.07.24
Place: Dhanbad



(Signature)
(SANTOSH KUMAR)
ASSISTANT COMMISSIONER

(Signature)
(VIJAY KUMAR MISHRA)
COMMISSIONER

**COAL MINES DEPOSIT LINKED INSURANCE FUND
CENTRAL ADMINISTRATION ACCOUNT (A/C NO X)**

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31-03-2024

	(Amount-₹)	
<u>INCOME</u>	Schedule As on 31-03-2024	As on 31-03-2023
Administration Charges	768,080.00	659,584.00
Interest on PF Adm. Account (@ 7.6%)	119,854,039.00	111,785,082.00
<u>Interest on Investments</u>		
Central Government Securities	1,900,544.00	1,896,550.00
State Government Securities	11,321,150.16	10,203,490.62
Public Sector Bonds	2,072,427.65	1,890,474.00
Private Sector Bonds	90,883.11	119,598.97
STG	205,500.00	205,500.00
Misc. Interest (Investment)	13,412,713.38	8,126,316.95
Profit/Loss on Redemption of Investment	36,978.01	105,129.34
Total (A)...	149,662,315.31	134,991,725.88

EXPENDITURE

Bank Commission	1,298.00	1,449.44
Provisions for loss due to non-receipt of interest on DHFL		
Profit/Loss on Redemption of Investment	951,025.00	98,625.00
Proportionate Share of Common Expenses	13,364,015.00	5,614,599.00

Total (B)...

14,316,338.00 **5,714,673.44**

Excess of Income Over Expenditure (A-B)
transferred to Reserves & Surplus A/C

135,345,977.31 **129,277,052.44**

Significant Accounting Policies

5


(SANTOSH KUMAR)
ASSISTANT COMMISSIONER


(VIJAY KUMAR MISHRA)
(COMMISSIONER)


Prof made by



**COAL MINES PROVIDENT FUND
DEPOSIT LINK INSURANCE ADMINISTRATION ACCOUNT-X**

RECEIPT & PAYMENT FOR THE PERIOD ENDING 31-03-2024

Amount (₹) 31-03-2023	Receipt	Amount (₹) 31-03-2024	Payment	Amount (₹) 31-03-2024
67,625,547.44	Bank Account		Investments	
394,512.67	- Opening Balance		Public Sector Bonds	51,019,151.90
48,512.70	S.B.I.Account X (HQ)	84,809,658.44	State Govt. Securities	53,470,034.15
659,584.00	Security Service, Mumbai	508,761.04	STG	
	IDBI A/C X (HQ)	48,512.70	ULF	
	Administrative Charges	768,080.00	Interest Paid on Purchase	
			Public Sector Bonds	698.05
			State Govt. Securities	
			Private Sector Bonds	
	Amount Received from Other A/c		Amount Paid from Other A/c	
	Amount received from DLI Main		Interest accrue but not due	
	Redemption of Investments			
	Public Sector Security			
	Central Govt. Security			
	ULF			
250,961,334.48	Stage Govt. Security	1,449.44	Expenses	
6,320,000.00	Private Sector Bonds	53,219,808.15	Bank Charges	
92,600.00		36,000,000.00		
	Income	55,550.00		
	Interest on Central Govt. Securities			
1,896,550.00	Interest on Public Sector Undertak			
2,076,700.00	Interest on State Govt. Securities			
10,015,064.90	Interest on Private Sector Undertak			
120,334.97	Interest on STG			
205,500.00	Misc. Interest (Investment)			
16,534,887.95				
356,951,129.11	Total	204,251,883.68	Total	204,251,883.68



(Signature)
(SANTOSH KUMAR MISHRA)
ASSISTANT COMMISSIONER

(Signature)
(VIJAY KUMAR MISHRA)
(COMMISSIONER)

**COAL MINES DEPOSIT LINKED INSURANCE FUND
CENTRAL ADMINISTRATION ACCOUNT (A/C NO X)**

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2024

SCHEDULE 1-RESERVE & SURPLUS

Particulars	(Amount-₹)	
	Balance as on 31-03-2024	Balance as on 31-03-2023
Opening Balance	1,806,829,540.94	1,677,552,488.50
Add : Excess of Income over Expenditure during the year	135,345,977.31	129,277,052.44
Closing Balance	1,942,175,518.25	1,806,829,540.94

SCHEDULE 2-CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS


Particulars	(Amount-₹)	
	Balance as on 31-03-2024	Balance as on 31-03-2023
Amount Payable to DLI Main A/c	67,319,433.11	67,319,433.11
Bank Charges Payable to DLI Main A/c	586,100.28	584,802.28
Total in Rs...	67,905,533.39	67,904,235.39


SCHEDULE 3 - INVESTMENT

Particulars	(Amount-₹)	
	Amount as on 31-03-2024	Amount as on 31-03-2023
Central Government Securities (Annexure - A)	21,819,589.90	21,819,589.90
State Government Securities (Annexure - B)	149,560,104.93	135,490,554.03
Public Sector Bonds (Annexure - C)	25,246,080.00	25,246,080.00
Private Sector Bonds (Annexure - D)	5,462,923.87	5,519,897.87
ULF (Annexure - E)	461,894.36	174,690.35
STG (Annexure - F)	3,000,000.00	3,000,000.00
Total in Rs...	205,550,593.06	191,250,812.15

SCHEDULE 4 - CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES

Particulars	(Amount-₹)	
	Amount as on 31-03-2024	Amount as on 31-03-2023
Bank Balances		
S.B.I. A/C (HQ) (A/c No.10976587129)	9,490,794.44	8,722,714.44
S.B.I. A/C (HQ) (A/c No.10976587129)-SWIPP	89,489,619.00	76,086,944.00
Investment Account	733,073.44	508,761.04
IDBI A/C X (HQ) (A/c No. 012103000003735)	48,512.70	48,512.70
Loans & Advances		
Amount Receivable from CMPF A/c - 1	18,739,121.00	18,739,121.00
Amount Receivable from A/C XII	1,400.00	1,400.00
Amount Receivable from CMPF Adm. A/c	1,683,516,853.00	1,577,026,829.00
Interest Accrued But Not Due		
Central Govt. Securities (Annexure - G)	438,394.00	434,400.00
State Govt. Securities (Annexure - H)	1,567,389.00	1,413,411.00
Public Sector Bonds (Annexure - I)	447,495.00	443,031.00
STG (Annexure - J)	56,864.00	56,864.00
PVT (Annexure - K)	943.00	976.00
Total in Rs...	1,804,530,458.58	1,683,482,964.18




 (SANTOSH KUMAR MISHRA)
 ASSISTANT COMMISSIONER


 (VIJAY KUMAR MISHRA)
 COMMISSIONER

COAL MINES DLI ADMINISTRATION ACCOUNT
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2024
SCHEDULE 5 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. Significant Accounting Policies:

1. General

- i) Accounts are prepared on the historical cost basis and on the accounting principles of a going concern.
- ii) Accounting Policies not specifically referred to otherwise be consistent and in consonance with generally accepted accounting principles.
- iii) Accounts are prepared/compiled on reports duly signed/authenticated by the respective heads of regional offices/sections of HQr office, custodian, fund managers, bankers etc.
- iv)

2. Income

- i) Interests on Investment are accounted for on accrual basis.
- ii) Government Contribution is accounted on cash basis.

3. Expenses

- i) Expenses pertains to DLI Fund Account is accounted in DLI administration account.
- ii) Bank charges/commission includes bank charges for DLI Fund account.
- iii) Loss/Profit on redemption of security is accounted at the time of redemption of security.

4. Investments.

- i) Investments are stated at cost, inclusive of brokerage except Management fee.

5. Contribution.

- i) DLI Administration contribution is accounted on cash basis.

B. Notes to Accounts

- i) Bank Charges & commission includes of DLI Fund Account.
- ii) Figures of Previous year have been regrouped & rearranged wherever necessary.
- iii) Premium / Discount Paid / Received at the time of purchase are transferred in P&L account at the time of redemption of securities.
- iv) During the period under reporting ₹7,68,080.00 is received as Inspection Charge.
- v) The resolution plan of DHFL has been finalized and proceeds also received during the reporting period 2021-22.

- vi) ₹ 33.67 lakh received against the resolution plan and the balance appearing under Holding of PVT. During the year ₹ 9,51,025.00 booked as loss on redemption of Debt Investments and ₹ 36,978.01 booked as profit on redemption of ULF (Equity).
- vii) None of Investments are revalued during the year.

C. The Surplus of CMPF Organisation exempted from levy of Income Tax under section 10(25) of Income Tax Act, 1961.



कोयला खान भविष्य निधि
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
COAL MINES PROVIDENT FUND

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2023-24
AUDIT CERTIFICATE 2023-24

मुख्यालय : कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद - 826001 (झारखंड)
HEAD QUARTER : COAL MINES PROVIDENT FUND ORGANIZATION, DHANBAD - 826 001 (JHARKHAND)

SEPARATE AUDIT REPORT

**ON THE ACCOUNTS
OF
CMPFO DHANBAD
FOR THE YEAR 2023-24**



सत्यमेव जयते

**Office of the Principal Director of Audit (Coal), Kolkata
234/4, A.J.C. Bose Road
Kolkata – 700020**

Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of Coal Mines Provident Fund Organization for the year ended 31 March 2024.

We have audited the attached Balance Sheet of Coal Mines Provident Fund Organization (CMPFO) as at 31 March 2024 and the Income & Expenditure Account/Receipts & Payment Account for the year ended on that date under Section 20(1) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Paragraph 59 of the Coal Mines Provident Fund Scheme, Paragraph 20 of the Coal Mines Pension Scheme and Paragraph 19 of the Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme. The audit has been entrusted for the period up to 2027-28. These financial statements include the accounts of 20 Regional Offices (ROs) of the Organization. These financial statements are the responsibility of the Organization's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This draft separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
4. Based on our audit we report that:
 - (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - (ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipt & Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Government of India, Ministry of Finance.
 - (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Coal Mines Provident Fund Organization as required under the Coal Mines Provident Fund Scheme 1948, Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme 1976 and the Coal Mines Pension Scheme 1998 made under Section 3 of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948.
 - (iv) We further report that:

Comments on Accounts

A. Balance Sheet

A.1: Assets

A.1.1: Provident/Pension Fund Accounts

A.1.1.1: Non-accountal of loss of investment

CMPFO invested ₹1390.25 crore in financial instruments of Dewan Housing Finance Corporation Limited (DHFL). Owing to governance concerns and defaults in meeting various payment obligations, DHFL went (November 2019) before Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT) under the Insolvency and Bankruptcy Code. The NCLT initiated Corporate Insolvency Resolution Process (CRIP) against DHFL and approved the resolution plan in June 2021. After implementation of the resolution plan, CMPFO received (September 2021) ₹662.58 crore against the investment made, resulting in loss of investment of ₹727.27 crore. Hence this loss requires to be written off from the books of accounts. However, the loss of the above investments was not accounted for and CMPFO still shown the investments of ₹727.67 crore in DHFL in their accounts.

This has resulted in an overstatement of Investment and Corpus of Provident/Pension fund by ₹727.67 crore.

This issue has been commented repeatedly since the year 2019-20, however, no corrective action has been taken till date.

B. Income & Expenditure Account

B.1: Provident Fund (Admin) Account

B.1.1: Wrong accountal of capital expenditure

CMPFO undertook (March 2023) work of design, development and deployment of centralized IT portal for digitization and automation of settlement procedures and the same was under progress as on 31 March 2024. The work was a capital nature, and its economic value would be available for utilization for more than one year. However, the expenditure incurred on this IT work was charged to "Income & Expenditure Account" instead of booking in Assets head (Capital Work in Progress).

Thus, non-accounting of such expenditure incurred on intangible Assets (Capital Work in Progress) lead to understatement of "Assets" as well as understatement of "Excess of Income over Expenditure" with corresponding overstatement of "expenditure" by an amount of ₹6.65 crore.


C. Grants-in-aid

Grants-in-aids of ₹10.64 crore received from Central Government during the year 2023-24 have been utilized by the Organisation.

D. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of the Board of Trustees through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

- v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that Balance Sheet and Income & Expenditure Accounts/Receipt & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes to Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure-I to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:
- (a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of Coal Mines Provident Fund Organization as at 31 March 2024; and
- (b) In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.



(Anindya Dasgupta)
Principal Director of Audit (Coal)